हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 14 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बज़े पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

14.2.2019/1100/TCV/DC/1

शोकोद्गार

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल शाम को एक बहुत ही दुःखद समाचार हमें प्राप्त हुआ। इस माननीय सदन के पूर्व में सदस्य रहे श्री कर्मदेव धर्माणी जी का अचानक देहान्त हो गया। वे बाजार में गए हुए थे, वहां उनको दिल का दौरा पड़ा और 10-15 मिनट में ही उनको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक वे अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। स्वर्गीय श्री कर्मदेव धर्माणी जी के साथ बहुत लम्बे समय से हमारा संबंध रहा है। हमने संगठन में भी साथ काम किया है और इस माननीय सदन में भी हमें इकट्ठा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे बहुत निर्भीक और स्पष्ट बात करने वाले आदमी थे और इसके लिए वे जाने भी जाते थे। जब वे सच्चाई बोलते थे तो कई बार तीखा भी बोल जाते थे। लेकिन यह उनके जीवन का एक हिस्सा था।

14-02-2019/1105/NS/DC /1

अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहे मसला छोटा हो या बड़ा हो, वे सारे मसले को ले करके विधान सभा के अंदर और बाहर जब भी अवसर प्राप्त होता था, वे अपनी बात कहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कर्म देव धर्माणी जी का जन्म 24 जनवरी, 1951 को हुआ था। बिलासपुर जिला के अंतर्गत बाड़ी कंरगोड़ा गांव ग्राम पंचायत पट्टा, घुमारवीं में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घुमारवीं और उच्च शिक्षा बिलासपुर महाविद्यालय तथा विधि की डिग्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। श्री कर्म देव धर्माणी जी वर्ष 1990 और दोबारा वर्ष 2003 को घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए

निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय श्री कर्म देव धर्माणी जी वर्ष 1998 से वर्ष 2002 तक बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भी रहे और वर्ष 2002 से 2003 तक राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष भी रहे। उनकी सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि रहती थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय कर्म देव धर्माणी जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरुर कहना चाहूंगा कि श्री कर्म देव धर्माणी जी के साथ हमारे कई तरह के ऐसे अवसर हैं, जो जिंदगी में भूले नहीं जा सकते हैं। हम राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम साथ चलते-चलते भी अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा संवाद और संपर्क हमेशा उनके साथ बना रहा। मैं पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष था। एक बार वे किसी विषय को ले करके हमारे संगठन के नेतृत्व और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से नाराज़ हुए और उन्होंने नाराज़ हो करके कुछ स्थानों पर कुछ टिप्पणियां भी कर दीं। उन्होंने अखबारों में भी टिप्पणी कर दी। मैंने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उनको कहा कि आप आईए और इस तरह से टिप्पणी करना उचित नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि यह उनके स्वभाव का एक हिस्सा था कि वे किसी बात पर जब अड़ जाते थे तो अड़ जाते थे। ऐसी परिस्थिति में अंततोगत्वा पार्टी की व्यवस्था के अनुसार मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। मेरे मित्र थे,

14.02.2019/1110/RKS/HK-1

लेकिन मित्र होने के बावजूद भी हमें उन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि भले ही हमारी पार्टी अलग-अलग हो गई है लेकिन हम अपने विचार, व्यवहार और जो आपके साथ संबंध हैं उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे। यह हमने अंतिम दौर तक देखा और उसके बाद वे पार्टी में भी शामिल हुए। वे इस बात का जिक्र जरूर करते थे कि हम एक मित्र के सहयोग से पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबंध में कहीं भी कटुता नहीं आने दी और यह उनके जीवन से सीखने को मिलता है। उनके जीवन से संबंधित ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी जा सकती है। हम विधान सभा कॉम्प्लैक्स में आमने-सामने रहते थे। एक बार वे बहुत अस्वस्थ हुए। जब वे अस्वस्थ हुए तो ऐसा लगता

था कि वे ठीक हो पाएंगे या नहीं। जब उन्हें परेशानी होती थी तो वे मेरे सैट में आदमी भेजते थे क्योंकि मेरी पत्नी विधान सभा डिस्पैंसरी में डॉक्टर के रूप में कार्यरत है और जो उन्हें दवाई इत्यादि की आवश्यकता रहती थी, उपलब्ध करवाई जाती थी। वह धार्मिक व्यक्ति थे और धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से बहुत सारी चीजों का जिक्र करते रहते थे। उन्हें उस समय बहुत ज्यादा निराशा हुई और वे स्वयं कहते थे कि ऐसी परिस्थिति में इस दुनिया से जाना उचित है। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमने तब देखी जब वे इतने ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी स्वस्थ हो गए। जिसके बारे में न तो उन्होंने सोचा था और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने सोचा था। स्वस्थ होने के बाद वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हुए। मुझे कुछ दिन पहले उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जाने का मौका मिला। जब उन्हें यह पता चला कि उनके क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम है तो मुझे उनका फोन आया। उन्हें मजाक करने और सीधी बात कहने की आदत थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं 'तू बड़ा आदमी बन गया है' 'तेरे पास समय की कमी भी होगी' और वे मेरे साथ इस तरह की भाषा में बोलते थे। आप मेरे गांव से होकर जा रहे हैं मैं आपको अपने घर में चाय पिलाना चाहता हूं। मैं वहां गया और सचमुच ही वे मेरा इंतजार कर रहे थे। हम सब लोगों ने उनके आंगन में बैठकर चाय पी। उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि आप एक जगह पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर आपको समाज व प्रदेश का भला करना होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमने वहां से विदाई ली। जब भी उन्हें विधान सभा में अपनी बात कहने का मौका मिलता था, वे तर्क के साथ अपनी बातों को रखते थे और यह उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। वे कानून की बहुत सारी बातों का जिक्र करते थे, जैसे एक वकील अपनी बात को रखता है। हालांकि उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी। वे अभी 67 वर्ष के ही थे और आज वे हमारे बीच में नहीं है। अंतिम बार जब मैं उनसे उनके गांव में मिला और

जब मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मैं घर में नहीं रहता। उन्होंने कहा मैं घर आता हूं, जाता हूं उसके बाद ज्यादा समय में बाजार में घूमने निकल जाता हूं किसी से मिलने के लिए उनके घर निकल जाता हूं। एक स्थान पर मैं नहीं बैठा रहता। जब पिछले कल मुझे उनकी दुःखद मृत्यु का समाचार मिला तो वे घर में नहीं थे परंतु वे बाजार गए थे। यह सारी घटना बाजार में ही हुई। उन्हे हार्ट अटैक हुआ उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से श्री कर्मदेव घर्माणी जी की मृत्यु पर जहां संवेदना प्रकट करता हूं वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की भी शक्ति दे। उनके योगदान को यह माननीय सदन याद रखेगा और खास तौर से उनके जीवन में जो सहजता थी, शालीनता थी उसके साथ-साथ जो ईमानदारी थी, ये चीजें आज के समय में बहुत दुर्लभ होती हैं, वह हमेशा याद रहेगी। मैं एकबार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी शोकोद्गार में हिस्सा लेंगे ।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता जो माननीय कर्मदेव धर्माणी जी के श्रद्धांजलि का प्रस्ताव ले करके आए हैं, मैं अपने दल को भी उसमें सम्मिलित करता हूं। आज सुबह ही जब समाचार पत्र पढ़े तो उसमें उनके निधन के बारे में मालूम पड़ा कि वे बाजार गए थे और बाजार में ही उनको हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल में जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। माननीय

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धर्माणी जी से जब भी मिलना हुआ, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनमें जो मिलनसार की भावना थी वह हमेशा उसकी अभिव्यक्ति हुई। वर्ष 2003 में वे इस माननीय सदन में सदस्य थे जब हमें उनके साथ बात-चीत करने का मौका मिला। हालांकि उनके जीवन के जो अनुभव हैं उनके बारे में हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य आदरणीय ठाकुर राम लाल जी बता पाएंगे। क्योंकि इन्होने नजदीकी से एक साथ कार्य किया है। लेकिन धर्माणी जी का इस संसार से जाना राजनीतिक जगत के लिए बहुत नुकसान है । मैं अपने साथियों के साथ जहां उनको याद करता हूं वहीं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जो भी शोक संदेश यहां से भेजा जाए उसमें कांग्रेस पार्टी को और हमारे दल को सम्मिलित किया जाए। आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राल लाल ठाकुर जी शोकोद्गार में हिस्सा लेंगे।

श्री राल लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ठाकुर साहब ने जो शोकोद्गार प्रस्ताव यहां पर रखा है मैं उस में अपने आप को भी शामिल करता हूं और आदरणीय धर्माणी जी का जो असमयिक निधन हुआ है उससे राजनीति में तो क्षति हुई ही है लेकिन विचारधाराओं से ऊपर उठकर उनका व्यक्तित्व था। मैं उनको उस समय से जानता हूं

जब वह हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद हम एल0एल0बी0 करने गए। उसके बाद लगभग 8 वर्षो तक एक वकील के नाते भी हमारा संबंध रहा । मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री के0डी0 धर्माणी जी का प्रदेश की राजनीति में बहुत नुकसान हुआ है। खासकर बिलासपुर जिला को उनके जाने से और भी ज्यादा क्षति हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि के0डी धर्माणी जी एक निडर स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने विचार बड़ी निडरता से रखते थे। वे अपनी बात विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर खुल

कर रखते थे। राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जब वह पहली बार बीमार हुए और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे इतने बीमार हुए और उस वक्त सबने यही सोचा की के0डी0 धमार्णी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन उनका जो हौंसला था, उनका जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का स्वभाव था, उसके आगे बीमारी भी कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने तंदरुस्त होकर सामाजिक सेवाओं व राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता दोबारा से दोहराई। राजनैतिक विचार अलग होने के बावजूद भी मैं यह कहना चाहूंगा कि बिलासपुर से हमारे भाई की तरह एक वकील थे जो विधान सभा के सदस्य रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने घुमारवीं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भूमिका निभाई है, उसको घुमारवीं क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूला पाएंगे। लेकिन उनके जाने से प्रदेश व पूरे जिला को क्षति हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, कल रात को ही उनका निधन हुआ और इस बारे में देर रात को हमें पता चला और सुबह अखबारों में भी पढ़ा। लेकिन मैं इतना जरुर कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व को विचारधारों से ऊपर उठकर उनके प्रति अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ अपने आपको भी शोकोद्गार में शामिल करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान उनके पूरे परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति दें। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के पूर्व में दो बार सदस्य रहे, आदरणीय स्वर्गीय श्री कर्मदेव धर्माणी जी के आकस्मिक निधन पर शोकोद्गार प्रकट कर रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव में अपने आपको शामिल करता हूं। इस सदन में शायद मेरा उनके साथ सबसे पुराना संबंध रहा है क्योंकि हम दोनों सीनियर सेकैंडरी स्कूल घुमारवीं में एक साथ पढ़ते थे। वे पढ़ाई में भी अपने क्लॉस में टापर हुआ करते थे। जब वे 12वीं में पढ़ रहे थे तो मैं 11वीं में था। वे हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। शायद माननीय सदस्य ठाकुर रामलाल जी इस बारे में ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कॉलेज की टीम को भी रिप्रेजेंट किया लेनिन उनका जीवन सादगी में बीता है। बचपन में

बहुत जल्दी ही उनके पिता जी का निधन हो गया था इसलिए सारे परिवार को संभालने की जिमेदारी भी उनके उपर आ गई थी। सबसे पहले उन्होंने बी0एस0सी0 की थी और फिर सीधे पोस्ट ऑफिस में भर्ती हो गए थे और

14-02-2019/1125/वाई.के./एन.जी./1

पोस्ट आफिस की नौकरी के साथ-साथ ही उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की । परिवार में अपने भाईयों को और सबको पढाया-लिखाया और उसके बाद नौकरी छोड दी। नौकरी छोडने के बाद उन्होंने वकालत प्रारम्भ की, घुमारवीं में वह अनेक वर्षों तक वकालत करते थे । वकालत के साथ-साथ पार्टी का भी काम करते थे । वह पार्टी के जिला महामन्त्री भी रहे, मण्डल में, युवा मोर्चा में भी अनेक पदों पर रहे और साथ ही साथ अपनी ग्राम पंचायत पट्टा के प्रधान भी रहे । उनकी सक्रियता, निर्भीक्ता और हर विषय पर गहन अध्ययन करना, घुमारवीं क्षेत्र के विकास की दृष्टी से उनकी नीती और जिसमें वह बात करना चाहते थे कि कैसे हो सकता है उसकी दृष्टीगत 1990 में वह पहली बार इस माननीय सदन के सदस्य बने । सदन में वह पहली बार आए थे लेकिन बहुत निर्भीक हुआ करते थे, स्पष्टवादी हुआ करते थे । आज भी घुमारवीं में जाऐंगे तो कोई भी व्यक्ति उनकी इमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है । वह स्पष्टवादी थे, जो बात नहीं हो सकती थी उसे वह मूंह पर बोल देते थे कि यह नहीं हो सकता और जो हो सकता है वह हो सकता है । उसी के कारण शायद पार्टी में भी अपनी स्पष्टवादिता के कारण, जैसा की माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि बहुत से ऐसे समय आए जब उन्हे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पडा । उसके बावजूद भी वो बातचीत करने में बडे निपुण थे, स्पष्टवादी थे । माननीय मुख्यमन्त्री जी को मालूम है कि सन् 1998 में पार्टी के अन्दर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि आपस में ही टकराव हो गया था तो उसमें भी बीचबचाव करने वाले और बातचीत करने वाले माननीय श्री कर्मदेव धर्माणी जी ही थे । वह विधायक रहते हुए 20-सूत्रिय कार्यक्रम के वाईस चेयरमैन रहे । उसके बाद वह दूसरी बार 2003 में फिर से वह इस माननीय सदन के सदस्य चुने गए । उनके उस समय के जो काम है, चाहे विपक्ष में

रहते हुए हों या सत्ता पक्ष में रहते हुए हों लेकिन सबके साथ उनके सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहते थे । जब वह राजनिती भी छोड गए, उसके बाद भी उनका सबके साथ उसी प्रकार का सम्बन्ध था । जब भी किसी ने घुमारवीं से होकर जाना तो उनसे वहां पर जरूर मिलना और उनका पूरा स्वागत-आवभगत करना यह उनका परम धर्म था । मैं समझता हूं कि उनके जाने से घुमारवीं क्षेत्र को तों काफी नुकसान हुआ है । क्योंकि राजनीति छोडने के बाद भी सारे क्षेत्र में आज भी वहां की समस्याऐं हैं, व्यक्तिगत लोगों के काम हैं, उनके लिए अभी भी वह प्रयत्नशील रहते थे । उन्हे मालूम था की शायद वह राजनीति में सक्रिय ना हों लेकिन उसके बावजूद भी वह पूरी सक्रियता के साथ काम किया करते थे । उनका निधन बहुत आक्समिक और ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिसके बारे में पहले कोई विचार भी नहीं कर सकता है । यह बिलकुल ठीक है कि जब लोग सोच रहे थे कि शायद वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे तब वो बिलकुल ठीक होकर के इस जीवन में कई वर्षों तक जीवन जीया है । मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । उन्हें श्रद्धान्जली व्यक्त करता हूं औश्र ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस सदमें को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमन्त्री सदन के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने इस माननीय सदन के पूर्व विधायक श्री कर्मदेव धर्माणी जी के अस्मायिक निधन पर जो शोकोद्गार प्रस्तुत किया है,

14/02/2019/1130/RG/AG/1

मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। जैसा बताया गया कि श्री कर्मदेव धर्माणी 67 वर्ष की आयु तक निरन्तर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते हुए समाज की सेवा करते हुए परलोक सिधार गए हैं। मुझे भी उनके साथ विधायक के नाते कार्य करने का अवसर मिला और वे मेरे साथ की सीट पर ही बैठते थे। वैसे बहुत सारे विषय यहां आ गए हैं लेकिन एक विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो मुझे सदा स्मरण आता है वह यह कि वे जब भी घुमारवीं के बिलासपुर जिले की चर्चा करते थे तो सीर खड्ड की चर्चा सदैव करते थे। जैसे

कर्नल इन्द्र सिंह जी सीर खड्ड की चर्चा के ऊपर बहुत चिन्तित रहते हैं, उससे भी कहीं अधिक वे चिन्ता करते थे और कई बार तो मैं उनको मजाक में कहता था कि सीर खड्ड आ गया। यानि उनको इतनी चिन्ता थी कि सीर खड्ड की चैनलाईजेशन कब होगी, कब किसानों को सीर खड्ड से पानी मिलेगा और भूमि का कटाव रुकेगा। अगर हम विधान सभा का रिकॉर्ड निकाल करके देखें तो शायद किसी सत्र में धर्माणी जी ने सीर खड्ड का विषय न रखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात अपने इलाके के विकास के प्रति उनकी संजीदगी एक इसी उदारण से प्रदर्शित होती है। यह भी सत्य है कि लम्बी बीमारी रही। जिन दिनों वे बीमार थे, उन दिनों लगभग एक महीने मैं भी घुमारवीं में रहा। लोक सभा का उप-चुनाव था और मेरी डियुटी वहां पर थी। उसके बावजूद वे गंभीर अवस्था में भी जनसभा में व्यक्तिगत रूप से आए और जनसभा को चन्द शब्दों में सम्बोधित किया। उसके बाद स्वस्थ रहकर उन्होंने आगे का जीवन जीया।

मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के कल्याण की कामना करता हूं। उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करें, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारजनों को आप सभी की ओर से संवेदनाएं प्रेषित कर दी जाएंगी।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे कुछ क्षण के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए मौन धारण करें।

(सदन में उपस्थित सभी ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु कुछ क्षण के लिए मौन धारण किया।)

प्रश्नकाल
तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं. 1388

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह ठीक है।

लेकिन पिछले वर्ष जून में पैसा स्वीकृत हुआ था और उसमें से केवल मात्र पांच हैण्ड पम्प बार-बार बोलने के बाद लगाए गए। मेरा निवेदन यह है कि जब विधायक क्षेत्र विकास निधि से विभाग के पास समय पर पैसा पहुंच गया था तो समय पर ही इसके टैण्डर्ज हो जाने चाहिए थे।

14/02/2019/1135/MS/AG/1

लेकिन बरसात आने के बाद भी उसमें विलम्ब हुआ। मैंने अधिकारियों से सम्पर्क करके उनसे कहा कि इन टैण्डर्ज को लगा दिया जाए परन्तु उस समय वे न-नुकर करते रहे कि हमारे ऊपर बहुत प्रैशर है इसलिए हम नहीं लगा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विधायक निधि हम स्वीकृत करते हैं यदि उसके साथ इस प्रकार से राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी काम करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी तो मुझे लगता है कि इसमें टैण्डर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। वर्षा ऋतु के बाद भी तीन महीने बीत गए हैं इसलिए अब तक तो ये लग जाने चाहिए थे। अब दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कहा है कि ये लग जाएंगे लेकिन अगले महीने तो आचार-संहिता लग जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। मैं मंत्री जी से भी इस बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। हमारी ब्यास की स्कीम भी अभी तक सम्पूर्ण नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि इन हैंडपम्प्स को 31 मार्च, 2019 से पहले-पहले लगा दिया जाए क्योंकि इनके लिए पैसा स्वीकृत है, केवल टैण्डर्ज होने बाकी हैं। मेरी जानकारी में यह बात आई है कि जब मैंने प्रश्न लगाया उसके बाद आनन-फानन में 5 हैंडपम्प्स के और भी टैण्डर्ज कर दिए हैं लेकिन अभी भी 3-4 हैंडपम्प्स के टैण्डर्ज नहीं लगे हैं। मेरा निवेदन है कि इन टैण्डर्ज को भी जल्दी-से-जल्दी लगाया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि विधायकों द्वारा जिन कार्यों के लिए अपनी निधि से पैसा दिया जाता है, वे काम जल्दी होने चाहिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने ठीक ही कहा है कि विधायक निधि से पैसा दिया गया है। जब किसी कार्य के लिए विधायक निधि से पैसा दिया जाता है तो वह बड़ा संवेदनशील समय होता है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जो 13 हैंडपम्प्स का मसला है उनमें से कुछ तो लग गए हैं

बाकी जो शेष लगने को हैं, उनमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है क्योंकि पहले ही हमने टैण्डर्ज फ्लोट कर दिए हैं तथा वर्क भी अवार्ड कर दिया है। मैंने विभाग को भी पहले ही कह दिया है कि इसमें चुनाव आचार-संहिता का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है क्योंकि पैसा पीछे का दिया हुआ है और टैण्डर्ज हो चुके हैं तथा वर्क भी अवार्ड हो चुका है। इसलिए जो हमने आपको आश्वासन दिया हुआ है, उस समयावधि के अन्दर वे हैंडपम्प्स लगा दिए जाएंगे।

दूसरे, मेरे पास हैंडपम्प्स के वर्ष 2018-19 के आंकड़े हैं जोकि मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके चुनाव क्षेत्र बड़सर के ही आंकड़े रखूंगा। वहां कुल 107 हैंडपम्प्स लगे हैं। जिनमें वॉटर लैवल नीचे चला गया है ऐसे हैंडपम्प्स की संख्या 6 है। जहां एक्सैस आयरन की वजह से क्वालिटी की समस्या है ऐसे 54 हैंडपम्प्स हैं। जो पूरे प्रदेश के अंदर कुल 2890 हैंडपम्प्स लगे हैं उनमें चिन्ता का विषय यह है कि एक्सैस आयरन की वजह से 307 हैंडपम्प्स बन्द पड़े हैं। इसी तरह से पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से 295 हैंडपम्प्स बन्द हैं। अब हम अन्दाजा लगाएं कि अगर एक वर्ष में 307 और 295 हैंडपम्प्स को जमा करें तो लगभग 602 ऐसे हैंडपम्प्स हैं जो एक साल में लगे और एक साल में लगने के उपरान्त बन्द भी हो गए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर ये हैंडपम्प्स लगाए गए हैं अगर उसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो उनको लगाने का क्या फायदा है? मैं सदन को एन्श्योर करना चाहता हूं कि कल हमने एक मीटिंग की है जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी हाइड्रोलॉजिस्ट्स हैं, उन सबको बड़ा साफ कहा है कि जब आप किसी भी हैंडपम्प की साइट को आइडैंटिफाई करें तो

14.2.2019/1140/जेके/डीसी/1

आप एन्श्योर करें कि कितनी गहराई पर, कितने क्वॉन्टम में पानी उपलब्ध होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात हमने यह भी कही है कि जब उसकी खुदाई की जाती है, बोरिंग की जाती है, हमारे ध्यान में कभी-कभार ऐसी बातें भी आती हैं कि बोरिंग करने वाले जो कॉन्ट्रेक्टर्ज़ हैं, उनको जितनी गहराई तक जाना चाहिए, उतनी गहराई तक नहीं जाते । वे गहराई ज्यादा दर्शा देते हैं और कम गहराई तक ही वे अपनी पाइपें डाल देते हैं। हमने

उस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जब भी किसी हेण्डपम्प की बोरिंग की जाएगी, जो उस क्षेत्र का कनिष्ठ अभियन्ता होगा और उसके साथ-साथ जो नीचे का स्टाफ होगा, वे भी वहां पर खड़े रहेंगे ताकि जितनी गहराई तक बोरिंग होगी उतनी ही गहराई तक पाइप जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है जितना इसका दोहन होना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे भी 30 गुणा ज्यादा दोहन कर दिया है। हमारे अनेकों ऐसे सोर्सिज़ थे, जैसे बावड़ियां थी और हमारे कुएं थे, वे आज बहुत ज्यादा सूख चुके हैं। उनके सूखने का सबसे बड़ा कारण है जो हम लगातार धरती के सीने को छलनी कर रहे हैं। वैसे भी भारत सरकार की तरफ से ऐसे दिशा-निर्देश आए हैं कि ग्राउंड वाटर को बिल्कुल भी टच न किया जाए। जो भी कोई परियोजना बननी है उसमें केवल सर्फेस वाटर का ही इस्तेमाल करें, चाहे वह पीने के पानी की परियोजना है, चाहे वह सिंचाई की परियोजना है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि हम इसको अब ज्यादा आगे न बढ़ाएं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं हमारे से बढ़िया जानकारी किसी भी अधिकारी को हम लोगों के अपने-अपने क्षेत्र की नहीं है, जो जानकारी हमें है। आप ऐसा महसूस करें कि जहां पर हर हालत में पीने के पानी की समस्या है और यहां पर हेण्डपम्प लगना चाहिए। हाइड्रोलोजिस्ट को हमने दिशा-निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जहां पर धरती के नीचे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहां पर ही हम हेण्डपम्प लगाने का प्रयास करें। यह ठीक है कि उसमें थोड़ी सी चूक हुई है। उसके कई कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता । मैं ऐसा कहूं कि आपने इनको साइट चेंज करने के लिए कहा। यह कोई खास बातें नहीं है। माननननीय सदस्य, जो हमने आपसे वायदा किया है, उस वायदे के मुताबिक हम आपकी उसमें जरूर सहायता करेंगे।

अध्यक्षः वैसे तो यह प्रश्न स्पैसिफिक कान्स्टिच्वैंसी पर ही था लेकिन श्री राम लाल ठाकुर जी आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया और साथ में इन्होंने प्रदेश के बारे मे भी बताया कि यहां पर कितने हेण्डपम्प लगे हैं, उसके बारे में सूचना रखी है। मैं,माननीय मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो टैण्डर प्रक्रिया है यह पहले आपके ई.एन.सी. ऑफिस में होती थी और अब शायद चीफ इंजीनियर लैवल पर हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी टैण्डर प्रक्रिया चलती है, जिन दिनों में हैण्डपम्प लगना चाहिए, वह समय निकल जाता है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि यह जो टैण्डर प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा समय न लगे ताकि जरूरत वाली जगह पर ठीक मौसम में हैण्डपम्प लग सके?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर टैण्डर प्रक्रिया में कई बार देरी हो जाती है और जो कम्पनीज़ हैं, कान्ट्रैक्टर्ज़ हैं, उनको जब वर्क अवार्ड किया जाता है तो हमारा सीज़न निकल चुका होता है। **आपका जो सुझाव है इस पर पूर्ण विचार किया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि समय रहते वह टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।**

14-02-2019/1145/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 1389

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर) (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखा जा रहा है कि ठियोग निर्वाचन क्षेत्र में जिन स्कूल्ज़ में मेडिकल और नॉन-मेडिकल स्ट्रीम्ज़ हैं वहां पर बच्चों की एडमिशन दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस उत्तर के हिसाब से जिन स्कूल्ज़ में नॉन-मेडिकल की स्ट्रीम है अगर वहां पर मैथेमैटिक्स लैक्चरार है तो वहां पर फिजिक्स व कैमिस्ट्री के लैक्चरार नहीं हैं। ये काफी सालों से तकरीबन दो-दो साल से वहां पर पोस्टस वेकैंट हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप कब तक इन पोस्टस को भर देंगे?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, ठियोग चुनाव क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रीम 8 स्कूलों में है और नॉन मेडिकल स्ट्रीम 10 स्कूलों में है। ये जो 10 स्कूल्ज़ हैं इनमें मैथेमैटिक्स लैक्चरार की एक भी रिक्ति नहीं है। इनमें मैथेमैटिक्स की सारी की सारी पोस्टें भरी हैं। सिर्फ तीन

स्कूल्ज़ हैं जहां फिजिक्स लैक्चरार की रिक्तियां हैं। एक वीरगढ़, दूसरा नारकंडा और तीसरा सैंज। वीरगढ़ में 10.12.18 में ट्रांसफर से पोस्ट खाली हुई है। दूसरी नारकंडा में 1.10.2016 से नहीं है। सैंज में 04.05.2017 से फिजिक्स का लैक्चरार नहीं है। फिजिक्स की बाकी जितनी यहां पर पोस्टें सैंक्शंड हैं वे सब की सब भरी हुई हैं। कैमिस्ट्री की एक स्कूल में 20.08.2018 से रिक्ति है। मैं समझता हूं कि शिमला जिला में ठियोग निर्वाचन क्षेत्र सबसे लक्की निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर सारी-की-सारी सीटें भरी हैं। एक-दो खाली हुई हैं क्योंकि हमारे यहां प्रॅमोशन्ज़ हुई हैं और कुछ ट्रांसफर हो जाती हैं तथा कुछ रिटायरमैंट हो जाती हैं। **हमारी नॉन-मेडिकल और मेडिकल की टी0जी0टी0 की पोस्टस भरी जा रही हैं। उनमें से जो खाली भी हैं उनको हम शीघ्रातिशीघ्र भर देंगे।**

प्रश्न संख्याः 1390

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जो आप प्लांट मैटीरियल किसानों/बागवानों को देते हैं, उसमें आप किसानों/बागवानों की डिमांड कैसे इकट्ठी करते हैं? क्योंकि जो सूचना आपने दी है उसमें डिवैल्पमैंट ब्लॉक सलूनी में किसी को गलगल के 100 पौधे दिए हैं, अमरूद के 50 पौधे दिए हैं। इसी तरह से जो अन्य वैराइटीज़ हैं किसी में 5, किसी में 10 पौधे दिए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि होर्टिकल्चर राज्य बनायेंगे और अब 10-10 या 5-5 पौधे बांटकर क्या आप हिमाचल को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? आप फार्मर्ज़ से डिमांड लेने की क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं?

14.2.2019/1150/केएस/एचके/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, भाई जगत सिंह नेगी जी की चिंता बिल्कुल सही है। प्रदेश कैसे बागवानी की तरफ बढ़े, इसके लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों के अंतर्गत श्रीमती आशा कुमारी जी ने जो अपना प्रश्न पूछा है, वह विशेषकर सलूणी विकास खण्ड का है। वहां के बागवानों और किसानों ने बागवानी को अपनाने के लिए पौंधों के लिए अपनी डिमांड्ज़ भेजी हैं जिनमें से अधिकतर पूरी कर दी गई हैं। उसमें कुछ हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कुछ सेब और दूसरी प्रजाती के फलदार पौधे हैं। मैं

समझता हूं कि जितने उन्होंने पौधे मांगे थे, कुछ पौधों को हमने मॉनसून सत्र के दौरान दे दिया है और शेष बचे हुए पौधों को हमने अभी-अभी वहां पहुंचा दिया है, उनको दे दिए हैं। इसके अलावा अगर माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि आपका विभाग किसानों से जो डिमांग कलैक्ट करता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या आपके एच.डी.ओज़. पंचायत के माध्यम से या हर किसान के घर जा कर डिमांड इकट्ठा करते हैं? यह नहीं हो सकता कि कुल 50 पौधों की डिमांड हो या 10 पौधों की डिमांड हो। तो आप मुझे यह बताएं कि किसानों की तरफ से आने वाली डिमांड कलैक्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हरेक विकास खण्ड के अंदर कई जगह एच.ए.ओ. है, कई जगह एच.डी.ओ. है और कई जगह एस.एम.एस. भी उनके ऊपर हैं। जो वहां का उन सभी का कार्यक्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान हैं, वे कितने पौधों की डिमांड करते हैं, उस डिमांड को एच.ए.ओ., एच.डी.ओ. और एस.एम.एस. इकट्ठा करके डिप्टी डायरैक्टर को भेजते हैं। डिप्टी डायरैक्टर से डिमांड डायरैक्टरेट को आती है। उसके उपरांत जब डायरैक्टरेट में डिमांड आ जाएगी फिर हम देखते हैं कि हमारे पास नर्सरियों में कितने पौधों की उपलब्धता है। कई बार डिमांड ज्यादा आती है और हमारे पास पौधों की उपलब्धता अगर कम होगी तो हम उस अनुपात में उन पौधों का वितरण उस विकास खण्ड के जो हमारे किसान हैं जो बागवानी करना चाह रहे हैं, उनको करते हैं।

अध्यक्षः जगत सिंह जी, अब हो गया। बता तो दिया मंत्री जी ने। ठीक है, अन्तिम सप्लीमेंटरी।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, यह होर्टिकल्चर का मामला है। मैंने माननीय मंत्री जी से स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछा है कि यह डिमांड कलैक्शन के लिए आप क्या प्रक्रिया

अपनाते हैं? हर गांव में तो आपका एच.डी.ओ. नहीं है, एस.एम.एस. नहीं है तो क्या आप यह सूचना सभा पटल पर रखेंगे कि सलूणी ब्लॉक में एच.डी.ओ. ने कितने लोगों से डिमांड्ज़ ली? वह तो आप बता ही नहीं रहे हैं कि प्रक्रिया क्या है। आप ऐसे ही हवा में कह रहे हैं। तो आप बताएं कि इसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, क्या आप डिटेल्ड रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, नेगी जी इस विधान सभा के पुराने सदस्य हैं। मैंने कहा जो हमारा सरकारी तंत्र है, हरेक विकास खण्ड में मैंने कहा कि होटिकल्चर ऐक्सटेंशन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर होर्टिकल्चर डवैल्पमैंट ऑफिस होता है, उसके ऊपर एस.एम.एस. है।

14.2.2019/1155/av/hk/1

अब आप ऐसे कहें कि होर्टिकल्चर ऐक्सटैंशन ऑफिसर या एच0डी0ओ0 वहां विकास खंड के हर व्यक्ति के पास पहुंचे; यह तो सम्भव नहीं है। वहां पर एक-दो पंचायतों के किसानों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बागवानी स्तर पर यदि आप किसी प्रकार के पौधे लगाना चाहते हैं तो आप लोग डिमाण्ड भेजिए और वहां पर उनकी ही डिमाण्ड कॉलैक्ट की जाती है। उसी डिमाण्ड को ऊपर भेज दिया जाता है, जैसे मैंने कहा है। इस तरीके से यह एक प्रक्रिया है और फिर पौधों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास कितने पौधे हैं; उस हिसाब से पौधे बांट दिए जाते हैं।

प्रश्न संख्या : 1391

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आप यह देखिए कि इसमें प्रशासन की वहां पर कितनी लापरवाही रही है। एन0जी0टी0 की तरफ से वर्ष 2017 में फाइनल ऑर्डर आए थे कि आप इस बारे में दो हफ्ते में ऐक्ट कीजिए। उस आदेश को आए हुए अब दो वर्ष होने वाले हैं और अभी भी माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया कि

गारबेज साइट ढूंढने पहले आप बजौरा में गये फिर लग वैली में गये। अब ये पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं और वह भी आधी-अधूरी बता रहे हैं। यहां पर मुख्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। वहां पीरड़ी साइट पर संयत्र लग चुका है और उसमें डेढ़ करोड़ रुपये नॉर्वे सरकार की ओर से खर्च हो चुके हैं। उसके साथ में वहां इनसीनरेटर भी लगा हुआ है। वास्तव में हुआ क्या, वहां कुछ प्रोपर्टी डीलर्ज ने उस जमीन का लैण्ड ट्रांसफर करके, वहां जो आबादी है वह आधा किलोमीटर दूर है। वहां पर सटी हुई आबादी बिल्कुल नहीं है फिर पहली बात तो यह है कि वहां पर गंदगी फैली क्यों? मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि क्या उस बारे में सरकार जागेगी क्योंकि वहां पर अब महामारी जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अभी तो सर्दी का महीना है मगर आगे जैसे ही टूरिस्ट सीजन आयेगा पूरे कुल्लू-मनाली और यहां पर केवल कुल्लू का गारबेज नहीं पड़ता बल्कि बजौरा से लेकर पतली कूहल तक का गारबेज आ रहा है। इस बारे में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। तो क्या सरकार इस बारे में कोई ऐक्शन प्लान तैयार कर रही है?

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कचरे की समस्या है तो यह पूरे प्रदेश की समस्या है। अभी जो प्रश्न किया गया है उसमें कुल्लू के पीरड़ी गांव में काफी पहले से कचरा इकट्ठा होता है। जहां तक भुन्तर की बात है तो वहां पर विभाग ने एक तो बजौरा जगह सलैक्ट की है और

कुल्लू में नई जगह पीज सलैक्ट की है, विभाग को कोई आक्षेप नहीं है और आजकल जिस तरह से एन0जी0टी0, हाईकोर्ट कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उन आदेशों के मुताबिक यह जिम्मेदारी संबंधित प्रधान व विधायक की भी बनती है। आपने केवल प्रश्न किया है, आपको इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए था। जो वहां पंचायत के प्रधान हैं, अगर वे विभाग को काम करने के लिए एन0ओ0सी0 नहीं देंगे तो विभाग उस काम को कैसे कर सकता है?

दूसरा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और एन0जी0टी0 कचरा प्रबंधन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके लिए एफिडेविट भी मांग रहे हैं। दिनांक 26 मार्च, 2019 को हाईकोर्ट में केस लगा है। अगर कोई पंचायत लैंड का एन0ओ0सी0 नहीं दे रही है तो इसके लिए 26 मार्च को हाईकोर्ट ने वहां के कंसंर्ड डी0सी0 और प्रधान को कोर्ट में बुलाया है कि किस कारण से वे लैंड का एन0ओ0सी0 नहीं दे रहे हैं? यदि एन0ओ0सी0 ही नहीं मिलेगा तो विभाग काम कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कि कचरा पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। इसकी जिम्मेदारी जहां हम सबकी है, वहीं कंसंर्ड प्रधानों और विधायकों की भी है। हर जगह पर यह समस्या आ रही है और हम शहर को साफ भी रखना चाह रहे हैं। एन0जी0टी0, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक कानून 2016 का है, हम इन सबको मानते हैं। यह हमारे लिए भी बाइडिंग है और उन पंचायतों के लिए भी बाइडिंग है। यदि ये लोग विभाग की बात नहीं मानेंगे तो कोर्ट इसमें सख्त कदम उठाएगा।

प्रश्नकाल समाप्त

कागजात सभापटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2016-17 एवं 2017-18; और

ii. हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

i. समिति का 40वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के

ii. वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का 41वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 42वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट) कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए ।

कर्नल इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि उसे अंगीकार किया जाए ।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने षष्ट्म प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत हैं।"

तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने षष्ट्म प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत हैं।"?

(प्रस्ताव स्वीकार)

14-02-2019/1205/NS/YK /1

विधायी कार्य

<u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश राजभाषा हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) पुरः स्थापित हुआ।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान शिमला के आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तरफ खींचना चाह रहा हूं। दिनांक 11 फरवरी, 2019 के दैनिक जागरण नामक अखबार में फर्स्ट लीड खबर छपी हुई है कि शिमला से छिन्न जाएगा आरट्रैक। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे मीडिया के स्रोतों से भी लगातार इस बारे में चर्चाएं आ रही हैं। मैंने इस बारे में नियम-62 के तहत नोटिस दिया था। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात को रखने की इजाज्त दी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मेरे पास नोटिस तो नहीं आया है लेकिन आप अपनी बात बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। शिमला का आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला के वैभव और गौरव के साथ जुड़ा हुआ है और यह शिमला का एक इतिहास है। अब ये चर्चाएं आई हैं कि इसको अंबाला में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले चर्चाएं आईं थी कि इसको गया में ले करके जा रहे हैं और अब इसे अंबाला ले करके जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा संस्थान हिमाचल प्रदेश

से छिन्न जाएगा। हालांकि, आंतरिक सूत्र तो यह कहते हैं कि इस बारे में फैसला हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में अधिकृत जानकारी रक्षा मंत्रालय से ले सकते हैं और माननीय मंत्री जी से हासिल करके इस माननीय सदन को बता सकते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी यह बात होगी। क्योंकि इनसे भी इसके लिए लोग मिले होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि अगले छः महीने के भीतर आरट्रैक का पूरी तरह से स्थानांतरण हो जाएगा। सेनाध्यक्ष माननीय विपिन रावत जी ने इसका पूरा मसौदा तैयार करके इसे आर्मी हैडक्वाटर के साथ मर्ज़ करके कोई नया प्रस्ताव दिया है।

14.02.2019/1210/RKS/AG-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, Artrac 31 मार्च, 1993 को शिमला में आया था। Artrac को आए हुए 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और यहां पर इसकी सिल्वर जुबली भी बनाई जा चुकी है। यहां पर सेना का प्रशिक्षण और युद्ध नीतियां बनाई जाती रही है। सन् 1864 से सन् 1939 तक भारतीय सेना का मुख्यालय शिमला में रहा और उसके बाद यहां पर Western Command आई। सन् 1954 से 1985 तक यहां पर Western Command रही फिर बाद में उसे चंडी मंदिर शिफ्ट कर दिया गया। युद्धों की योजनाएं यहां पर बनाई जाती रही है। शिमला में यह आर्मी का बहुत बड़ा थिंक टैंक स्थापित है। इसकी सिल्वर जुबली मनाने के लिए जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल दीपक कपूर, जनरल जे.जे. सिंह यहां आए और इन लोगों ने कहा कि Artrac के लिए शिमला बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहां पर ठंडी हवाएं, अच्छा वातावरण और सोचने के लिए उपयुक्त माहौल है। जितने भी जनरल यहां पर आए उन सभी ने शिमला को सबसे उपयुक्त स्थान करार दिया है। सिल्वर जुबली बनाने के बाद इस स्थान को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह मिलिट्री के आंतरिक मामला है कि उन्हें किस स्थान को चयन करना है। लेकिन Artrac यहां से शिफ्ट होता है तो शिमला को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह शिमला के गौरव का मसला है। आउटसोर्स के माध्यम से यहां पर लगभग एक हजार लोग कार्य कर रहे हैं। अगर यह संस्थान यहां से शिफ्ट किया जाता है तो इससे उन लोगों का रोजगार

छीन जाएगा। यह दलील दी जा रही है कि कोई छोटा संस्थान यहां पर आ सकता है। पहले Western Command चली गई और अब Artrac भी शिफ्ट कर दिया गया तो यह शिमला के लिए उचित नहीं होगा। जैसे सतलुज जल विद्युत निगम के विलय के प्रस्ताव आ रहे हैं, यह ऐसा ही मसला है। उस बात को भी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया था। यह आर्मी से जुड़ा हुआ संस्थान शिमला के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाता है और इसको शिफ्ट करने से रोका जाए। मेरा आग्रह है कि यदि आप इसमें हस्तक्षेप करें तो हिमाचल प्रदेश से एक संस्थान बाहर जाने से बच सकेगा। इससे हिमाचल के लोगों के रोजगार भी सुरक्षित रहेंगे। यह कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग डायरैक्ट्रेट प्लस Artrac को मर्ज कर अम्बाला शिफ्ट किया जाएगा और इसकी तुलना में कोई छोटा-सा संस्थान यहां पर आ सकता है। इस बात से आर्मी जगत के लोग बहुत परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश ने आर्मी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आजादी से पहले आर्मी हैड क्वार्टर शिमला में रहा है और युद्ध नीतियां भी यहां बनती रही है। सन् 1965 और सन् 1971 के युद्धों की रणनीतियां भी यहां पर बनाई गई और आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड को यहां से तबदील किया जा रहा है? मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन के ध्यान में लाया है। मैंने समाचार-पत्र में यह खबर पढ़ी है। इस संदर्भ में पिछले कल लोगों का एक डैलिगेशन मुझ से मिलने आया था, जिसमें आर्मी के वर्तमान अधिकारी और कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल थे। उन सब लोगों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर आज तक कोई ऑफिसियल कम्युनिकेशन या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लेकिन उसके बावजूद मैं महसूस करता हूं क्योंकि शिमला का आर्मी कमांड का हमारा संस्थान बहुत महत्व का है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है और ऐतिहासिक महत्व के अलावा मैं महसूस करता हूं कि सामरिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्व का विषय हम सब लोगों के लिए है। डिफैंस की कुछ चीजों को ले करके अपनी एक आंतरिक नीति होती है। उस संदर्भ में यह परिस्थिति आई होगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा व्यक्तिगत रूप में मानना है कि जो आरट्रैक हमारा प्रभावशाली संस्थान है वह यहां से नही जाना चाहिए। मैं इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाउंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को ही डिटेल में कुछ बात-चीत हुई है। मैं केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा, यदि इस संदर्भ में कुछ लिखकर भेजने की भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मैं लिखकर भी भेजूंगा और उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इस संस्थान को किसी भी सूरत में शिमला से स्थानांतरित न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल एक छोटा प्रदेश है परंतु हमारे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम हिस्सेदारी है। मुझे इस बात को ले करके यह भी कहना है कि इस हिस्सेदारी को हमारे देश दजरअदांज नहीं कर सकते। माननीय प्रधान मंत्री जी अभी धर्मशाला आए थे तो उन्होंने भी सारी बात का जिक्र किया और जो हमारे सैनिकों की देश की सुरक्षा के लिए भागीदारी है उसे भी स्मरण किया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि सरकारी स्तर पर या जिस भी स्तर पर इस मामले को उठाने की आवश्यकता होगी इस मामले को उठाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी सूरत में यह संस्थान यहां से बदल कर दूसरे स्थान के लिए न जाए।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एस.जे.वी.एन.एल. के संबंध में कहा है । इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी से बात-चीत की है ।

प्रधान मंत्री जी को लिखा है और केन्द्र सरकार को भी लिखा है । व्यक्तिगत रूप से भी बात की है। माननीय अरूण जेटली जी से भी बात की है। मैंने एतराज जाहिर किया है कि किसी भी सूरत में हमारा एस.जे.वी.एन.एल. का विलय एन.टी.पी.सी. के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मौटेतौर पर जब हमने इसमें चर्चा की है तो चर्चा करने के बाद, उनके साथ संवाद स्थापित होने के बाद और पत्राचार के बाद इस विषय पर दोबारा चर्चा आगे नहीं बढ़ी है, वह वहीं पर रुकी है। इसी संदर्भ में मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा आरट्रैक का संस्थान है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी भी सूरत में यहां से न जाए और इसके लिए चाहे प्रधान मंत्री जी से बात करने की आवश्यकता होगी, चाहे रक्षा मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से करेंगे।

गैर सरकारी सदस्य कार्य-संकल्प

अध्यक्ष : आज गैर सरकारी सदस्य दिवस है, इससे पूर्व की उसको प्रारंभ करें, मैं एक शुभ सूचना देना चाहूंगा। शिक्षा विभाग के लिए भी बधाई का विषय है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में हिमाचल का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद है और उन्होंने प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन अपने स्कूल से शुरू किया है। जो स्कूल की पाठशाला वहां लगेगी उसे 14 बच्चे उस रेडियो स्टेशन से रन करेंगे और जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा वह रेडियो स्टेशन के माध्यम से आज बाहर जाना शुरू होगा। देश में कुल 6 रेडियो स्टेशन इस प्रकार के हैं। आज "हैलो मोगीनंद" के नाम से बहुत से समाचार पत्रों में यह खबर भी लगी है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं।

आज गैर सरकारी कार्य दिवस है, अब श्री लखविन्द्र राणा जी द्वारा 08.02.2019 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री जी उत्तर देंगे।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी ने जो संकल्प के माध्यम से विषय चर्चा में लाया है जिसमें बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए और सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें, उसमें माननीय सदस्य किशोरी लाल जी, आदरणीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने, आदरणीय हीरा लाल जी ने और माननीय सदस्य रमेश ध्वाला जी ने भाग लिया है, मैं इन सबका अभारी हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव इस माननीय सदन में आए है और इन बहुमूल्य सुझावों के अनुरूप इस नीति के ऊपर सरकार के माध्यम से क्या हो रहा है , मैं इसके लिए यह कहना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा सभी जानते है पुरे ब्रम्हाड में लगभग सभी स्थानों में उपलब्ध है और इसकी वजह से जब मैंने कहा की पिछली बार मुझे अदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने समय मिला था। तो उन्होंने एक बात कही थी 'One World, One Sun, One Grid'. मैंने प्रधानमंत्री जी के इस विचार को सुन कर यह सोचा कि क्या कह रहे हैं। उनका मतलब था कि यह सूर्य पूरे संसार के अन्दर उपलब्ध है। कहीं डूबता है तो कही ऊगता है। जब हम सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन करते है, उसे हम केवल दिन के समय ही कर सकते है जब सूरज ऊगता है। परन्तु संसार की बात करें और एक ग्रिड से संसार जुड़ जाए तो एक सोलर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ग्रिड के माध्यम से ले जा सकते है मैं जानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम केन्द्र सरकार के माध्यम से और इसका सुभारंभ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के मिशन के रूप में वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और इसमें हालांकि प्रदेश के अन्दर वर्ष 1989 में ही इसका शुभारंभ कर दिया गया था और इसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से जो उपक्रम दिए जाते थे उसका शुभारंभ तो किया गया परन्तु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 के ऊपर एक टारगेट रखा गया था कि 20 हजार मेगावाट बिजली जो दोहन करेंगे उसे सौर ऊर्जा से करेंगे और उसके लिए क्योंकि आपने कहा कि कोई नीति बनानी चाहिए ।मैं बताना चाहता हूं वर्तमान में केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2022 तक का टारगेट जो है 1 लाख 75 हजार मेगावाट तक कर दिया गया है इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा का दोहन हम कैसे करें और उसके लिए भी

लगातार जो प्रयास केन्द्र सरकार के माध्यम से किए जा रहे है उसमें Renewable Power Purchase Obligation जो सभी प्रदेशों को DISCOM जितने भी हैं उनको करना पड़ेगा

उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं जो सोलर के लिए 2016-17 में हमने 2.75 प्रतिशत रखा था और नॉन सोलर के लिए 8.75 प्रतिशत रखा गया था। जिसमें हमारे हाईडल 25 मैगावाट के प्रोजैक्ट्स आते हैं उसमें शामिल हैं। परंतु वर्ष 2017-18 में इसको बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत किया गया और नॉनसोलर को 9.50 प्रतिशत किया गया है और लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2018-19 में हमने इसको 6.75 बढ़ा दिया और नॉनसोलर को मात्र 10.25 प्रतिशत बढ़ाया गया और इसको बढ़ाते-बढ़ाते वर्ष 2021-22 तक इसका टारगेट जो है वह 10.50 प्रतिशत का है।

14-02-2019/1225/डी.सी./एन.जी./1

इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर और नॉनसोलर का Renewable Power Purchase Obligation है इसको 10.50 प्रतिशत बढ़ाकर दोनों को बराबर कर दिया गया है। सोलर के प्रति किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इसका एक प्रारूप केन्द्र सरकार के माध्यम से किया गया है । जब मैने इस विभाग को सम्भाला तो बहुत से लोग मेरे पास आते है और कहते हैं कि हमें सोलर लाईट दे दीजिए, जगह-जगह हम सोलर लाईट का काम करेंगे, सोलर लाईट लगाऐंगे। मेरे ध्यान में एक बात आती रही कि पांच साल तक तो हम उसको मैनटेन करते हैं, मैं जब पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग का मन्त्री रहा तब मैने उसमें प्रावधान किया था कि पंचायतो के अन्दर 14वें वित्तायोग से 30 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था । उसमें पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने आप ही सोलर लाईटस ली गई, जिसका रखखाव करना मुश्किल हो रहा था । इस प्रावधान करने का मतलब था कि हम किस तरीके से सोलर को आगे ले जाऐं और उसके लिए मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर बिजली का उत्पादन हाईड्रो सैक्टर से हम करते हैं उसको हम विभाग के माध्यम से डोमैस्टिक सैक्टर में बेचते हैं और सस्ती दर में बेचते हैं। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जब हम 0 से 60 युनिट तक बिजली उपयोग करते

हैं तो उसका रेट 3.30 पैसे है और इसमें हम 2.30 पैसे सबसीडी देते है इसलिए यह केवल 1 रूपये में उपभोक्ता को मिलती है । जब हम 61 से 125 युनिट तक उसे उपयोग करते हैं तो उसका रेट 3.90 पैसे है और इसमें हम 2.40 पैसे सबसीडी देते है इसलिए यह केवल 1.5 रूपये प्रति युनिट में उपभोक्ता को मिलती है । जब हम 126 से 300 युनिट तक उसे उपयोग करते हैं तो उसका रेट 4.80 पैसे है और इसमें हम 1.90 पैसे सबसीडी देते है इसलिए यह केवल 2.90 रूपये प्रति युनिट में उपभोक्ता को मिलती है । इसके इलावा 300 युनिट से उपर बिजली उपयोग करने पर हम उपभोक्ता को 1.05 रूपये प्रति युनिट सबसीडी देते हैं । मेरे कहने का मतदल है कि हमारे प्रदेश सोलर के प्रति लोगों का झुकाव क्यों नहीं आ रहा है उसका कारण है कि हम उसे सस्ती बिजली देते हैं । पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्दर प्रदेश सरकार ने 475 करोड रूपये की सबसीडी डोमैस्टिक उपभोक्तओं को दी हैं और 475 करोड रूपये का दबाव सरकार के उपर पडा है । इससे भी पिछले वर्ष के अन्दर लगभग 450 करोड रूपये सबसीडी दी गई। यह सब डोमैस्टिक उपभोक्तओं को प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है और यह हर साल बढ रहा है । एक वर्ष के अन्दर यदि 25 करोड रूपये बढता है तो इसका मतलब है कि हमारे डोमैस्टिक उपभोक्तओं के उपर दबाव न पडे इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास करती रहती है । मैने जब इस विभाग को सम्भाला और लोग मेरे पास आ कर कहते थे कि हमे सोलर लाईटस दीजिए और मैने महसूस किया कि सोलर लाईट जो हम लगाते हैं वह कुछ वर्षो के बाद शो-पीस बन कर रह जाते हैं । कई जगह उनकी बैटरी निकाल कर ले जाते हैं । पुरे प्रदेश के अन्दर जिस तरीके से सोलर लाईटस लगाई गई उससे मैने इस बात को देखा, महसूस किया । हमारी नीति 2010 में हुई, 2014 में इसमें बदलाव किया गया, 2016 में इसमें बदलाव किया गया, 2018 में भी हमने इसमें बदलाव करने का प्रयास किया क्योंकि इसको ग्रीड से जोडने की हमने बात की है ।

14/02/2019/1230/RG/HK/1

सोलर लाईट को यदि ग्रिड से जोड़ दिया जाए और यदि हम इसको रूफ टौप पर लगाते हैं, उसके बाद यदि इसको टू-वे मीटर से जोड़ा जाता है, जब ऐसी प्रक्रिया में हमने इसका काम शुरू किया और जब हम इसको टैकनीकली करना चाहते हैं तो मैं जानता हूं कि पिछले वर्षों में पूर्व सरकार के समय में बहुत सारा पैसा इसमें क्यों नहीं लग रहा था? यह सबसे बड़ा प्रश्न था। जब मैंने इस बात का संज्ञान लिया और इसको देखा तो यह कहा गया कि जो डोमेस्टिक में पांच किलोवाट का लोड सैंक्शन होता है तो मात्र तीस प्रतिशत उसके ऊपर सोलर का रूफ टौप लगाया जाएगा। यदि हम अपने हिसाब से यह कैलक्युलेट करें तो मात्र डेढ़ किलोवाट का रूफ टौप लगता था। हमने देखा कि लोग इसके लिए आगे आने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने पिछले वर्ष के बजट में लगभग चार हजार रुपये मैक्सिमम लिमिट का एक किलोवाट में उन्होंने प्रावधान किया। तो इसमें 70 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार दे रही है और दस प्रतिशत या मैक्सिमम चार रुपये का प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया है लेकिन फिर भी लोगों का रुझान इस तरफ नहीं आ रहा था। मैंने इसके लिए हि.प्र. इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमीशन से बात की और उनसे पूछा कि क्या हम इस बार इस प्रणाली को चेन्ज कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इससे बिजली बोर्ड को घाटा होगा। मैं जानता हूं कि सरकार में जब काम करने का प्रयास किया जाता है तो अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास जो आंकड़े लाए जाते हैं, हमें उन्हें भी देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि हम दोहन करेंगे तो इससे बिजली बोर्ड को घाटा होगा। मैंने कहा कि यदि हम इसका दोहन करते हैं और दोहन करने के लिए सबसे बड़ी बात कि जो हमने इसमें 30 प्रतिशत की शर्त लगी रखी है, इसको बदलने की बात है और हमने रैगुलेट्री कमीशन से बात करके इसमें बदलाव किया। इसमें बदलाव किया कि यदि इसका लोड पांच किलोवाट होगा, तो उसमें सौ प्रतिशत पांच किलोवाट का रूफ टौप हम ऊपर लगाएंगे। इससे बढ़कर यदि पांच से दस किलोवाट का होगा तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है, सौर ऊर्जा सयंत्र की क्षमता 70 प्रतिशत या 5 किलोवाट, जो भी ज्यादा हो, रहेगी और लोड दस किलोवाट के ऊपर हो, तो सौर ऊर्जा संयत्र की क्षमता स्वीकृत लोड का 50 प्रतिशत या सात किलोवाट, जो भी अधिक हो, रहेगी।। तो टू-वे मीटर के हिसाब से हमने इसमें प्रावधान करने का प्रयास किया। हमने मण्डी, शिमला और सभी जिलों में इसका प्रचार-प्रसार करना शुरू किया। जब मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात कर रहा था तो मैंने यह भी बात की, मैंने उनको कहा कि जो बीस प्रतिशत कंज्युमर लगाता है,

उसको हम किस तरीके से लाभ दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमने बोर्ड की बात भी देखनी थी और इस बारे में हमने रैगुलैट्री कमिशन से भी चर्चा की कि यदि ये बिजली पैदा करेंगे तो उसको कौन लेगा? बिजली बोर्ड ने कहा कि हम इस बिजली को नहीं खरीद सकते, हम नहीं लेंगे। मैं इस बात को सदन के सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि इस पौलिसी के ऊपर मैंने कहा कि यदि बीस प्रतिशत कंट्रीब्युशन डोमेस्टिक में एक कंज्युमर कर रहा है, तो उसके लिए प्रावधान करने की जरूरत है और रैगुलैट्री कमिशन ने इस बात को माना। इसलिए यदि आज हम ज्यादा बिजली पैदा करते हैं और जो रैगुलेट्री कमिशन रेट डिसाइड करेगा, उसके अनुसार उसको बिजली बोर्ड खरीदेगा। इसलिए डोमेस्टिक के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं, मैंने कहा कि डोमेस्टिक में जब हम रूफ टौप लगाएंगे, तो एक साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास करेंगे। एक साल तक प्लस-माइनस होगा। यदि बिजली बोर्ड कंज्युमर को ज्यादा बिजली देगा तो उसके ऊपर बिल चार्ज करेगा और यदि हमने रूफ टौप पर ज्यादा बिजली पैदा कर ली तो रैगुलेट्री कमिशन जो डिसाइड करेगा, बिजली बोर्ड उसके ऊपर पैसा देगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने 1,75,000 मेगावाट का टारगेट रखा है वह टारगेट तभी अचीव कर सकते हैं जब हम पॉलिसीज़ के ऊपर विचार करने का प्रयास करेंगे। मैंने कोशिश की और मैंने यह भी कहा कि हमें सरकारी भवनों में और साथ में मैंने जो यह कंसेप्ट बनाने की बात की थी, यह कंसेप्ट जो आप कहते हैं कि हम गांव के अंदर हमें सोलर लाईट दी जाए। मैंने सोचा कि सोलर लाईट देने की जगह हम एक नए कंसेप्ट के साथ में प्रदेश में जाना चाहते हैं। इस पर विचार-विमर्श चलता रहा और मैंने कहा कि हम गांव में सोलर लाईट के माध्यम से जितने भी हमारे बिजली बोर्ड के पोल

14/02/2019/1235/MS/एच0के0/1

लगे होते हैं और जो दूसरे पोल लगे होते हैं, उनके माध्यम से हम सोलर लाइट्स लगाकर बिजली पैदा करेंगे। इस तरह से हमने प्रदेश में स्ट्रीट लाइट का कन्सैप्ट लाने का प्रयास किया है। जो रिन्यूअल पावर परचेज ऑब्लिगेशन हमारी बढ़ती जा रही है, उसको भी इससे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि विधायक हमें कहेंगे कि हमारे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविजन करना है तो उसी हिसाब से उसका ऐस्टीमेट तैयार करेंगे।

हमने टैण्डर प्रोसैस शुरू कर दिया है क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया कि 6 मीटर पोल के ऊपर सोलर लाइट्स लगाएंगे परन्तु कन्डक्टर के माध्यम से हमने जो टू-वे मीटर का प्रावधान करना है, वह 8 मीटर पर लगता है। हमारे पास कण्डक्टर और पोल का मटीरियल जब आ जाएगा तो हम इसको पंचायतों में करने का प्रयास करेंगे यानी प्रदेश में इसके माध्यम से एक ऐसी कोशिश होगी जिससे प्रदेश के हर गांव के अंदर यह पहुंच जाए। फिर यह बैटरी से ऑपरेट नहीं होगा बल्कि कण्डक्टर के माध्यम से, टू-वे मीटर के माध्यम से इसको ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे।

बहुत से लोगों के सुझाव आए कि सोलर गीजर के ऊपर सब्सिडी का प्रावधान किया जाए। पूर्व में सोलर गीजर लगा करते थे और सोलर गीजर के माध्यम से प्रदेश के अंदर लोगों को फायदा भी होता था, इस बात को मैं इस सदन में बताना चाहता हूं। लेकिन अगर सोलर गीजर लगाएंगे तो हर साल मैंटीनैंस की बात आती है। लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। मैंने देखा है कि सोलर गीजर की जगह अब एक अल्टरनेटिव हीट-पम्प आता है जिसकी कपैस्टी 100 लीटर से लेकर 500 लीटर तक होती है। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसमें सब्सिडी नहीं होगी परन्तु उसका बिजली का खर्चा मात्र 20 परसेंट है। अगर आपकी बिजली गीजर के अंदर 100 परसेंट खर्च होती है तो उसमें मात्र 20 परसेंट खर्च होगी। इसमें आप रूफटॉप से बिजली पैदा कर सकते हैं और हीट-पम्प के माध्यम से आप पानी गर्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे साइंस बढ़ती जाती है वैसे-वैसे परिवर्तन आता जाता है। हमारा प्रयास नई चीज के लिए होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब पीछे मेरे ध्यान में आया कि आवारा पशुओं की वजह से पैदावार नहीं हो रही है, खेती उजड़ रही है, हमारे पास ऐसे खेत बेकार पड़े हैं जहां हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं तथा उत्पादन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां या तो आवारा पशुओं की समस्या है या बंदरों की समस्या है। तब मैंने सोचा कि हमारे ऊपर रिन्यूअल पावर परचेज ऑब्लिगेशन लगी हुई है और वर्ष 2022 तक साढ़े दस परसेंट अधिक हमने इसको एचीव करना है। उस टारगेट को एचीव करने के लिए हमारे पास क्या है? हमने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर टैण्डर्ज किए और इसमें बहुत से लोग आगे आए भी हैं। यदि हम हाइडल सैक्टर की बात करते हैं तो आपने प्रदेश के अंदर हाइडल पॉलिसी के लिए मेरा बहुत विरोध किया था। पानी या सोलर लाइट हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं इसलिए इनका

हमें दोहन करना चाहिए। परन्तु दोहन करने के ऊपर हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी चेतावनी है। हाइडल सैक्टर में 10 से 12 करोड़ रुपये पर-मेगावाट खर्च आता है। हमारा 20 बीघे पर 1 मेगावाट सोलर लाइट्स का प्लांट लग सकता है। परन्तु हमने फिर भी प्रयास किया है कि 250 किलोवाट या 500 किलोवाट के छोटे-छोटे युनिट्स लगाए जाएं ताकि इससे प्रदेश के नौजवान अपनी आय के साधन पैदा कर सकें। इसमें बहुत से नौजवान आगे आए भी हैं। सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने भी कहा कि इसमें खर्चा ज्यादा आता है। मैंने इसको कैल्कुलेट करने का प्रयास किया है कि यदि हम 100 परसेंट लोन 9.50 परसेंट पर लेते हैं और जो हमारी जमीन बेकार पड़ी है,

14.2.2019/1240/जेके/वाईके/1

मैं उसमें ज़मीन की कीमत नहीं डालना चाहता क्योंकि वह ज़मीन बेकार पड़ी है, उसमें कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, हम उससे बाहर चर्चा करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 सालों के अन्दर जो 250 किलोवाट या 500 किलोवाट का यूनिट है, यह आमदनी का ज़रिया 10 सालों के बाद टोटल इन्कम में आ जाएगा। उसमें जितना भी लोन विद इन्ट्रस्ट लिया है, वह सारा री-पे हो जाएगा और 10 साल के बाद आय का साधन हो जाएगा। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि 20 सालों तक 80-90 परसेंट तक इसमें एनर्जी पैदा होती है। 20 साल के बाद 60 से 70 परसेंट एनर्जी हम इसमें पैदा कर सकते हैं और 25 साल के बाद घट सकती है लेकिन फिर भी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी के माध्यम से प्रदेश के अन्दर हम कितना ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं और रोजगार के साधन पैदा कर सकते हैं। इस सोच के साथ हम इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हाउस के अन्दर इस बात को भी लाना चाहता हूं कि सरकार की एजैंसीज़ इसके ऊपर इन्वॉल्व होने की बात है। मैं ऊना जिला का आभारी हूं, जिन्होंने एक सोच के साथ काम किया है। 14वें वित्तायोग से सवा करोड़ रुपये में 60 परसेंट केन्द्र सरकार खर्चा करेगी और 40 परसेंट स्टेट गवर्नमैंट की एजैंसी या विभाग उसमें खर्च करना चाहे, वह कर सकते हैं, उन्होंने प्रयास किया और मुझे मालूम है कि 14वें

वित्तायोग में हमने प्रावधान रखा है कि आप उसमें से यदि पैसा देते हैं, सवा करोड़ रुपये उन्होंने दिया है और जितने भी पंचायत घर, जितने भी जिला परिषद के भवन हैं, उन सभी के ऊपर सोलर रूफ टॉप लगाने का काम शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिमला में हमने लगभग अढ़ाई मैगावाट की बात की है। वैसे भी प्रदेश के अन्दर 2 मैगावाट तक हमने इस तरह से रूफ टॉप 4लगाने की बात की है। जो सरकारी ऑफिसिज़ हैं, उनमें केवल 40 परसेंट विभाग को लगाना है। इस सोच के साथ हम चलें तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश के अन्दर आ सकता है। माननीय सदस्य ने जो संकल्प यहां पर लाया है, यह बहुत अच्छा संकल्प है। मैंने यहां पर कहा कि जो 14वें वित्तायोग में प्रावधान किया है, उसके अनुसार हम प्रदेश के अन्दर स्ट्रीट लाइट का कॉन्सैप्ट लाने जा रहे हैं उसके अन्दर आप काँट्रिब्यूट कर सकते हैं, उसमें विधायक भी काँट्रिब्यू कर सकता है। शेड्यूल कास्ट कम्पोनेंट प्लान का पैसा भी हम उसमें डालेंगे। एक बहुत बड़ी योजना इस प्रदेश के अन्दर बनाने का हम प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार ने एक साल के अन्दर इस सैक्टर में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिए और संकल्प लाया है, मैं चाहूंगा कि वे इस संकल्प को वापिस लें क्योंकि प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से आगे काम करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि मैंने कहा कि Renewable Power Purchase Obligation को बढ़ावा देने का मतलब है कि इसके ऊपर दबाव है, सभी के ऊपर दबाव है कि इस एनर्जी के ऊपर आगे आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और माननीय सदस्य का भी आभारी हूं कि आप यहां पर बहुत अच्छा संकल्प लाए हैं। इस संकल्प के माध्यम से मैंने सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में भी कहा कि किस तरीके से हमें इस दबाव को दूर करना है । जितनी हमारी डोमैस्टिक कन्जम्पशन कम होती जाएगी उतना ही दबाव हमारा कम होता जाएगा। यह दबाव इलैक्ट्रिसिटी के ऊपर तो नहीं आएगा लेकिन प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार दबाव आता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय रमेश चन्द ध्वाला जी, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है उसके बाद कोई इन्टरवीन न करें तो ठीक रहेगा। माननीय मंत्री जी, आपने माननीय सदस्य को इसके बारे में अलग से जानकारी दे देना।

तो क्या माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यहां सदन में उत्तर दिया है उससे लगता है कि मंत्री जी भी शत-प्रतिशत हमारी बात से सहमत हैं। मंत्री जी ने कहा कि हम इस सौर ऊर्जा के विषय के ऊपर एक साल से काफी तवज्जो दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बिजली हर जगह पहुंच नहीं सकती।

14-02-2019/1245/SS-YK/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा क्रमागतः

जैसे मंत्री जी ने यहां पर अपना वक्तव्य रखा है तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा पूरे प्रदेश में लागू होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः तो क्या मान्य सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः अब क्या हो गया जनाब? ...(व्यवधान)... नहीं प्लीज़, प्राइवेट मेम्बर डे चलने दें। आप (श्री जगत सिंह नेगी) नोटिस दे दें। अब श्री राकेश पठानिया जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्षः प्लीज़, ऐसा मत करें। मुकेश जी, ऐसा मत करें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत मैं कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, आज प्राइवेट मेम्बर डे है, इस प्रकार करने का क्या फायदा है? आज प्राइवेट मेम्बर डे है, आप अपना नोटिस दे दो।

अध्यक्षः नहीं, मुकेश जी, ऐसा मत करें प्लीज़। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने एक महीने पहले संकल्प दिए हुए हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री राकेश पठानियाः मुकेश जी, आप नोटिस दे दें। आज प्राइवेट मेम्बर डे है। यह सब के लिए बराबर होता है। अब हमें अपना संकल्प रखने दें। ऐसा नहीं चलेगा।

अध्यक्षः जिन्होंने संकल्प दिया है, उसको डिबार नहीं कर सकते। मेरे पास चार संकल्प हैं। I would not allow you.

श्री राकेश पठानियाः मुकेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे होगा? यह कोई तरीका नहीं है। हमने प्राइवेट मेम्बर डे के लिए महीना पहले संकल्प दिया हुआ है। यह आपका क्या मतलब हुआ?

अध्यक्षः श्री राकेश पठानिया जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। ...(व्यवधान)... आप इतने सीनियर लोग हैं। अगर इस तरह से होगा और आप हर समय इश्यु बनाने की कोशिश करेंगे तो वह ठीक नहीं है।

श्री राकेश पठानियाः वैसे नेगी जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

Speaker: I would not allow you. (Sh. Jagat Singh Negi). ...(व्यवधान)...

Shri Rakesh Pathania: Which rule? What are you talking about it? Today, it is a Private Member Day.

Speaker: I would not allow you. ऐसा है, प्राइवेट मेम्बर डे आप ही का दिन है। माननीय सदस्यों ने बोलना है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

श्री राकेश पठानिया: अध्यक्ष जी, इन्होंने तो मज़ाक बना दिया। हर बात पर खड़े हो जाना और हर इश्यु पर अपनी बात करना, तो प्राइवेट मेम्बर डे पर कब हमने अपनी बात रखनी है? यह मज़ाक हो गया है, हर बात पर इश्यु लेकर खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष: मुकेश जी, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)... नहीं तो प्राइवेट मेम्बर डे को बंद कर देते हैं, आप अपनी बात उठाईये। ...(व्यवधान)... आपकी बात कैसे सुनेंगे? प्राइवेट मेम्बर डे को बंद कर देते हैं।

श्री राकेश पठानिया: नेगी जी, क्या आप बैठेंगे प्लीज़? किस बात का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इसमें रूलिंग दें।

अध्यक्ष: प्लीज़ बैठिये। ...(व्यवधान)... प्लीज़ बैठिये। ...(व्यवधान)... Not to be recorded. प्लीज़ बैठिये।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यों को पूर्ण समय देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा प्रयास मत करें जिससे यहां पर जीरो आवर से बढ़कर परिपाटी शुरू हो जाए। प्राइवेट मेम्बर डे के लिए 10 से 15 दिन पहले नोटिसिज़ दिये हैं। ...(व्यवधान)... वे चलेंगे नहीं। आप तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कम-से-कम इतना विचार करें। किसी सदस्य को अगर समय न मिलता हो तो भी वह बात कहे। प्राइवेट मेम्बर डे में चार विषय लगे हैं और पांचवें का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर बाकी सदस्यों का अधिकार नलिफाई हो जायेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे पास आगे तीन दिन बचे हुए हैं आप विषय उठाईयेगा।

अभी मैं किसी भी विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूगा।

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

राकेश पठानिया जी, आप अपना विषय रखें। ...(व्यवधान)... राकेश जी, आप अपना विषय रखिए। ...(व्यवधान)... राकेश जी, अपना विषय रखिए।

Shri Rakesh Pathania (Nurpur): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I am raising my resolution under Rule 101 which is as follows:

> "The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh."

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh." इस संकल्प में 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, आप सभी बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए न। माननीय मुकेश जी का यह कहना कि हम सदन के और चेयर के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते। ...(व्यवधान)... आप सुन तो लो, आप लोग बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आज भी बिना नोटिस के आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया। प्रदेश का विषय था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। पिछले कल बिना महत्व के विषय में आपने चेयर के खिलाफ वाकआउट किया। हमने उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। ...(व्यवधान)... ठीक है, आप करें, वह आपका अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकारों में वाकआउट एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है परन्तु मेरी एक प्रार्थना है कि दूसरे सदस्यों के समय की कीमत पर आप ऐसा काम न करें। नेगी जी, मैं आपको अलाऊ कर रहा हूं

परन्तु विद प्रोटैस्ट कर रहा हूं। मैं प्रोटैस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बाकियों का समय मत लें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद परन्तु मैं किसी का भी समय नहीं लेना चाहता। मैं नियम के तहत ही समय ले रहा हूं।

अध्यक्षः नियम तो छोड़ दीजिए। नियम का फैसला जब आप यहां थे तब आप करते थे, अब मुझे करने दीजिए।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस के समय, पूर्व कांग्रेस सरकार ने दोगुना कर्ज ले कर अय्याशी की है। मैं इस शब्द पर ऐतराज़ कर रहा हूं। यह अनपार्लियामेंटरी है, डैरॉगेटरी है और "दैनिक जागरण" समाचारपत्र में छपा है। यह डैरॉगेटरी और अनपार्लियामेंटरी शब्द है, सदन के नेता के मुख से ऐसी अशोभनीय बात नहीं आनी चाहिए। उसके लिए मैं कह रहा था कि इस शब्द को प्रोसीडिंग से हटाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय लेना था, आपने दस मिनट लगा दिए।

अध्यक्षः जो भी इस प्रकार का शब्द रिकॉर्ड में आया है, उसको कृपया मुझे चैम्बर में प्रस्तुत करें। यदि वह अनपार्लियामेंटरी होगा ...(व्यवधान)... हमारे रिकॉर्ड में तो देखने दो, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि मैं जब बोल रहा हूं, तब भी आप बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, मुझे आप बात तो करने दो। अखबार में छपा है लेकिन हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं, अगर हमारे रिकॉर्ड में अय्याशी शब्द है तो उसको एक्सपंज किया जाएगा। श्री राकेश पठानिया जी।

Shri Rakesh Pathania (Nurpur): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I am raising my resolution under Rule 101 which is as follows:

> "The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh."

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh."

इसमें 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। राकेश पठानिया जी, अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

14.2.2019/1255/av/ag/1

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सभी माननीय सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी से चयन होता है। कोई माननीय सदस्य जिस विषय को महत्व का विषय समझता है और चाहता है कि इसके ऊपर मुझे विधान सभा के अंदर अपनी बात कहनी है तो वह उस विषय को गैर सरकारी सदस्य दिवस वाले दिन उठा सकता है। वैसे विषय तो बहुत सारे होते हैं मगर यह प्रावधान किया गया है कि विषय ज्यादा होने के कारण इसमें बैल्ट पेपर के माध्यम से चयन किया जाता है। ऐसे अवसर की तलाश के लिए माननीय सदस्यों ने बहुत मेहनत की होती है। अगर उस समय को हम इस प्रकार से व्यर्थ गंवाएंगे और अमुक सदस्य को अपना विषय उठाने का समय न मिले तो मुझे लगता है कि उनके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस विषय की गम्भीरता को समझना चाहिए। केवल गैर सरकारी सदस्य दिवस पर इस प्रकार के संकल्प आते हैं तथा उस दिन कोई और बिजनैस नहीं होता है। मगर उसके बावजूद भी हमारे मित्रों ने जो यहां पर बात कही है तो मैं यह कहूंगा कि आपने अखबार की बात पर यकीन कर लिया, वैसे करना भी चाहिए। लेकिन अच्छा होता अगर आप यहां पर सारी बात को सुन लेते कि मैंने क्या बोला है या क्या नहीं बोला है। आज तक यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और खासतौर पर जब बजट पर मुख्य मंत्री जवाब देते हैं तो उसको ध्यान से सुना जाता रहा है। बाद में किसी ने बाहर जाना होता है तो वे उठ सकते हैं। ...(व्यवधान)... यह आप भी नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बावजूद राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण पर आए जवाब के दौरान आपने 5 मिनट के बाद व्यवधान डाला व इसी तरह से पांच मिनट बाद बजट पर आए रिप्लाई के दौरान डालना शुरू कर दिया और फिर आप लोग बाहर चले गये। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप उसका महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ...(व्यवधान)... जहां तक आप लोग एक शब्द पर आ गये हैं तो आप इस शब्द को इस तरह से मत लीजिए। ...(व्यवधान)... हमने यह कहा कि पैसा लेकर मौज-मस्ती की है और मौज-मस्ती करके सरकार का आन्नद लिया। इस तरह के शब्द थे और मुझे यह लगता है कि इन शब्दों को माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए जिस प्रकार से आप लोग ले रहे हैं।

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। तत्पश्चात माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

14.2.2019/1405/TCV/DC/1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.05 बज़े अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 'हैल्थकेयर इंश्योरेंस पॉलिसी' का विषय मैंने माननीय सदन के सामने रखा है, यह एक आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। पिछले दिनों से टी0वी0 चैनल्ज पर मैडिकल इंश्योरेंस कवर के बारे में बहुत-सी स्कीम्ज़ आ रही हैं। ये स्कीम्ज़ 1000 या 2500 रुपये प्रतिमाह से शुरू होती हैं जोकि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम हो गया है कि एक गरीब-से-गरीब आदमी भी यह महसूस करता है कि उसके पास कोई-न-कोई सुरक्षा कवच होना चाहिए। How one is insured from all the serious ailments.

जो किसी भी इंसान को कभी भी लपेट सकते हैं। अभी आप यहां पर स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं तो आजकल पता नहीं लगता है कि कौन-सी बीमारी कब फैलती है, कौन-सी इंफैक्शन कब फैलती है और कौन-सा वायरस कब और कहां से आ जाता है that nobody knows. अगर हम विपक्ष में बैठ करके यह कहें कि इसके लिए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री या सरकार दोषी है तो यह भी गलत है। अगर हम यहां बैठ करके आपकी (विपक्ष) सरकार के आंकड़े गिनाएं कि आपके समय में इतने लोग मरे थे तो यह भी गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्यू यह है कि इस ईश्यू के खिलाफ आज अगर एक गरीब आदमी को या गांव में रहने वाले बिल्कुल निचली श्रेणी के इंसान को अगर कोई समस्या आती है या कोई ऐसी दुर्घटना उसके परिवार से हो जाती है तो मुझे याद है कि हमारी सरकार ने एक 30,000 रुपये का कार्ड शुरू किया था। बहुत से लोगों को इससे राहत मिलती थी और वे बार-बार हमें आ करके दिखाते थे कि विधायक साहब, मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है और आप इसको ठीक करवाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको 30,000 रुपये का भी एक बहुत बड़ा सहारा होता था। जबकि आजकल 30,000 रुपये से कुछ नहीं बनता है। लेकिन 30,000 रुपये का सहारा ले करके एक आम आदमी अपने आपको थोड़ा-सा सुरक्षित महसूस करता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी इश्योरैंस पॉलिसी धरातल पर उतरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने "आयुष्मान भारत" के नाम से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इश्योरैंस कवर देश के लिए दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें कितने लोग पूरी तरह से कवर हो रहे हैं? हमने इस माननीय सदन में सुना था कि लगभग 5 लाख परिवारों के करीब इसमें कवर हो रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है कि इसमें कितने लोग कवर होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के गरीब व्यक्ति का परिवार इसमें कवर होगा? इसके अलावा हमारे और बहुत से अन्य सैक्टर्ज़ भी हैं। इसके बाद आपने अब "हिम केयर" के नाम से हिमाचल प्रदेश में 1000 रुपये का बीमा एक आम आदमी के लिए शुरू किया है। 1000 रुपये के साथ उसको एक साल का

पैकेज़ मिल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सच्चाई बताता हूं। आप तो स्वयं डाक्टर हैं और आपने स्वयं बहुत साल प्रेक्टिस की है। हमारे गरीब आदमी का तो एक ही ठिकाना है और जब वे सिविल अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तथा वहां पर स्टॉफ कम है। मेरा अपना 20 सालों का चुनाव लड़ने का व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत से लोग बड़ी सीरियस बीमारी को ले करके घर चले जाते हैं और वे कहते हैं कि हम इलाज़ नहीं करवा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहां इलाज़ करवाना हमारे वश में नहीं है, इससे अच्छा है कि घर जा करके ही मरें या अपने घर में जा करके सांस लें। मैंने ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना हुआ है और उनको हम पकड़-पकड़ कर इलाज करवाने ले करके गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके और हमारे संपर्क में नहीं आते हैं। आपके और हमारे संपर्क में जो आएगा तो किसी भी दल का कोई भी विधायक होगा, वह प्रयास करेगा कि उसकी हम सेवा कर सकें या उसको हम अच्छा हैल्थ कवर दिलवा सकें। ऐसे लोग जिनके साथ अस्पतालों में दुर्व्यवहार होता है और आज कल हमारे अस्पतालों में एक और टेडैंसी आ गई है तथा मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनें और मुझे इसका जवाब दें। आज कल रैफरल अस्पताल बनते जा रहे हैं। मैं आपको कल रात की बात बताता हूं। मेरे क्षेत्र के अस्पताल में सैकेंड मंथ प्रेग्नैंट लेडी को अस्पताल लाया गया और उसको बड़े जोर की पेट में दर्द हो रही थी। रात को 09.45 बजे उसके पति का मुझे फोन आया कि इस अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि इसको टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाओ। जबकि मेरे क्षेत्र के इस अस्पताल में दो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इसके लिए मैं, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दो स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद अगर रात को 09.45 बजे उसको टांडा के लिए रैफर किया जाए तो वे कहां जाएंगे? आज कल मौसम खराब है और ठंड ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे सामने आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में अगर किसी मरीज को रातों-रात बाहर जाना पड़ जाए और उसकी जेब में पैसे हों या न हों तथा अब जो "हिम केयर" योजना आ रही है या पूरे विश्व की इतनी बड़ी "आयुष्मान भारत" योजना है तो इसके बारे में आपने हमारे लोगों को कैसे एजुकेट किया है।

आप क्या कैंपेन चला रहे हैं कि एक आम-आदमी को इसके बारे में पता चल सके? इसका कार्ड कैसे बनेगा? मुझे नहीं लगता कि 90 प्रतिशत विधायकों को इसके बारे में पता होगा। मुझे यह सूचना है कि आपने इसका फॉर्म काफी सरल कर दिया है। लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात अभी भी है कि यह फार्म भरना बहुत कठिन काम है। यह गोल्डन कार्ड कैसे इश्यू होता है? अधिकतर लोगों ने अस्पताल में जाकर हिमकेयर कार्ड बनाया है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी कैटेगिरीज हैं जो 365 रुपये में आती है? क्या 365 रुपये में सभी लोग कवर हो जाते हैं? आपने मनरेगा में भी प्रावधान किया है कि एक वित्तीय वर्ष में, बिना किसी खर्चे के, लोकमित्र केंद्र में केवल 50 रुपये के खर्चे के साथ वह आदमी इसमें कवर हो जाएगा और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। क्या आपने इसके लिए हर पंचायत घर में प्रचार-प्रसार के लिए कोई व्यवस्था की है? क्या आपने हर पंचायत घर में इसका बोर्ड लगाने का प्रयास किया है? गरीब आदमी के लिए यह बहुत बड़ी योजना है। हम 30,000 रुपये में संतुष्ट थे लेकिन अब तो इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में किया जा सकता है । एक दिहाड़ी लगाने वाले के लिए, मनरेगा में काम करने वाले के लिए, जो दिन की रोटी की लड़ाई लड़ता है, उसके लिए 5 लाख रुपये का कवर एक भगवान का वरदान है। उस पांच लाख रुपये के वरदान को आप जनता के पास कैसे पहुंचाएंगे? उसका रोड मैप हमें एक्सप्लेन किया जाए? कम-से-कम विधायकों को तो यह पता चलना चाहिए कि इस योजना को धरातल में कैसे उतारा जाए? हम गांव में जाकर लोगों को क्या बताएंगे? इस स्कीम के तहत कौन-कौन सी श्रेणी, कैसे-कैसे कवर्ड हैं? मैंन जो नियम-101 के तहत यह विषय उठाया है, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब माननीय मंत्री जी विस्तार से दें। इस स्कीम के तहत किस-किस श्रेणी के लोग इलाज कर सकते हैं और किस-किस किस्म का इलाज करवा सकते हैं? कौन-कौन से ऑप्रेशन्ज और कौन-कौन सी मेजर सर्जरीज करवाई जा सकती है? क्या इसमें बाईपास सर्जरी का भी प्रावधान है? यदि ट्रांसप्लाट में 5

लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो जाए तो इसके लिए इनिशिएटिव या कोई स्पैशल पैकेज है? जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं अगर उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्चा आ जाए तो क्या उस खर्च को सरकार वहन करेगी? ऐसी बहुत सारी बाते हैं जिनके बारे में हम चिंतित हैं। आप प्राइवेट होस्पिटल्ज का कैसे चयन कर रहे हैं? आपने प्राइवेट होस्पिटल्ज को चयनित करने के लिए क्या यार्डस्टिक रखी है? कहीं ऐसा न हो कि बीमारी 10 रुपये की हो और बिल दो लाख रुपये का बन जाए। क्या इसको चैक करने का आपने कोई फुलप्रूफ सिस्टम तैयार किया है? कहीं ऐसा न हो प्राइवेट होस्पिटल्स वाले इस पर दुकानदारी शुरू कर दें। प्राइवेट होस्पिटल में गरीब आदमी को बुलाकर, अपने चुंगल में फंसा कर, दो-तीन लाख रुपये का बिल बनाकर, जो उसके पास पांच लाख रुपये की पॉवर थी कहीं उसका दुरुपयोग न हो। आप इसके बारे में स्पटीकरण दें क्योंकि आपके स्पष्टीकरण से पूरे हिमाचल प्रदेश को पता चलेगा कि गरीब आदमी को आपने किस तरीके से सिक्योर किया है। किस-किस सर्जरी के लिए सिक्योर किया है और किस-किस अस्पताल में इलाज करवाने जा सकते हैं ताकि हम जितने भी विधायक यहां पर बैठे हैं वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर हिमकेयर के बारे में बता सकें। 365 रुपये में कौन-कौन कवर हो रहे हैं, उसके बारे में बता सकें। आप लेबर कमिश्नर के साथ क्या टाई-अप कर रहे हैं? आप किस-किस सैक्टर में कवर कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताया जाए? यह एक ऐसी स्कीम है जिससे आपको गरीब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। गरीब आदमी तक यह व्यवस्था पहुंच जाए इसको आप कैसे आश्वस्त करेंगे? इस बारे में इस सदन में चर्चा हो ताकि जो गरीब व आम-आदमी है वह विश्व की इन दो बड़ी बीमा योजनाओं का लाभ उठा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

14.02.2019/1420/बी0एस0/एच0के0-1

अध्यक्ष : इसमें जो भी माननीय सदस्य बोलने के लिए भाग लेंगे उनकी सूची मेरे पास पहुंच चुकी है । मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलें वे 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें क्योंकि इस चर्चा के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है ।

Sh. Hoshyar Singh (Dehra): Hon'ble Speaker, Sir, thank you, for allowing me to speak on the Resolution moved by Sh. Rakesh Pathania Ji.

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीमें इस वक्त मार्केट में घूम रही हैं और एक ऐसा कंफ्यूज़न पैदा हो गया है कि किसका कार्ड लें और किसका न लें । इनमें से कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, यह किसी को पता नहीं है। कई कार्ड हमनें बनवाए। जिनमें से हिमकेयर कार्ड है जिसके बारे में माननीय पठानिया जी ने भी बताया। कई आऊट सोर्स कंपनियां आ रही हैं, कई लोगों को लूट करके चली जा रही हैं। पैसे ले रही है कार्ड नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे चुनाव क्षेत्र में 3-4 केसिज हो चुके हैं। करीब जनता को यह पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लोगों को कार्ड बनाने के लिए धर्मशाला जाना पड़ रहा है। घंटो भर वे लाइन में खड़ा रहते हैं। उनका नम्बर नहीं आ रहा है फिर दूसरे दिन जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है कि अस्पतालों में ही यह कार्ड बनाए जा सकें। अगर हम सभी योजनाओं की बात करें तो ये योजनाएं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि जितनी बातें करें उतनी कम है। But I will talk about a scheme i.e. 'आम आदमी बीमा योजना' । यह आम बीमा योजना is effective from 01.01.2013. यह 2013 से लागू है और यह स्कीम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए और जो marginally above poverty line के हैं, from the age of 18 to 59 years. इसमें 30 हजार रुपये के लिए 200 रुपये का प्रीमियम है and out of this, half of the amount will be covered under Social Security Fund which is set up by Government of India and remaining amount will be paid by the State Government. इस स्कीम में सभी लोग कवर्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल के लिए जितनी भी गरीब जनता है, सब की सब इस स्कीम में कवर्ड होती है। चाहे Power

loom worker, bidi worker, इंट के भट्ठे का हो or hilly area yeoman हो। हिल्ली एरिया में हम सभी आ जाते हैं। इस स्कीम में carpenter, cobbler, textile, fisherman, loader, hamal, handloom weavers, ladies tailor, leather worker, papad worker, agriculturist, physical handicap, self employed person, transport driver, primary milk producer, auto driver, rural poor, forest worker, ship breeders, sericulture, forest worker, plantation worker, anganbari worker, urban poor, सफाई कर्मचारी construction worker etc. सभी कवर होते हैं। लेकिन यदि आप जमीन पर हकीकत देखें तो किसी ने भी अभी तक यह स्कीम अवेल नहीं की है। इसका कारण है कि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है । लोगों को पता ही नहीं है कि इस स्कीम में लोगों को 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार दे रही है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। आज दिन तक इसका लाभ किसी ने नहीं लिया। इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे ई.एस.आई.एस. है, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, यू.एच.आई.एस. and the latest scheme आयुष्मान भारत स्कीम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा कि एक टीम पंचायत लेवल पर जा करके लोगों को ट्रेंड करें और इन स्कीमों के बारे में बताए। स्कीमें बहुत हैं । परंतु लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि लोगों तक संदेश पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है यह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस मैकेनिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है । जब तक यह मैकेनिज्म नहीं बनेगा तब तक किसी को भी आप जो मर्जी सुविधाएं, जो मर्जी स्कीमें ले आएं, सब फेल हैं। क्योंकि इसका लाभ तो लोगों को मिल ही नही रहा है। इसका लाभ तब किलेगा जब आज की स्कीमें उन गरीब लोगों तक पहुंचे। यह मात्र अधिकारियों तक ही रह जाती है। ब्लॉक लेवल तक रह जाती है वहां से नीचे ही नहीं आती। वहां से नीचे लाने का आप मैकेनिज्म तैयार कीजिए। ताकि यह लोगों के घरों तक पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने जो नियम 101 के तहत हैल्थ केयर इनश्योरेंस के बारे में संकल्प लाया है उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका धन्यवाद। यह जो स्कीम है एक आदर्श स्कीम है कागजों में आदर्श है और बड़ी-बड़ी बातें इसमें की गई है। जैसे कहते है भेड़िया आया ,भेड़िया आया पर भेड़िया दिखता नहीं आप कहते हैं भारत में आयुष्मान आ गया। पर यह धरातल में है नहीं। मेरे साथी पूर्व में इसी की चिन्ता व्यक्त कर रहे थे आज इतने न हॉस्पिटल है, आपके पास और न ही इतना इन्फ्राट्रक्चर है आपके पास और न ही इनश्योरेंस करवाने वाले है जिस तरह से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जिसमें अरबों- खरबों रूपये इक्टठे हुए पर किसानों को एक पैसा नहीं मिला और यह भी उसी किसम की स्कीम है और पूरी तरह से फेल होने वाली है । क्योंकि इस स्कीम में तो टोटल पैसा भी सरकार ने देना है तो यह जो बड़े-बडे अदानी अंबानी हैं इनको मोटा करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। आप बताइये की हिमाचल प्रदेश में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्ज हैं? किसको आप वहां पर दाखिल करवाएंगे? ये पांच लाख का सपना आप किसको दिखा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में तो आज बिस्तरे तक नहीं हैं। एक बैड पर 3-3 मरीज़ हैं। इसके बारे में चिंता सही व्यक्त की गई। आप बताइये कि आप इसको कैसे लागू कर पाएंगे? आपका जो भी काम होता है, वह पहली बार होता है। आपका सारा काम ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक काम तो मनरेगा का है जो पूरे विश्व में अपनी तरह का है। पहले आप मनरेगा की बहुत आलोचना करते थे, आज इसको सबसे आगे करने की बात कर रहे हो। इसलिए आप इस स्कीम को धरातल पर उतारिए तभी इसका फ़ायदा लोगों को होगा। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी इस स्कीम से लोगों को फ़ायदा होगा। इसका बजट कहां है? ये न तो यह केन्द्र के बजट में है और न ही राज्य के बजट में है। जो केन्द्र का बजट, वोट फॉर अकाउंट आया था, उसमें भी एक पैसा इसके लिए नहीं है। आपका बजट जो अभी कुछ दिनों में पास होने वाला है, उसमें भी एक पैसे तक का प्रावधान नहीं है तो फिर आयुष्मान भारत की स्कीम को आप कैसे धरातल पर उतारोगे? इसकी हमें बहुत

चिन्ता है और आज जरूरत है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हॉस्पिटल है इनको सुदृढ़ करने की जरूरत है और जो हमारे मैडिकल कॉलेजज है 5-5 मैडिकल कॉलेज आपको यू0पी0ए0 के समय हमारी कांग्रेस की सरकार ने दिए है उसको तेजी से आगे बढ़ाने की बात है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवैलप करने की जरूरत है। बड़े दुख की बात है जब हम पी0जी0 डॉक्टरर्ज के बारे में हम प्रश्न करते है तो आप उसका गोलमोल उत्तर दे देते है हमने पूछा की स्पैशलिस्ट होते कितने है आपने बोला स्पैशलिस्ट होते ही नही हैं, आप हमें टेक्निकल मार देते है। ठीक है, हमसे पूछने में गलती हो गई परंतु पी.जी. डॉक्टर्ज की बात करें, आप बताइए कहां पर पी.जी. डॉक्टर्ज हैं आप के सारे के सारे डॉक्टर्ज रैफरल हैं। आज हालात खराब है । कैंसर की बात हुई आज कैंसर का अस्पताल हमारा जितना खराब है, माननीय मंत्री जी आज यहां पर हैं इस अस्पताल को ठीक करने की आवश्यकता है। कैंसर का इलाज जो हमारे हिमाचल में हो रहा है वह थर्ड क्लास का इलाज हो रहा है। एक भी मरीज आज यहां पर रिकवर नहीं हो रहा है। 99 प्रतिशत फेलियर है क्योंकि यह कैंसर का इलाज है, स्पैशलाइज इलाज है उसके लिए डॉक्टर ट्रेंड चाहिए नर्स ट्रेंड चाहिए हॉस्पिटल में आपके पास स्टाफ चाहिए और उस किसम की मंहगी दवाईयां आप जो दवाई यहां 15 हजार रूपये का एक इजैक्शन दे रहे है। जबकि कैंसर की बीमारी एक डोज भी या कीमोथ्रैपी हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक लाख तो दवाई की कीमत है और 7-7 दिन हॉस्पिटल में रख रहे है तो यह जो स्कीमें यह जनता को एक किसम से गुमराह करने वाली स्कीम है न ही इसमें दम है ।आप बताइए हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को आपने इस स्मीम के तहत लाया है और कितने लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है। उसकी अगर आप बात करेंगे तो हमें भी लगेगा की इसमें कुछ दम है तो हम भी इसका लोगों के बीच प्रचार करेंगे की इसका फायदा होने वाला है। धन्यवाद ।

14-02-2019/1430/वाई.के./एन.जी./1

श्री अरुण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने जो संकल्प हिमाचल केयर इन्शोरैंस पोलिसी के उपर लिया है उसमें मैं हिस्सा लेने के लिए खडा हुआ हूं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुषमान भारत योजन ला कर जो कदम उठाया है, इसके तहत बहुत सारे गरीब लोग जो अक्सर आर्थिक तंगी होने के कारण मौत का ग्रास बन जाते थे उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग किसी दूसरे पर आश्रित रहते थे उन लोगों की पीडा को समझते हुए उन्होंने 2011 के सैन्सस लेते हुए आयूषमान भारत का कार्ड बनाया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई दूंगा। हमारे माननीय सदस्य श्री नेगी जी बोल रहे हैं कि यह धरातल पर कहां है ? जब कोई अच्छी चीज या पालिसी किसी गरीब व्यक्ति के लिए बनती है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हम केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो इस बात का आदर करना चाहिए कि प्रधानमन्त्री जी ने गरीब लोगों की गरीबी को समझा और जो स्टंट प्राईवेट अस्पताल व दूसरे अस्पतालों में 1.5-1.5 लाख रूपये में मिलते थे वो आज 22 हजार रूपये में मिल रहे हैं। लेकिन उसके उपर का जो खर्चा होता है उसके लिए गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। आज ऐसी बहुत सारी बिमारियां उत्पन्न हो गई हैं कि गरीब आदमी उसका इलाज नहीं करवा पाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमन्त्री और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का जिन्होनें एक वर्ष के भीतर इतना अच्छा कार्य किया है। चाहे वो गरीब आदमी के लिए पोलिसी हो, चाहे डाक्टरों की कमी थी, पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी थी, हर क्षेत्र में इन्होंने एक वर्ष के अन्दर बहुत सूझबूझ के साथ कार्य किया है। टांडा मैडिकल कालेज मेरी विधानसभा क्षेत्र के अन्दर आता हैऔर अक्सर मेरा वहां आना-जाना होता रहता है। मैं वहां देखता था कि कई ऐसे गरीब लोग जिनकी हम भी मदद करते थे लेकिन इतनी महंगी बिमारियां होने के कारण उनको रैफर किया जाता था और उनके पास आर्थिक साधन नहीं होते थे। अन्त में उनके पास पैसे नहीं है तो वह उसकी मौत का इन्तजार करते थे। इन्होंने हिम केयर कार्ड

चलाया है, मैने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से आग्रह किया और उसके तहत इन्होनें मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्दर पहली और 15 तारीख को महीने के दो दिन टीम भेजते थे जो कि हिम केयर के कार्ड बनाती थी । मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यह जरूर जानना चाहूंगा और बहुत सारे लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि क्या इसके लिए आपने कोई जागरूक्ता अभियान चलाया है, ताकि हर व्यक्ति इस कार्ड को बना सके और यह हर व्यक्ति को बनाना जरूरी भी है । भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है, कृपा इसके बारे में मुझे और माननीय सदन को जानकरी उपलब्ध करवाऐं । इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि का बीमा किया जाता है, चाहे वो आयूषमान भारत योजना हो चाहे वो हिम केयर योजना है । इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से व्यक्ति पात्र हैं जिनको इन योजनाओं में शामिल किया जाता है । कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है और यह ठीक है कि जब आयूषमान भारत योजना के कार्ड बनाए जा रहे थे तब अस्पताल में इतनी अधिक फोरमेलिटीज थी की कई लोगों के कार्ड नही बन पाए थे । उसके बाद जब सरकार को और हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसके सरलीकरण की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई । मैं जानना चाहता हूं कि इन योजना के तहत कितने कार्ड अभी तक जारी किए गए हैं ? और उससे माननीय सदस्य श्री नेगी जी के प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा और उन्हें पता लग जाऐगा कि कितने कार्ड अभी तक जारी हो चुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत इलाज करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के और बहारी प्रदेशों के कितने अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है, इसके बारे में भी कृपा हमें और इस माननीय सदन को जानकरी दें । अभी तक कितने लोगों को इन दोनों योजनाओं से कितना लाभ मिलेगा । क्या प्रदेश सरकार ने इसके बारे में जागरूक्ता अभियान चलाने के बारे में सोचा है ? सदन में स्वाईन फलू की बात चली थी तो मुझे लगता है कि स्वाईन फलू का जितना इलाज सरकार द्वारा और सरकारी तन्त्र द्वारा किया जा रहा है वह बहुत ही बाखूबी किया जा रहा है ।

जो यहां यह स्वाईन फ्लु का प्रकोप आया है, यह समय के अनुसार आता है जिसके बारे में ये बताएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यह अवश्य बताएं कि जब हमारा कोई आदमी किसी अस्पताल या मैडिकल कॉलेज से दूसरे प्रदेशों --(घण्टी)--या हिमाचल प्रदेश के आई.जी.एम.सी. को रेफर किया जाता है तो उसको ले जाने की व्यवस्था कैसे की जाती है? क्या आप इस बारे में भी कोई ऐसा प्रावधान करेंगे? क्योंकि हमारे यहां टांडा में केवल एक 108 ऐम्बूलेंस वैन है और जब भी हमें जरूरत होती है तो वह वैन किसी-न-किसी मरीज को लेकर कहीं-न-कहीं गई होती है जिससे बहुत सारे गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो क्या इस कार्ड के जरिए ऐसा भी कोई प्रावधान किया जाता है कि मरीजों को व्हीकल फैसिलिटी मिले?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने बजट में वेन्टीलेटर वैन की बात की है तो इससे बहुत से लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है--(घण्टी)--या किसी को ब्रेन हेमरेज़ होता है तो उसको वेल्टीलेटर वैन की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले इसमें लोगों को बहुत कठिनाई होती थी और हम जो वैन टांडा से फोर्टिस, चण्डीगढ़ के लिए लेते थे उसका 40,000/- रुपये किराये के रूप में लोगों को देना पड़त था। कई बार ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते और जब तक वे पैसे का इन्तज़ाम करते हैं तब तक उस रोगी की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि जाते-जाते रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वेन्टीलेटर वैन दी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करिए।

श्री अरुण कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैना देवीजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश पठानिया जी नियम-101 के तहत यहां जो संकल्प लेकर आए हैं, मैं उस बहस में अपने आपको शामिल करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी स्कीमें सरकार द्वारा चलाई गई हैं। केन्द्र सरकार ने यह आयुष्मान स्कीम चलाई और जब स्कीम चली थी तो यह कहा गया कि इस स्कीम के अन्तर्गत 50 करोड़ लोग कवर होंगे और पांच लाख रुपये हर व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए मिलेंगे। साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना चलाई। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए। उस समय के अनुसार उस समय की सरकारों ने भी इस ओर कदम उठाए और आज की सरकार ने चाहे वह केन्द्र या प्रदेश की सरकार हो, उनके द्वारा भी समय के अनुसार अलग-अलग स्कीमें चलाई जाती हैं।माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा जैसा यहां हमारे साथी ने कहा कि नेगी साहब ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हैल्थ काड्र्ज बनते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, वह कुछ लोगों को पता है। हमारे यहां इस बारे में कुछ जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से बताया जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब काड्र्ज बन गए तो देखने में ऐसा आया और मैं इस ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब वह कार्डधारक अस्पताल में जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका कार्ड सिस्टम में नहीं आ रहा है। अब अगर सिस्टम में कार्ड नहीं आ रहा है तो इसमें पेशन्ट का क्या कसूर है? स्कीमें सरकार ने चलाई हुई है, कार्ड सरकार ने बनाया है और सिस्टम की खराबी के कारण उसे कहा जा रहा है कि सिस्टम आपके कार्ड को नहीं ले रहा है इसलिए आपको यह सहायता नहीं मिल सकती और उस पेशन्ट को बाजार के सहारे छोड़ दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह कहना चाहूंगा कि जो ई.एस.आई. अस्पताल हैं क्योंकि हमारे जितने भी कामगार साथी हैं, वे चाहे किसी भी सेक्टर में हों, उन मामलों को अलग से ई.एस.आई. अस्पताल के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन जो हमारा

दूसरा हिस्सा है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जोनल अस्पताल, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं, जब पेशन्ट उनमें जाता है तो इस प्रक्रिया के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे अस्पताल में रोगी जाता है तो जो वहां कॉन्ट्रेक्ट पर सिक्युरिटी के लोग लगे हैं, कई बार उनका व्यवहार ठीक नहीं होता।

14/02/2019/1440/MS/AG/1

उस ढंग से उस संवेदना को ध्यान में रखकर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती और जैसे ही मरीज़ अस्पताल के गेट पर जाता है उसके साथ अस्पताल वाले ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर्ज/पैरा-मैडिकल स्टाफ को मरीजों को ठीक ढंग से डील करने के लिए हिदायतें होनी चाहिए। पहले ऐसा माना जाता था कि केरल के डॉक्टर्ज और नर्सिज बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि उनका मरीज़ों के साथ बड़ा अच्छा और मीठा व्यवहार होता है। मरीज़ की आधी बीमारी तो डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ के मीठा बोलने से ही दूर हो जाती है। मेरा निवेदन यह है कि अस्पताल में मरीज़ को कैसे डील करेंगे करना है इस बारे में डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

कि जब आपके अस्पतालों में माकूल स्टाफ नहीं होगा तो मुझे बताइए कि डॉक्टर्ज क्या करेंगे? क्या वे वहां अपना सिर फोड़ेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपके डॉक्टर्ज नहीं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर्ज नहीं हैं और जोनल अस्पताल में भी डॉक्टर्ज नहीं हैं। जब डॉक्टर्ज नहीं होंगे, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिर एक सिस्टम हो जाता है कि एक संज्ञा दी गई है कि यह एक रैफरल अस्पताल है, इसलिए यहां से मरीज़ सीधे रैफर करेंगे। अस्पताल में मरीज़ अन्दर जाता है, वहां उसकी पर्ची कटती है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि you are referred to PGI or Indira Gandhi Medical College, Shimla or Tanda. ...(घण्टी)... इसलिए मेरा निवेदन है कि हम पहले इस बात को देखें कि जब हमारे पास डॉक्टर्ज नहीं हैं फिर जो स्कीमें चलाई हैं, उनका लाभ उस मरीज को कैसे मिलेगा? वह लाभ मरीज़ तक तब पहुंचेगा जब हमारे पास माकूल मशीनरी हो, सारे टैस्ट्स करने के उपकरण ठीक हों और मरीज़ों को देखने वाले पर्याप्त डॉक्टर्ज हों।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिलासपुर में 1-2 अस्पताल हैं जिनमें एक चांदपुर में है और कुंगरहट्टी के उस तरफ है जोकि बहुत बढ़िया तरीके से चले हुए हैं। वहां कुछ डॉक्टर्ज प्रसूता के हैं, कोई ई0एन0टी0 के हैं और कोई ऑर्थो के हैं। उपाध्यक्ष जी, क्या होता है कि जैसे मान लो प्रसूता का कोई केस अस्पताल में गया है, मैं बताना चाहता हूं कि वहां एक ही दिन में लगभग 6 केसिज जिला अस्पताल से रैफर हो गए। ...(घण्टी)... पहले उनको बोला गया कि आपका उपचार हो जाएगा लेकिन शाम के 6.00 बजे उनको यह कह कर रैफर कर दिया कि आपका ऑप्रेशन होना है लेकिन हमारे पास एनीस्थिसिया का डॉक्टर नहीं है। जब वह मरीज प्राईवेट अस्पताल में जाता है तो वही एनीस्थिसिया का डॉक्टर जिसके लिए अस्पताल में इन्कार किया जात है, उस प्राइवेट अस्पताल में एनीस्थिसिया का काम कर रहा है। जो मरीज सरकारी अस्पताल में अटैंड नहीं होता है, क्या कारण है कि जब 15 मिनट के बाद वह पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर उसका ऑप्रेशन हो जाता है। मैंने दो-तीन केसिज में देखा है कि सरकारी अस्पताल में इन्कार कर दिया गया कि हमारे पास एनीस्थिसिया वाला डॉक्टर नहीं है लेकिन जब वे प्राइवेट अस्पताल में गए तो वहां पर वही एनीस्थिसिया वाला डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम लाल ठाकुरः मैं कहूंगा कि सरकार की नीयत भी ठीक है, स्कीमें भी ठीक हैं लेकिन इनको लागू करने के लिए हमें कड़ाई से अमल करने की जरुरत है। जो यहां पर पठानिया जी ने संकल्प रखा है, इस संकल्प का विषय बहुत अच्छा है और इस पर सरकार को देखना चाहिए कि how the best possible facility we should provide in the District Hospital and Zonal Hospital? How best the patient is looked after when he comes in the hospital? यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सुरेश कुमार कश्यप(पच्छाद)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर श्री राकेश पठानिया जी संकल्प लेकर आए हैं कि "The House may discuss Health Care Insurance Policy of Government of India and Government of Himachal Pradesh". मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी, हमारा देश एक कृषि प्रधान और ग्रामीण परिवेश का देश है जहां 80 परसेंट आबादी गांव में रहती है तथा 20 परसेंट आबादी शहरों में रहती है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जोकि अपना उपचार करवाने में असमर्थ होते हैं।

14.2.2019/1445/जेके/वाईके/1

और उनकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से आज अनेक इन्श्योरैंस पॉलिसिज़ हैल्थ केयर की हमारे देश में हैं। बहुत सारी कम्पनीज़ इस बारे में हमारे देश में काम कर रही हैं। मैं बहुत लम्बी डिटेल में बात न करते हुए मुख्यतः केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे देश की गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना देश में लागू की। हमारे देश के लगभग 10 करोड़ परिवार 55 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने का लक्ष्य है, जिसमें की सालाना 5 लाख रुपये का इन्श्योरैंस इस योजना के तहत किया जाएगा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, जब वह बीमार हो जाए तो परिवार के ऊपर संकट आ जाता है। जो परिवार का एकमात्र सहारा है, उसके ऊपर गम्भीर बीमारी हो जाए तो उससे परिवार का बजट भी बिगड़ जाता है और उस परिवार का गरीबी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 25 सितम्बर, 2018 को देश में लागू की है। इसका लक्ष्य यही है कि हमारे लोगों को, हमारे देश के जो 10 करोड़ परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सकें। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जो हमारे देश में लागू की गई है। आज हमारे देश के लोगों को इसका फायदा

मिल रहा है। यह कैशलेस स्कीम है। वैसे तो विस्तार से माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे। जब व्यक्ति बीमार होगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो उसको कोई भी पैसा इलाज का नहीं देना पड़ेगा। इस योजना में मेरी जानकारी के अनुसार बीमार व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में हॉस्पिटल एडमिशन के बाद जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, वह भी सरकार वहन करेगी। इसमें केन्द्र व प्रदेश सरकार जो भी खर्चा होगा, उसको उठाएगी। वर्ष 2011 में जो सोशल इकोनोमिक सर्वे हुआ था उसको आधार मान कर इस योजना को शुरू किया गया है।

मैं, माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में भी यह योजना लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 22 लाख लोगों को इस योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य है। वैसे तो माननीय मंत्री जी इस विषय को विस्तार से बताएंगे। हमारे जितने भी सरकारी और निजी हॉस्पिटल है उनमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। जो लोग आयुष्मान भारत योजना से छूट जाएंगे उन लोगों को हिम केयर योजना में कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित रूप से ये दोनों ही योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिम केयर योजना हमारे हिमाचल प्रदेश की अपनी योजना है। यहां पर भी इसी प्रकार से 5 लाख रुपये का इन्श्योरैंस लोगों के लिए रखा गया है ताकि हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, उसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना लाई है, निश्चित रूप से इसका फायदा हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारे विपक्ष के साथी, विशेष रूप से नेगी जी कह रहे थे कि कहीं यह योजना भी कोई जुमला तो नहीं है। मैं, इनको बताना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश के अनेकों लोगों को इसका फायदा हुआ है। माननीय मंत्री जी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। मेरा केवलमात्र इतना आग्रह रहेगा कि आज बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव में चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, हिम

केयर योजना की बात करें, लोगों को जानकारी न होने के कारण आज भी बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं

14-02-2019/1450/SS-DC/1

और विशेष रूप से जब लोग पी0जी0आई0 और दूसरे हॉस्पिटल्ज़ में जाते हैं तो वहां पर भी हमारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कार्ड भी लोगों के पास होता है लेकिन उसके बावजूद उनको कई बार दिक्कत आती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक्स-सर्विसमैन हूं, हमारा एक ई0सी0एच0एस0 कार्ड बनता है। ...(व्यवधान)... मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि एक्स-सर्विसमैन का जो ई0सी0एच0एस0 कार्ड है, जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं चाहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या गवर्नमैंट हॉस्पिटल में जाएं, हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। सिर्फ एक कार्ड को लेकर जाना है। एक बार कार्ड एंटर होने के बाद आपका जो भी ट्रीटमैंट होना है, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल में होना है या गवर्नमैंट हॉस्पिटल में होना है, वहां किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। अभी आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें भी उसी प्रकार की सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी। निश्चित रूप से यह योजना आने वाले समय में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश की गरीब जनता के लिए एक वरदान सिद्ध होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः धन्यवाद, माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार कश्यप जी। अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर): उपाध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के दौरान जो हमारे साथी विधायक, माननीय राकेश पठानिया जी ने संकल्प यहां पर लाया है, उस हैल्थ इंश्योरैंस के संदर्भ में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अभी इस संकल्प पर मुझसे पूर्व साथियों ने काफी विस्तार से चर्चा की। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल मात्र यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आयुष्मान

भारत हैल्थ कार्ड है और हिम केयर प्रदेश सरकार का कार्ड है, यदि एक व्यक्ति दोनों कार्ड बनाता है तो उसको दोनों कार्डों का लाभ मिलेगा या एक बार में एक ही कार्ड का लाभ मिलेगा? इसके बारे में भी आप मुझे जानकारी दें। जिस प्रकार से यहां कहा गया कि इसकी जागरुकता पूरे रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, यह सच्चाई है। यह जो गरीब लोगों के लिए हैल्थ केयर स्कीम्ज़ बनाई गई हैं चाहे वे केन्द्र स्तर पर बनी हैं या राज्य स्तर पर बनी हैं, इनकी अभी तक गरीब लोगों तक पहुंच नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे पास मैकेनिज्म है। लेकिन हम उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पास आशा वर्कर्ज़ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्ज़ हैं और दूसरे लोक मित्र को काम दिया हुआ है। लोक मित्र के वहां भी ये कार्ड बन रहे हैं। कई बार होता क्या है कि हमारे हॉस्पिटल्ज़ में जैसे सिविल हॉस्पिटल है या कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्ज़ हैं, वहां पर भी इनका प्रावधान है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन वहां तक गरीब लोग पहुंच नहीं पाते हैं और उनके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं होता है। दूसरा, मरीज़ों की संख्या ज्यादा या डॉक्टरों की कमी होने की वजह से वह काम हो नहीं पाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपने स्कीमें चलाई हैं वे धरातल पर पहुंचें। सबसे बड़ी समस्या, जिस प्रकार से यहां पर सभी साथियों ने कही कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के ढांचे में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। आप कर भी रहे हैं। आपने हमारे क्षेत्र में भी डॉक्टर्ज़ दिए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन फिर भी जो हमें स्पैशलिस्टस चाहिएं, वे उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप स्पैशलिस्टस दे देंगे तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे अपने बड़सर क्षेत्र में ही सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिला है लेकिन वह सिविल हॉस्पिटल अभी नाममात्र का है। उसमें काम सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक नहीं हो पा रहा है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, बीच में बात न करें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः और जो हमारे मरीज हैं उनको या तो टांडा, पी0जी0आई0 या फिर शिमला में आई0जी0एम0सी0 को रैफर किया जाता है। यहां पर उनके ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। आज आप आई0जी0एम0सी0 में देखिये कि इतनी भीड़ है। आप टांडा में चले जाएं, वहां भी बहुत भीड़ है। मरीज बाहर सोये होते हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए आने-जाने का खर्चा वहन करने की बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आपने हैल्थ केयर में कौन-कौन सी गम्भीर बीमारियां के इलाज की सूची बना रखी है?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी, आपके ही संकल्प पर बात हो रही है।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः दूसरे इलाज होने के बाद एक सबसे गम्भीर समस्या है। आज के समय में कैंसर, किडनी और ब्रेन ट्यूमर के मरीज बहुत ज्यादा हैं। इनको इलाज के बाद जो दवाइयां लिखी जाती हैं, वे इतनी महंगी होती हैं कि वे उन्हें खरीद नहीं पाते हैं। यह ठीक है कि चाहे केन्द्र सरकार है या राज्य सरकार है उसने गरीब लोगों की सुविधा के लिए स्कीमें चलाई हैं

14.2.2019/1455/AV/HK/1

लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद जब उस गरीब व्यक्ति को घर में दवाई की जरुरत होती है तो वह उस दवाई को खरीदने में असमर्थ होता है। जब वह दोबारा उस प्रक्रिया में जाता है तो उसका वह पैसा तो पहले ही खर्च हो चुका होता है क्योंकि उसको उसका लाभ साल में एक बार ही मिलेगा या एक बार में ही ट्रीटमैंट का लाभ मिलेगा। लेकिन जब उसको दोबारा जरुरत पड़ती है या किसी मरीज की आई0जी0एम0सी0, टांडा या पी0जी0आई0 में कीमो होनी होती है तो उसका अपने घर से इन अस्पतालों में बार-बार जाने के लिए बहुत खर्चा होता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो हैल्थ कार्ड बनाये गये हैं इसमें अगर अतिरिक्त खर्चे हेतु भी कोई व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहां पर मेरे मित्रों ने इस पर बहुत सारी बातें कही हैं। इसके अतिरिक्त लोगों ने और भी विभिन्न प्रकार के हैल्थ कार्ड बनाये हैं तो क्या दूसरे कार्ड होते हुए भी उस बीमार व्यक्ति को इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा या फिर एक टाइम में एक ही कार्ड यूज़ होगा? माननीय मंत्री जी, कृपया इस बारे में क्लेरीफिकेशन दें क्योंकि लोगों ने चार-चार कार्ड बनाकर रखे हैं। किसी ने आम आदमी जीवन बीमा बना रखा है, किसी ने हैल्थ केयर कार्ड बना रखा है और किसी ने कोई प्राइवेट बीमा ले रखा है। अब वह व्यक्ति तो यह सोचता है कि मैंने चार कार्ड बना रखे हैं और मुझे तो 10 लाख रुपये का फायदा मिलेगा। क्या ऐसा है या नहीं; कृपया इस बारे में भी आप स्पष्टीकरण दें? इस योजना में और भी कई सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि धरातल पर उतरते-उतरते अभी कई प्रकार की कमियां नजर आयेंगी। अतः मेरा

सरकार से आग्रह रहेगा कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें और इसकी जानकारी देने के लिए हैल्थ ऐजुकेटर की ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोग इस सुविधा का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी गैर सरकारी सदस्य दिवस पर इस संकल्प के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। इसमें कहा गया है कि कई तरह की हैल्थ पॉलिसीज जैसे हिम केयर, आयुष्मान भारत इत्यादि हैं। लेकिन धरातल पर एक चीज को देखा गया है कि इसके अंतर्गत जो आयुष्मान मित्र लगाने थे आपने वे नहीं लगाये। आयुष्मान मित्रों के न लगने से वहां पर मैन पावर की कमी है। मुझे लगता है कि वर्तमान में यह कार्य हैल्थ सुपरवाईजर देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी ओवर बर्डन्ड हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के अनुसार कुल्लू में ब्लॉक हैड क्वार्टर पर केवल एक मशीन है। हमारे कुल्लू में अलग-अलग वैलीज हैं जिसमें लग वैली,खराल और गड़सा इत्यादि कई वैलीज हैं और इन सबका हैड क्वार्टर जरी है। मान लो लग वैली वालों को तो कुल्लू नजदीक पड़ता है। लेकिन इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से यह काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसमें मैन पावर की कमी को पूरा कीजिए। इसके अतिरिक्त हमारी भौगोलिक स्थिति को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि प्लेन एरिया की स्थिति कुछ और हो सकती है। लेकिन हमारे कुल्लू में अलग-अलग वैलीज हैं इसलिए वहां के लिए ज्यादा मशीनें व मैन पावर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी-अपनी बात कही है उनका यही कहना है कि आप इस योजना के अंतर्गत लोगों को ऐजुकेट कैसे करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार कुल्लू में इस योजना के अंतर्गत लगभग 26000 ऐनरोलमैंट हुई है जिसमें से अभी तक केवल 510 लोगों

ने लाभ लिया है और यह संख्या मेरे हिसाब से बहुत कम है। माननीय मंत्री जी, आदमी क्लेम लेने के लिए तब विवश होता है जब उसे कोई गम्भीर बीमारी लगती है और उपचार में बहुत ज्यादा खर्च होना होता है। किसी बीमारी का उपचार अगर घर के नजदीक हो जाए तो वह तो ठीक है। लेकिन यदि उसको चण्डीगढ़ रैफर किया जाता है तो; हम इस बारे में पिछले साल दिल्ली में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिले थे।

14.2.2019/1500/TCV/HK/1

हमने उनसे अनुरोध किया था कि कृपया करके पी0जी0आई0 में एक ऐसे व्यक्ति को रखिए जो वहां पर यहां से गए बीमार व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकें। मैंने स्वयं भी काफी फोलोअप किया। वहां पर जो हैल्थकार्ड का काम देख रहा है, वह कोई नरेन्द्र नाम का व्यक्ति है। जिसका फोन नम्बर भी मेरे पास है। अगर वहां पर नरेन्द्र को ढूंढ़ना हो तो वह 28 नम्बर, गोल्ड मार्केट के स्टोर में बैठता है। पहले व्यक्ति पी0जी0आई0 पहुंचते और उसके बाद नरेन्द्र को ढूढें, वैसे तो हमने फोन नम्बर भी ले रखे हैं। लेकिन एक नरेन्द्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमाचल सदन जोकि मरीजों के ठहरने के लिए हैं, वहां एक हेल्पडैस्क खोला जाए। ताकि इन क्लेम के मसलों का निपटारा किया जा सकें। मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था करने की बात कह रहा हूं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक व्यक्ति को हिमाचल सदन में बैठना है और इससे हमें भी उसका पता बताने में आसानी होगी।

माननीय मंत्री महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी आपके काफी विषय उठाते हैं, शायद आपकी अच्छी दोस्ती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है। कुल्लू में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, मैं पिछले साल नया-नया चुनकर आया, मैं आपसे एक नहीं दो बार मिला। यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी विषय को उठाने की मांग की। कुल्लू में गर्भावस्था में एक स्त्री की मौत हो गई थी। आज वहां हालात में कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी और सुधार की जरुरत है। वहां पर काफी दिनों से आंखों का डॉक्टर

नहीं है। क्योंकि वहां पर लाहौल और पांगी के अलावा बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इसलिए वहां पर एक आंखों का डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए। आज जो समृद्ध व्यक्ति है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में पांच लाख के दायरे की भी जरुरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम-से-कम किडनी ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा फ्री होना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, एक आग्रह और करना चाहूंगा कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर भुन्तर को तेगुबेड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मर्ज़ करना है। इसकी प्रपोजल सी0एम0ओ0, कुल्लू की तरफ से आपको आ गई है। इसमें देरी न करें। इससे कुल्लू हॉस्पिटल में 200-250 की ओ0पी0डी0 कम होगी। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में अंतिम व़क्ता माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह रायजादा जी भाग लेंगे ।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर श्री राकेश पठानिया जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अपने विधान सभा क्षेत्र के हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ऊना हॉस्पिटल जो 100 बैड का हॉस्पिटल था, एक क्षेत्रीय अस्पताल है और इसके बावजूद उसको 200 बैड का किया गया। जबकि अभी भी वहां स्टॉफ 100 बैड के हिसाब से भी कम हैं। वहां पर 32 पोस्टें कम हैं। अस्पताल मे एक सर्जन है जबकि जरूरत 3 की है और हृदय विशेषज्ञ कोई नहीं है। डॉयलेसिस सेंटर जो आपने वहां पर खोला, उसका उद्घाटन भी हुआ,

14-02-2019/1505/NS/HK /1

माननीय अध्यक्ष महोदय भी वहां पर उद्घाटन करने गए थे, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। यह प्राईवेट सैक्टर द्वारा चलाया जा रहा है और निजी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो पी0एच0सीज0 के

लिए पिछली सरकार में मैंने स्वयं माननीय वीरभद्र सिंह जी को बोला था तो उस समय एक पी0एच0सी0 इन्होंने दे दी थी और इसकी अभी बिल्डिंग तैयार होनी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीर निगाह नामक स्थान है और वहां पर बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो कई बार एमरजैंसी हो जाती है। लेकिन इस बिल्डिंग का अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है और न ही वहां पर कोई डॉक्टर है। इसके साथ-साथ हमने सनोली मजारा में एक पी0एच0सी0 खोलने के लिए बात की थी और पिछली सरकार में यह मांग पूरी नहीं हो सकी थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक पी0एच0सी0 खोली जाए। क्योंकि यह एरिया पंजाब के साथ लगता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आज मैं विशेष तौर पर एक बात क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के बारे में इस माननीय सदन में बोलना चाहूंगा कि क्या सरकार की डॉक्टर्ज़ और स्टॉफ के ऊपर कोई पकड़ नहीं है? मुझे आधी रात को फोन आता है कि एक औरत की डिलीवरी होनी थी और गाड़ी में आते-आते उसकी डिलीवरी हो गई। डॉक्टर और नर्सिज उसको अस्पताल के अंदर लेने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैं स्वयं रात के 11.00 बजे वहां पहुंचा और मैंने बात की तो वहां का स्टॉफ, नर्सिज़ मुझसे बहस करने लगे कि आप हमारे लिए तो कभी नहीं आते हैं, लेकिन आम जनता के लिए आ रहे हैं। मैं डॉक्टर को साथ लेकर गया था। मैंने उनको एक ही बात बोली कि आपके लिए तो आपके सी0एम0ओ0 साहब हैं और आप अपनी शिकायत वहां कर सकते हैं लेकिन आम जनता के लिए मैं इनका विधायक हूं और इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मुझे इसके लिए आना है। उसके अगले ही दिन दूसरा केस और आ गया और यह भी डिलीवरी का केस था। जब मैं सी0एम0ओ0 साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि यह मेरा काम नहीं है और यहां के अस्पताल का इंचार्ज कोई और है। मैं इंचार्ज़ से मिला तो वे बोलते हैं कि हमारा एक डाक्टर कोर्ट में गया है और दूसरा डाक्टर आप्रेशन नहीं कर सकता है। जबकि नर्सिज बार-बार यही बोल रही थी कि इसको आप्रेशन की सख्त जरुरत है। बाद में मैंने उसको प्राइवेट अस्पताल में भेजा और वह गरीब आदमी था तथा उस समय मैं उसकी जो मदद कर सकता था, वह मैंने की। मैंने जिलाधीश महोदय से बात की तो उन्होंने ने भी उसको 10,000 रुपये दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों के स्टॉफ की इतनी हालत खराब है कि एक जूं भी उनके कान में नहीं रेंगती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ऊना अस्पताल में आएं और वहां की हालत देंखे। यह अस्पताल एक

रैफरल अस्पताल बन चुका है। यह क्षेत्रीय अस्पताल नहीं है। आपके साथ यहां पर माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भी बैठे हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इनसे इस अस्पताल की सिफारिश किया करें। क्योंकि आप तो हमेशा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के साथ बैठे होते हैं। आप ऊना अस्पताल की हालत सुधारिए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि क्षेत्रीय अस्पताल होने के बावजूद वहां पर अभी तक गरीब जनता का इलाज नहीं होता है। अगर कोई सिफारिश जाती है तब भी इलाज के लिए वहां के डाक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मंत्री जी, वहां पर स्टॉफ बहुत कम है। हम उनसे क्या बहस करें, वे पहले ही बोल देते हैं कि यहां पर स्टॉफ कम है, हम क्या करें? माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आप वहां पर पहले स्टॉफ की स्ट्रैंथ बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र की जो पी0एच0सीज हैं, वहां पर भी स्टॉफ की कमी है। क्षेत्रीय अस्पताल के आस-पास जितनी भी पी0एच0सीज0 आदि होती हैं, चाहे बंगाणा है या गगरेट है और यहां पर कुछ एरिया हमीरपुर का लगता है तथा वे भी क्षेत्रीय अस्पताल, ऊना के लिए आते हैं। यहां आते ही उनको ऊना अस्पताल के डाक्टर पी0जी0आई0 को रैफर कर देते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ऊना अस्पताल की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.02.2019/1510/RKS/yK-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहना चाहता हूं कि यह आम-आदमी और जरूरतमंद व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और उस बीमारी को दूर करने के लिए जब उसके जेब में पैसा न हो तो उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पैसे के लिए उस व्यक्ति को बहुत से लोगों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जो महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य ने इस सदन में रखा है उस पर माननीय सदन के अन्य सदस्यों ने भी जानकारियां आधारित चर्चा इस सदन में की है। श्री होशयार सिंह, श्री जगत सिंह नेगी, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, श्री अरुण कुमार, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्री सुन्दर

सिंह ठाकुर और श्री सतपाल सिंह रायजादा जी ने बहुत-सी बातों को इस माननीय सदन में शेयर किया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक सोच थी। हर प्रदेश में हर सरकार बहुत-सी योजनाएं बनाती है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने इस योजना को पूरे देश के लिए लॉन्च किया है और इसका जिक्र इस संकल्प पत्र में दर्शाया गया है, जिसका नाम 'प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' है। यानी कोई रोगी है तो उसको निरोगी बनाने के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका यही मूल है। यदि छोटे शब्दों में कहा जाए- 'आयुष्मान योजना' तो यह आशीर्वाद किसको दिया जा रहा है? यह आशीर्वाद देश के दस करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है। अगर परिवारों को परिवारों की कुल संख्या से जोड़ा जाए तो इस योजना के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस माननीय सदन में हमारे 46 विधायक हैं और आपके 21 विधायक हैं। यह जरूरी नहीं कि इसका लाभ सत्तापक्ष को ही मिले। मैं जिम्मेवारी के साथ यह बताना चाहूंगा कि इस योजना में किन-किन लोगों को शामिल किया गया है ताकि मन की अस्पष्टता दूर हो सके। वर्ष 2011-12 में एक सर्वे हुआ था। यह सर्वे जातीय तथा सामाजिक व आर्थिक आधार पर किया गया था। वर्ष 2011-12 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 2,78,245 परिवारों को कवर किया गया है। यानी 'आयुष्मान योजना' में भी इन्हीं लोगों को डाला गया है। वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना' चलाई गई थी। अब भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना' और 'आयुष्मान' को क्लब कर दिया, जिसका नाम 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत' रखा गया है और इसमें 4,83,643 परिवार आते हैं यह

14.02.2019/1515/बी0एस0/एच0के0-1

माननीय सदस्यों को जानकारी रहनी चाहिए।

इसके साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केन्द्रीय स्वस्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो इसके लिए प्रयास किए हैं इस स्कीम का मकसद यह था कि समाज के गरीब आदमी को इसका लाभ मिले। वर्ष 2010 में आर.एस.बी.वाई. में कौन थे? बी.पी.एल. परिवार । गरीबी रेखा से नीचे रहेने वाले लोग और 2011-12 के सर्वे में कौन थे? आर्थिक रूप से कमजोर या जातीय पक्ष को उसमें रखा गया था। कुलमिला करके इस योजना का हेतु जो था वह यही था कि जरूरत पड़ने पर ऐसे गरीब लोगों को किसी के दरवाजे पर बार-बार जाकर दरवाजा खटखटाना न पड़े । सरकार ऐसी योजना उनको दे ताकि उस योजना में जो व्यक्ति अस्पताल में बीमारी के उपचार के लिए पहुंचे वहां पर उसी समय, उसी वक्त उसका उपचार शुरू हो जाए। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति इसमें कवर होता है उसमें लाभार्थी को संतुष्टि मिलनी चाहिए, प्रमाणिकता उसको उसमें दिखनी चाहिए। अगर बीमार का इलाज हो रहा है तो बीमारी के बाद ऐसा उसको अनुभव में आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी बेग्राउंड मैंने आपके सामने रखी है । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 23 सितम्बर, 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना का शुभारंभ जब किया गया तो मैं यह भी बताना चाहता हू कि इस योजना से पूरे हिन्दुस्तान में जहां 10 करोड़ परिवार लाभन्वित होंगे वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 22 लाख लोग लाभान्वित होने वाले हैं। यह भी इस माननीय सदन में आपको जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर एक कंफ्यूजन है कि यह आयुष्मान कार्ड कहां पर बनेंगे, और कहां पर बन रहे हैं? माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तक आम जनता को इस बारे में पता ही नहीं है। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जागरूक है । इसमें चाहे समाचार पत्र हैं, चाहे वह रेडियो है, चाहे एस.एम.एस. है, चाहे होर्डिंग लगाने की बात है, चाहे कलाजथा के माध्यम से विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में इस योजना को प्रचारित करने की बात है वह अलग- अलग आयाम जन तक इस योजना को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं इस योजना के

अनुसार अगर हिमाचल प्रदेश में भी 195 के लगभग अस्पताल पंजीकृत है सूची मेरे पास है । उस सूची को मैं माननीय सदन में रख सकता हूं। कौन-कौन से अस्पताल है । मुझे यह भी ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश में जितने हमारे जिले हैं। उन जिलों के अधिकतर अस्पताल इस आयुष्मान योजना में मरीजों के उपचार के लिए अधिकृत हैं। यह भी माननीय सदन को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। जो अस्पताल पंजीकृत है वहां पर जा करके जो इस योजना में कवर होता है वह वहां पर जा करके कार्ड बना सकता है। उनको कोई भी पैसा नहीं देना होगा उन्हें मात्र अपने साथ एक आधार कार्ड और राशन कार्ड ले करके जाना होगा और उनका कार्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा। हां ठीक है अगर उनको लगता है कि हम अस्पताल में जा करके कार्ड नहीं बनाएंगे तो हमने और भारत सरकार ने लोग मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी यह कार्ड बनाने आरंभ कर दिए गए हैं। यानी वहां पर 30 रूपये शुल्क लगेगा और कार्ड बन जाएगा। हमारा विभाग इसके लिए संवेशदशील है कि हिमाचल प्रदेश का हर परिवार जो जरूरत मंद है वह इस योजना में कवर होना चाहिए । आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जहां कहीं भी आप जाते हैं दो शब्द इस आयुष्मान योजना के ऊपर भी जरूर बोलें

14.02.2019/1520/DT/AG/-1

ताकि उसका प्रचार हो जाए और लोगों तक यह बात पहुंच जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश के 193 हॉस्पिटलों को पंजीकृत किया गया है और इसकी लिस्ट हम इस माननीय सदन में प्रस्तुत कर देंगे। 35 हॉस्पिटल प्राइवेट अस्पताल हैं यह भी मैं यहां पर जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर माननीय सदस्य, जगत सिंह नेगी जी नहीं है। उन्होंने और माननीय अन्य सदस्यों ने भी यह जानना चाहा था कि इस आयुष्मान योजना के तहत कितनी बीमारियों का इलाज किया जाएगा? मैं माननीय सदन में यह बताना चाहता हूं कि लगभग 1800 बीमारियों का इलाज आयुष्मान में होता है। किसी माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी जानना चाही थी कि आयुष्मान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? दिनांक 12 फरवरी, 2019 तक प्रदेश में 2,59,494 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं और 5336

लाभार्थियों का 5 करोड़ 71 लाख रुपये से निःशुल्क इलाज करवाया जा चुका है। हमारे साथियों ने जानना चाहा कि इस योजना के तहत कौन-कौन से पैकेज उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने कैंसर व हृदय संबधी उपचार के बारे में बात की कि क्या इस योजना के तहत इन बीमारियों के इलाज का प्रावधान है? मैं यह बताना चाहता हूं कि 1800 बीमारियों का उपचार इस योजना के तहत किया जाएगा और इनकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि किसी को हृदय रोग हो जाए और समय पर व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाए तो वह व्यक्ति जिंदगी के शेष वर्ष भी काट लेता है। हमारे हृदय रोग की 38 प्रकार की सर्जरी है। उसका भी इसमें इलाज किया जाएगा और जो ओपन हार्ट सर्जरी है जिसे हम सी.टी.बी.एस. कहते हैं, इसमें चाहे ई.एन.टी., यूरोलॉजी , जरनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नियो नैटल पैड्रिक कैंसर और oncology जितनी भी प्रकार की सर्जरीज हैं इसमें पैकेज का प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि कैंसर का इलाज तो हो जाएगा परंतु उसके बाद क्या व्यवस्था रहेगी? मैं मानीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार कैंसर के इलाज का एक नया पैसा भी नहीं लेती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कहा है कि ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनसे निपटने के लिए दवाई के कारण व्यक्ति अपना जीवन 10-15 साल आगे बढ़ा सकता है उनको सहारा बनकर 2000 रुपये महीना देने का प्रावधान किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में किमोथेरेपी भी बिल्कुल फ्री है। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कहीं पर शिकायत है तो उसे आप हमारे पास पहुंचाएं, हम उसकी अवश्य छानबीन करेंगे।

14-02-2019/1525/डी.सी./एन.जी./1

कीमो थेरेपी भी हिमाचल प्रदेश के 9 अस्पतालों में होती है । मैने उत्तर भी दिया था और बडे विस्तार से दिया था । माननीय सदन में यह भी कहा गया है कि इसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि बजट के बिना भी क्या कोई योजना चलता है ? माननीय सदस्य श्री नेगी जी ने कहा कि ऐसा शोर तो नहीं की भेडिया आ गया, भेडिया आ

गया, मैं कहना चाहता हूं कि भेडिया नहीं यह भेडिये का भी बाप चीता है और यह चीता जो है वह 1800 बिमारियों का इलाज करेगा । इस योजना से जहां हिन्दुस्तान के लोगों को उपचार का लाभ मिलेगा वहां पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है, यह भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं । मैं हिम केयर के बारे में भी मैं यहां बताना चाहता हूं और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने की भी मैं कोशिश करूंगा, यह मेरा धर्म है और मैं यह बताउंगा । आपने हिम केयर के बारे में जानना चाह है, हिमाचल प्रदेश में कुछ योजनाऐं चल रही थी और छोटी योजनाऐं थी । 30 हजार रूपये से किसी का इलाज नहीं हो सकता, 1 लाख 75 हजार से किसी का इलाज नहीं हो सकता, एक मुख्यमन्त्री देखभाल योजना थी एक यूनीवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम थी । जब हमने उसको देखा कि बिमारी बहुत गम्भीर है और इलाज के लिए पैसा सिर्फ 30 हजार है तो मुख्यमन्त्री जी आज लगभग 2 महीने पहले घोषणा की और हमने भी उनसे विचार विमर्श किया कि जब पूरे देश में आयूषमान भारत योजना शुरू हो गई है और उसमें 5 लाख रूपये का प्रावधान है तो माननीय मुख्यमन्त्री जी ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश में भी शुरू होनी चाहिए । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आयूषमान भारत योजना के बराबर धनराशि कर दी है और उसके बराबर ही बिमारियों का इलाज शुरू हो चुका है । यह भी मैं इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं, स्पष्टता के लिए यह जरूरी है और इसके कार्ड भी बनना शुरू हो गए हैं । इसमें भी कोई कन्फयूजन नहीं है और 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमने इसे अभियान के रूप में लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि लोकमित्र केन्द्र में जा कर इसके कार्ड बनाए जा सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या दोनो कार्ड एक साथ चलेंगे तो कार्ड केवल एक ही चलेगा । आयूषमान भारत योजना का कार्ड चलेगा या हिम केयर योजना का कार्ड चलेगा । कुछ परिवार बडे हैं और कुछ परिवार छोटे हैं । एक कार्ड में 5 सदस्यों को लिया गया है परन्तु कुछ परिवार 5 सदस्यों से ज्यादा है तो उन परिवारों के 2 कार्ड बनाऐं जाऐंगे, यह भी इस माननीय सदन में बताना

चाहता हूं। उस परिवार को हम हिम केयर योजना से वंचित नहीं रखना चाहते कि परिवार बडा हो गया तो केवल 5 ही सदस्यों को लिया जाऐगा 5 से ज्यादा सदस्य है तो भी इस योजना में शामिल किए जाऐगें । मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी जनता के प्रतिनिधि है तो आप भी इस बात को कहीं पर जनता के सामने अवश्य रखेंगे तो आप की कही हुई बात आम जन तक पहूंचेगी । किसी गरीब के लिए आपका मार्गदर्शन सहारा बन सकता है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय इस हिमकेयर योजना में जो कैटेगरी रखी गई हैं वो भी मैं इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं । माननीय सदस्य श्री राकेश जी ने व श्री कुक्का जी और अन्य सदस्यों ने भी इसके बारे में जानना चाह था कि इसमें कौन-कौन से वर्ग को शामिल किया गया है। इसमें एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, आंगन बाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका,

14/02/2019/1530/RG/DC/1

आशा कायकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार जो सरकारी संस्थानों, सोसायटीज़, बोड्र्ज या निगमों के कर्मचारी, अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबन्ध कर्मचारी, ये सभी लोग इसमें अपना कार्ड बना सकते हैं। इसमें मात्र 365/-रुपये लगेंगे और कार्ड बन जाएगा। लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि कोई बीमार न पड़े और अस्पताल न जाए। लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि कोई अस्पताल पहुंच जाता है तो वहां उसका इलाज शुरू हो जाएगा। यहां किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां कार्ड ही जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर.एस.वी.वाई. की स्कीम वर्ष 2010 में चली थी और वही डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर्ज इन काड्र्ज को जनरेट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में जिनको हम आयुष्मान मित्र कह सकते हैं, वे दिन-रात काम कर रहे हैं और छोटे अस्पतालों में ओ.पी.डी. के समय ही ये कार्ड चलते होंगे परन्तु वहां भी हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जहां आई.पी.डी. है, वहां दिन-रात काम होता है और वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि ये काड्र्ज चलें।

श्री जगत सिंह नेगी : जब यह स्कीम इतनी अच्छी चल रही है तो मुख्य मंत्री राहत कोष में 17 करोड़ रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता थी?

उपाध्यक्ष : यह तो हो गया, आप नहीं थे। कृपया बीच में न बोलें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : नेगी जी, आपका धन्यवाद, आपने भी अच्छा बोला है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : नेगी जी ठीक कह रहे हैं जब यह इतनी अच्छी स्कीम चल पड़ी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मुकेश जी, आप माननीय नेगी जी से बुलवा देते हैं और अपने आप आराम से बैठे रहते हैं। यह आपकी विशेषता है।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलिए। कृपया बीच में न बोलें। अभी दो-तीन संकल्प और हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : नहीं मैं नेता, प्रतिपक्ष को कह रहा था। इसलिए मैंने यह कहा कि जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, बी.पी.एल. में हैं या पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले हैं, वे भी इसमें आते हैं और जो आयुष्मान में पंजीकृत नहीं हैं, वे बिना किसी पैसे के अपना कार्ड वहां बना सकते हैं। नेगी जी, आप भी इसका किन्नौर में प्रचार कर सकते हैं, आप इसका ऐक्पेरीमेंट तो करो, इसको परखो तो सही, इसको देखो तो सही और परखने एवं देखने के बाद यदि कोई टिप्पणी हो तो उसके बाद फैसला हो सकता है।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने श्रेणियां बताई हैं और इसके अलावा जो इसमें कवर नहीं होते हैं वे 1000/-रुपये प्रीमियम देकर अपना कार्ड बना सकते हैं। यह मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूंगा

उपाध्यक्ष : क्या प्रीमियम एक बार देना है या बार-बार देना पड़ेगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : यह एक ही बार में देना है, जब यह कार्ड बन जाएगा। माननीय राकेश जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि कितने लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि जनवरी, 2018 से 17,800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपये के निशुल्क इलाज की सुविधा इन योजनाओं के अन्तर्गत दे दी गई है। --(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बीच में न बोलें, माननीय मंत्री जी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 1 जनवरी, 2019 से हिम केयर स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है और इस योजना में भी पांच लाख रुपये से निशुल्क इलाज का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जब इन दोनों योजनाओं को क्लब कर दिया गया तो आने वाले दिनों में 2,71,000 लोग इस हिम केयर योजना से लाभान्वित होंगे और हमारा उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में हम ऐसे पांच लाख लोगों को 31 मार्च तक इस योजना में शामिल करना चाहते हैं।

14/02/2019/1535/MS/AG/1

यहां पर माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि "हिम केयर योजना" के अन्तर्गत कुल 2,88,000 परिवारों को कवर किया गया है, जिनमें से 17,811 नये लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उपाध्यक्ष जी, जब से यह "हिम केयर योजना" लागू हुई है, उसमें वर्तमान स्थिति यह है कि जनवरी, 2019 तक 3198 लाभार्थी कवर किए गए हैं तथा 2,84,00000/-लाख रुपया इसमें उपचार पर खर्च किया गया है। यह बात भी मैं मान्य सदन में बताना चाहता हूं।

माननीय सदस्य सतपाल रायजादा जी ने कहा कि हमारे अस्पतालों का बुरा हाल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बुरा हाल एक वर्ष के अन्दर हो गया है? ...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा हूं कि आपका जो अस्पताल है ...(व्यवधान)... सुन तो लीजिए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य सतपाल रायजादा जी, कृपया बीच में न बोलें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः आपका जो अस्पताल है वहां पर किसी भी प्रकार के डॉक्टर्ज की कोई कमी नहीं है। वहां पर डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ के सारे पद भरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में बैड की संख्या के हिसाब से डॉक्टर्ज और पैरा-मेडिकल स्टाफ दिया जाता है। आपको तो इसके लिए यहां इस मान्य सदन में

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। सैटेलाइट सैंटर आपको दिया, उसका जिक्र होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया बीच में न बोलें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से ...(व्यवधान)...सतपाल रायजादा जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको इतना उत्तेजित होने की जरुरत नहीं है।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो काम स्वास्थ्य विभाग ने किए, मैं उनका ही जिक्र कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ऊना एक बहुत बड़ा जिला है और वहां आबादी भी काफी है। इसीलिए भारत सरकार ने इस गम्भीरता को समझते हुए वहां पर सैटेलाइट सैंटर दिया है। वहां जमीन का मसला हल हो गया है और जो रोड के लिए विवाद था, हिमाचल सरकार ने उस जमीन के लिए वह कौस्ट भी दे दी है। आपको तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ से 4 डॉक्टर्ज भी वहां पर नियमित तौर से बिठाना शुरू कर दिए हैं। ...(व्यवधान)... आप चिन्ता मत कीजिए क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि आप आगे बढ़ो, सैटेलाइट सैंटर बनेगा परन्तु उसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य जी आपको लगता है कि कोई कमियां रह गई हैं तो आप लिखकर दे दें। मैं यह नहीं कहता कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है लेकिन अगर कहीं सुधार की जरुरत होगी तो करेंगे।

श्री सतपाल रायजादाः मैंने क्षेत्रीय अस्तपाल की बात की है। ऐसी बहुत बार एनाऊंसमैंट्स हो गई हैं। जिस दिन वहां पी0जी0आई0 बनेगा, उस दिन हम उसकी बात करेंगे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, मंत्री जी कह रहे हैं कि ठीक हो गया है और हो भी रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस बात को रिकॉर्ड पर लाया जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जब माननीय सदस्य सदन में मंत्री जी को सीधे-सीधे समस्या से अवगत करवा रहे हैं तो लिखकर देने की कोई बात ही नहीं है। सदन से सर्वोच्च संस्था कौन सी हो सकती है?

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, कृपया समाप्त कीजिए। लगभग सारा विषय आ गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सारा विषय कहां आया है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो तथ्यात्मक बातें हुई ही नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः अभी दो-तीन बड़े महत्वपूर्ण संकल्प चर्चा हेतु और भी हैं। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वे बीच में न बोलें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य होशयार सिंह जी, कृपया बीच में न बोलें।

14.2.2019/1540/जेके/एचके/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर श्री जगत सिंह नेगी जी ने पूछा कि जब आपकी योजना लागू हो गई है।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी यह तो हो गया है और आपने श्री जगत सिंह नेगी जी को बता भी दिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसा मत कहें। यह सरकार श्री जय राम ठाकुर जी की संवेदनशील सरकार है। कोई व्यक्ति यदि उस हालत में मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचता है या हमारे माध्यम से भी लोग जाते हैं कि उनको बीमारी लगी, उपचार करवा लिया और हमारे पास ये बिल्ज़ हैं, हमें पैसा दे दो, मैं इस सरकार को संवेदनशील इसलिए भी कहना चाहता हूं और आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने योजना शुरू की "मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष योजना" इनका कितना बड़ा दिल है। इनकी दूर-दृष्टि भी है और स्पष्टता भी है। आप भी ला सकते हैं, आपकी विधान सभा का कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी में पैसा लग गया और बहुत

ज्यादा पैसे की जरूरत है, अस्पताल से ऐस्टिमेट ले कर आएं और मुख्य मुख्य मंत्री जी को दीजिए। मैंने तो देखा है कि निःसंकोच ऐसे परिवारों को, जिस बीमारी का इलाज जितनी राशि से होगा वह मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो योजना चल रही है ।...(व्यवधान)... यहां पर सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह व्यवहारिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न होने भी चाहिए। ...(व्यवधान)... कभी आप लोगों के बीच में बिरला आ जाता है, कभी अदानी आ जाता है और कभी कोई और आ जाता है, उन बातों का यहां पर कोई महत्व नहीं है। न यहां पर बिरला है, न बकामुल्ला है, न कोई और है, यहां पर तो साधारण हमारे और आप जैसे लोग हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है और मुझे माननीय सदस्य ने भी एक बार फोन किया था कि हम चण्डीगढ़ गए हैं और आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों का फोन

14.2.2019/1540/जेके/एचके/1

आता है। इस प्रकार की मुश्किलें वहां पर लोगों को आती हैं उनको मैं आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत में ट्रीटमैंट के लिए पी.जी.आई.में नेहरू हॉस्पिटल वहीं अन्दर कॉम्प्लैक्स है, वहां पर 7 नम्बर, 16 नम्बर काउंटर हैं। वहां पर जो जरुरतमंद आदमी है या जिसका कार्ड नहीं चल रहा है, वहां पर हमारे बैठे हुए सज्जन उनका सहयोग करते हैं। आपने यह भी जानना चाहा कि सदन कहीं दूर है। यह अच्छा सुझाव है और यह हमारे ध्यानार्थ रहेगा कि ऐसे स्थान पर हिम केयर की जांच को दूर करने के लिए काउंटर बनाएं ताकि जो भी व्यक्ति जाए, जैसा इन्होंने जिक्र किया कि कहां हो सकता है, उसके लिए सरकार विचार करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि जब आपने "हिम केयर" शुरू कर दी तो फिर "मुख्य मंत्री राहत कोष योजना" की क्या जरूरत है? हम सीमाओं में नहीं बंधना चाहते। यह सदन तो मैं समझता हूं कि राजनीति की दीवारों से ऊपर उठ कर के है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदन नहीं है। यहां हम और आप बराबर हैं। ठीक है,

व्यवस्था में आप वहां है और हम यहां है। बहुत से लोग मुख्य मंत्री जी को मिले और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे गूंगें, बहरें हैं, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। मुख्य मंत्री जी ने हमें कहा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे अपाहिज बच्चे एक छोटा सा सुनने का पार्ट यदि उनके कान में डाल दिया जाए तो वे जिंदगी भर के लिए सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। जिसको कॉकलीयर इम्पलांट कहते हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपये मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष योजना में स्वीकृत किए

14-02-2019/1545/SS-YK/1

और आज उनके ऑपरेशन होने शुरू हो चुके हैं। इसमें कौन-सी बुरी बात है? मैं यह बताना चाहता हूं कि उस परिवार के लोग बहुत खुश थे जब उस बच्चे ने पहली बार अपने मुंह से स्पीच थरैपी के बाद "मां" शब्द निकाला, तो पूरे परिवार में खुशमयी माहौल हो गया। आप भी इसे समझिये। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप चर्चा करिये परन्तु उस चर्चा को तार्किक बनाईये ताकि यह आवाज़ पूरे हिमाचल प्रदेश में गूंजे कि हिमाचल प्रदेश के सदस्य जो बोलते हैं वे पूर्वाग्रहों के अनुसार नहीं बल्कि जिम्मेवारी से बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब बिल्कुल ठीक हैं और आप (श्री जगत सिंह नेगी) स्वाइन फ्लू से डरते रहते हैं। यह क्या बात है? राजा साहब, आज भी इस उम्र में इतने मजबूत हैं जबकि आपकी उम्र इनसे बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बात मैंने आपके सामने यहां पर रखी है। यहां पर कहा गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं या गैर-सरकारी अस्पताल हैं क्या वहां पर पैकेज कहीं छोटा या कम तो नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पैकेज बराबर है। यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आयुष्मान भारत में इंडोर ट्रीटमैंट के लिए जो 1800 बीमारियों का पैकेज है उसमें कोकलियर इम्प्लांट भी इंक्लूड है। ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी टैंडर प्रक्रिया है। आई0जी0एम0सी0 में भी टैंडर हुए, टांडा में भी टैंडर हुए और एक कोकलियर इम्प्लांट की कीमत लगभग साढ़े 5 लाख रुपये है। यह भी मैं

आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने कोशिश की है कि सभी के प्वाइंट कवर हो जाएं। क्या कुछ और बताऊं? ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः मेरे ख्याल में यही उत्तर दें। आप (श्री अरुण कुमार) बैठिये, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः सतपाल रायजादा जी, मेरी बात सुनिये। ये (श्री अरुण कुमार) हमारे भाई हैं। हम मंत्री हैं तो ये भी मंत्री हैं और आप भी अपने आपको मंत्री समझें। आप भी सुझाव दे सकते हैं। हमारे मन में कभी कोई ऐसा गरूर या भेद नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं। ये सब हमारे भाई मंत्री हैं, मैं यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्षः मेरा सदस्यों से निवेदन है कि एक दूसरा संकल्प भी बाकी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत में कोकलियर इम्प्लांट कंसर्नड नहीं है। यह भी मैं यहां पर बताना चाहता हूं। ठीक है, मैंने इसमें स्पष्टीकरण दे दिया है।

यहां पर कहा गया कि कुछ अस्पतालों में व्यवहार ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकतर अस्पतालों में व्यवहार ठीक है। परन्तु अगर कहीं पर इस प्रकार की कुछ बातें हैं तो वे ज़रूर ध्यान में ले आएं। आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। आपके समय भी अच्छा हुआ होगा। हम उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु मुझे लग रहा है कि अभी तक बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं जो आप हमको विरासत में देकर गए हैं। उसके लिए आरोप लगाते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं। आरोप लगाते हैं कि पैरा-मेडीकल स्टाफ नहीं है। अब एक साल में 500 से ज्यादा डॉक्टर्ज़ लगा दिए और पिछले कल 201 डॉक्टर्ज़ को एप्वाइंटमैंट लैटर्ज़ भी जारी कर दिए। अब एक साल में इतना ही तो हो सकता है। जो आप आधारभूत ढांचा देकर गए, उससे आगे काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः आप बीच में न बोलें, प्लीज़।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, एक डॉक्टर पांच साल में तैयार होता है। अब 500 डॉक्टर्ज़ लग गए और मैं यह भी बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)... चलो

अच्छा है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रेंड किये। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने बहुत-सी वैकेंसीज़ सबोर्डिनेट कमीशन, हमीरपुर को दी हुई हैं

14.2.2019/1550/AV/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री--------- **जारी**

और उसमें चाहे स्टाफ नर्सिज की बात है, फार्मासिस्ट की है, रेडियोग्राफर की है या फिर एम0पी0डब्ल्यू0 भरने की बात है; ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक दखल तो होता नहीं है। वे अपनी प्रक्रिया के नॉर्म्ज पूरा कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं और शायद आप लोग भी संतुष्ट हो गये होंगे। ...(व्यवधान)... राकेश पठानिया जी, यदि आप कहते हैं तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह अद्वितीय है तथा मैं इस बारे में और ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। यहां पर माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार ने वैंटिलेटर वैन का जिक्र किया है। अंतिम समय की अंतिम यात्रा यानी उस मोक्ष स्थान तक जाने के लिए जब ड्राईवर और वैन वाले मुकर जाते हैं तो मोक्ष धाम वैन का भी अगर किसी ने प्रावधान किया है तो श्री जय राम ठाकुर जी ने किया है। ...(व्यवधान)... छोड़िए, आप। मैं धरातल की बात करना चाहता हूं और सहारा बनकर 2 हजार लोगों के लिए जो प्रयास किया है। ...(व्यवधान)... मुझे बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। राकेश जी, कहा जाता है कि 108 बहुत पुरानी हो गई। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 22 लोग तो स्वाइन फ्लू से मर गये हैं। सत्र चलते-चलते 16 से 22 पर पहुंच गये हैं, सत्र शुरू होने पर

यह संख्या 16 थी। मंत्रियों को स्वाइन फ्लू हो रहा है, स्पीकर साहब को स्वाइन फ्लू हो गया। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप कृपया संकल्प वापिस लेने के लिए कहें।

14.2.2019/1550/AV/DC/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वायरस है। ...(व्यवधान)... मैं नहीं चाहता कि आपको (श्री मुकेश अग्निहोत्री) हो। ...(व्यवधान)... नहीं, आपको भी हम टीम भेज सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपकी भी चिन्ता करेंगे। यहां पर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जिस स्वाइन फ्लू का जिक्र कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि टैमी फ्लू और स्टार फ्लू हमारे अस्पतालों में मिल रही है। वहां पर आपकी वैक्सिनेशन भी हो सकती है। आपको अगर मुंह पर चढ़ाने के लिए मास्क चाहिए तो हम आपको वह भी दे सकते हैं। आपको इतना भयभीत होने की जरुरत नहीं है। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि स्वाइन फ्लू की भी चिन्ता करो। हम बिल्कुल चिन्ता कर रहे हैं और आपकी भी चिन्ता करते हैं। अगर आपको यह लगता है कि दवाइयों की जरुरत है तो हम उसके लिए आपको आई0जी0एम0सी0 से डॉक्टर भी भेज देंगे और साथ में मास्क भी भेज देंगे। यहां पर जो माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये गये हैं मैंने उनका उत्तर दिया है। यह आयुष्मान् भारत और हिम केयर स्कीम्ज उन लोगों के जीवन में खुशियां पैदा कर रही हैं जिनको कई लोगों के दरवाजे पर जाकर के हाथ फैलाने पड़ते थे। आज उन्हें अपना उपचार करवाने के लिए अस्पताल में ही पैसा मिल रहा है, यह देन अगर किसी की है तो श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री जय राम ठाकुर जी की है। धन्यवाद।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय था वह भारत सरकार और प्रदेश सराकर द्वारा शुरू की गई दो स्कीमों के बारे में था। लेकिन यह विषय उससे बहुत ज्यादा बाहर चला गया है। हम इन स्कीम्ज के अंतर्गत केवल वह सूचना चाहते

थे जिसके तहत हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आपने इस संकल्प के उत्तर के माध्यम से यहां पर जो-जो सूचनाएं दी हैं आप उसका एक-एक सैट बनाकर कल ही प्रत्येक विधायक को उपलब्ध करवा दें।

14.2.2019/1555/TCV/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तर के मद्देनज़र माननीय सदस्य इस संकल्प को वापिस लें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष जी हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से जरूरत से ज्यादा संतुष्ट हैं।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है?

श्री राकेश पहानियाः जी हां।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए।

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सदस्य श्री सुख राम जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुख रामः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई पेयजल/सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केन्द्रीय एजेन्सियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने की छूट प्रदान करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में नई पेयजल/सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केन्द्रीय एजेन्सियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने की छूट प्रदान करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री सुख राम जी आप पहले अपना विषय रखें।

श्री सुख रामः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहां पर बरसात भी बहुत अधिक होती है और बरसात के दिनों में हमारी बहुत-सारी सड़कों और पुलों को नुकसान होता है। जब बरसात खत्म हो जाती है तो 2-3 महीने के बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, हमारी सड़कें अवरुद्ध हो जाती है और प्रदेश को बहुत नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में हज़ारों नदियां व बांध हैं जैसे भाखड़ा बांध, पौंग डैम, ब्यास, सतलुज, यमुना, गिरी, और रावी नदी। इनमें बहुत-से प्रोजैक्ट लगे हैं। इन नदियों का पानी नीचे जाकर पंजाब और हरियाणा की जमीन की प्यास बुझाता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए खुशहाली का काम करता है। परन्तु केन्द्रीय एजेंसियों के साथ हिमाचल प्रदेश के इस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं कि जब हिमाचल प्रदेश की सरकार जैसे पौंग डैम से कोई स्कीम हिमाचल के किसानों के हित के लिए बनाना चाहती है तो वह एजेंसी जैसे बी0बी0एम0बी0 है या अन्य कोई एजेंसी है, वह वहां से हमें पानी लिफ्ट करने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा एक नहीं सैंकड़ों जगह में हुआ है। हमारे प्रदेश के लोगों को हर वर्ष नुकसान होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसानों की प्यास बुझाने के लिए, अपने लोगों के लिए पेयजल योजनाएं बनाने के लिए या सिंचाई के लिए नहर बनाने के लिए वे हमें अनुमति नहीं देते हैं। मैं आज से 40-50 वर्ष पहले का उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा छिबरू पॉवर हाउस और मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोदरी पॉवर हाउस बना है। हिमाचल प्रदेश को उसमें से 25 प्रतिशत बिजली मिलती है। परन्तु वह सारा हिमाचल प्रदेश की जमीन में हैं। जमीन हमारी, पानी हमारा, सड़कें हमारी, जो उनकी 32 के0वी0 लाइन गई वह भी हमारी ज़मीन से गई है।

जो उनकी रेजरवायर है और जिसको हम टेलरेस कहते हैं, जहां से पानी निकलता है और अगर हम इसमें से कोई स्कीम बनाना चाहें तो वे एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं। आज भी इसके किनारे की सारी ज़मीन बिना पानी की है। मेरा कहना का उद्देश्य यह है कि अभी हिमाचल प्रदेश में रेणुका डैम का समझौता हुआ है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने रेणुका डैम का जो एम0ओ0यू0 साईन किया तो क्या हिमाचल प्रदेश के सारे हितों को ध्यान में रख कर साईन किया है? कहीं इसमें भी यह कंडीशन तो नहीं है कि कल को डैम बन जाए और पानी इकट्ठा हो जाए तथा हमारे लोग वहां से उजड़ जाएं, जैसे पौंग बांध वाले लोग आज जा करके राजस्थान में बसे हैं। आज राजस्थान की सरकार भी उनको शैल्टर नहीं दे रही है। इसी तरह रेणुका के लोग उजड़ जाएं और उनकी थोड़ी-थोड़ी जमीन आस-पास में रह जाए और कल अगर हम इसमें से सिंचाई और पीने के लिए पानी लिफ्ट करना चाहें तो क्या इसमें यह हमारा अधिकार सुरक्षित है? इसलिए इस संकल्प के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूं कि जो पिछले एम0ओ0यू0 साईन हुए हैं, कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सिंचाई की स्कीमें बनाने के लिए कोई नहर बनानी है तो क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की कोई नीति बनाएंगे? यह भी हो सकता है कि उस समय हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास पैसे न हों, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश का किसान भी चाहता है कि पंजाब और हरियाणा की जमीन की तरह हमारी जमीन पर भी सिंचाई का प्रबंध हो। आज हमारे पास पैसे हैं और हम स्कीम बनाना चाहते हैं तथा इसके लिए एन0ओ0सी0 मिलती नहीं है और हम पानी ले नहीं सकते हैं तो क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसी कोई नीति बनाने पर विचार करेगी? हमें केंद्रीय एजैंसियों से एन0ओ0सी0 नहीं मिलता है। इसके लिए नीतिगत रूप से नीति बनाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को सिंचाई, पीने के पानी के लिए जो भी स्कीम हिमाचल प्रदेश की सरकार या लोग बनाना चाहें, वह बनें और केवलमात्र इन स्कीमों में

हिमाचल प्रदेश का सरप्लस पानी जाए। इसलिए मैं यह प्रस्ताव यहां पर लाया हूं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य समय का विशेष रूप से ध्यान रखें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नियम-101 के तहत आदरणीय सुख राम जी जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि यहां पर माननीय मंत्री जी इसका जवाब देने के लिए मौजूद हैं। माननीय सदस्य सुख राम जी ने जो भी बात यहां पर रखी है, इंटर स्टेट रीवर एक्ट के माध्यम से हमने जो एम0ओ0यू0 साईन किया है, उसके माध्यम से जो नदियां हमारे प्रदेश से गुज़र रही हैं, उनका पानी हम नहीं ले सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ी **बदमाशी** है। इसके लिए आप एक नीति बना करके अगर भारत सरकार से परमिशन लें तो माननीय मंत्री जी, इसमें क्या बुराई है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जैसे आपके जिला चंबा से रावी नदी आ रही है और आप पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए दोहन करने के लिए तो हमें अलौ कर रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी का स्तर बहुत नीचे होता है तो आप अगर उसके अंदर छोटे-छोटे चैकडैम बना करके नई पाउंडिंग क्रिएट करें। और लंबे-लंबे पाउंडिंग्ज़ में हमें 2-3 किलोमीटर की आर्टिफिशियल लेकस मिलें तो इन लेकस के माध्यम से हमें टूरिज्म में ग्रोथ मिलेगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज़ होगा और इससे जो हमें स्टोरेज़ मिलेगी तो इसके माध्यम से हम अपनी हजारों स्कीमें चला सकते हैं। हमारी आस-पास की जितनी भी आई0पी0एच0 की स्कीमें हैं अगर इनमें हम 15-20 एल0पी0एस0 पानी भी डालें तो हमारा लगभग सारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज़ हो जाएगा तथा हमारी यह समस्या खत्म हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पौंग डैम में देहरा से ले करके ज्वाली तक एरिया आता है। इतना बड़ा 26 से 34 किलोमीटर का पांउडेज है और नगरोटा सूरियां तक आता है। इतनी बड़ी लेक खड़ी है, हमारे लोगों ने राजस्थान में जा करके मार खाई, जान भी दी और पानी से भी वंचित रहे। यह किस किस्म की बदमाशी हुई? आप इसके लिए कोई पॉलिसी

14.02.2019/1605/RKS/dc-1

क्यों नहीं बनाते? हमारी जमीनें चली गई, हम उजड़ गए, न हम वहां पर बसे और न ही उन्होंने हमें बसने दिया और यहां पर आप हमें पानी नहीं दे रहे हैं। भाखड़ा-ब्यास वाले हमारे साथ इस तरह व्यवहार करते है जैसे वे किसी ओर क्षेत्र से आए हो और हम किसी ओर क्षेत्र के हैं। रैंसर की गली में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज तक एन.ओ.सी. नहीं मिली। पानी तो छोड़िए हमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एन.ओ.सी. नहीं दी जाती। जो विषय माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी यहां पर लाए हैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप इस पर कोई नीति बनाएं। यह नीति केवल नदियों पर नहीं बल्कि जो बड़े-बड़े दरिया हैं, बड़ी-बड़ी खड्डे हैं, जैसे चक्की खड्ड है, यदि वहां पर आधुनिक तरीके से पानी को रोकेंगे तो इससे इल्लीगल माइनिंग भी बंद होगी और माइनिंग का मेटिरियल भी बहुत ज्यादा मिलेगा। आप इसे साइंटिफिक तरीके से बोंड कीजिए। आपके पास होर्टिकल्चर विभाग भी है इसलिए आप पीने-के-पानी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। हमारा ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज हो इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सुख राम जी ने संकल्प रखा है, मैं भी इस संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो पहले से ही कहता हूं 'जल है तो कल है, जल नहीं तो कल कहां होगा'। ऊना और पावंटा साहिब रेड जोन क्षेत्रों में नई पेयजल एवं सिंचाई स्कीमों की परमिशन लेने में काफी दिक्कत आती है। हमारे पानी के तीन टाइप के सोर्स हैं। एक स्प्रिंग सोर्स, दूसरा टॅयूबवैल और तीसरा सरफेस वाटर सोर्स है। अगर हम पानी का बहुत ज्यादा दोहन करेंगे तो यह स्वाभाविक बात है कि वह क्षेत्र रेड जोन में जाएगा। कई राज्यों में Water Resources Regulatory Authority बनी है और क्या माननीय मंत्री जी यहां पर भी Water Resources Regulatory Authority or

Water Management Board बनाने का विचार रखते हैं? किस क्षेत्र में चैक डैम लगेंगे और इसके लिए भूविज्ञानियों की राय लेनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है, क्या उन पानी के स्त्रोतों को रिचार्ज करने के लिए कोई सुधार किया जाएगा? जो हमारा कैचमैंट एरिया है अगर उस कैचमैंट एरिया में पानी खड़ा होगा तभी सोर्स में पानी उपलब्ध होगा। आजकल ज्यादातर दरिया का पानी यूज किया जाता है। दरिया के पानी को कहीं पर ट्रीट किया जाता है और कहीं पर ट्रीट नहीं किया जाता। अक्सर जो लोग बीमार होते हैं वे दरिया के पानी पीने से होते हैं। जो ट्यूबवैल्स का पानी है, स्प्रिंग सोर्स है, वहां शुद्ध पानी होता है। लेकिन वहां पर गर्मियों के दिनो में पानी की कमी आ रही है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए वहां पर पौंड बनाए जाएं ताकि पानी की रिचार्जिंग बढ़ जाए। इससे हमारे ट्रैडिशनल रिसोर्सिज भी रिवाइव होंगे। जिला ऊना के क्षत्रों में ऑटोमैटिकली पानी नीचे से आता था लेकिन वहां पर भी यह सिस्टम बंद हो चुका है। अब वहां पर भी पानी की बहुत कमी हो चुकी है।

14.02.2019/1610/बी0एस0/dc / 1

मैं खास करके कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड अन्य स्टेटों में है, क्या माननीय मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा बोर्ड बनाने का विचार रखते हैं? कई स्टेटों में इस तरह का कमीशन है। लेकिन हमारी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। यह जो कुछ आदरणीय सुख राम जी ने कहा है कि हमें नहर से पानी नहीं लेने दिया जाता। कई स्थानों पर ट्यूबवैल के लिए एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। जो एन.ओ.सी. के लम्बे प्रोसिजर में जाएगा तो उसको टाइम तो लगेगा ही । मेरी माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि देश की कुछ स्टेटों में जो ऐसा सिस्टम है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में वाटर मेनेजमैंट बोर्ड बनें। ताकि यह हमारी जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो सके। धन्यवाद

उपाध्यक्ष : माननीय ध्वाला जी, धन्यवा, अब माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे।

श्री होशयार सिंह (देहरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, thank you for allowing me to take part in the Resolution moved by Sh. Sukh Ram Ji under Rule 101. सर, बी.बी.एम.बी. का असली नाम इस्ट इंडिया कंपनी होना चाहिए । यह इस्ट इंडिया कंपनी बन करके हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पौंग बांध का निमार्ण किया। It reserves our area of 42 kilometer in length, which covers the surface of 260 square kilometers and catchment area of 12560 square kilometers. इतना बड़ा इलाका हिमाचल का पानी में डूब गया और एक एग्रिमैंट बना, शायद कहीं भी इस प्रकार का एग्रिमैंट नहीं बना होगा कि इस डैम से हम कभी भी पानी नहीं उठा सकते। हमें जो बिजली का 7.8 प्रतिशत शेयर मिला वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से मिला, हमें वह भी सीधे तौर पर नहीं मिला। आज उस पानी पर न रॉयल्टी है न ही हमारा हक है, न उस जमीन पर हमारा कोई हक है। इस डैम के साथ हमारे 7 विधान सभा चुनाव क्षेत्र लगते हैं । इन 7 चुनाव क्षेत्रों में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है और साथ में इरिगेशन की भी। आज तक किसी भी सरकार ने गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पानी का मालिक कौन है, इन नदियों का मालिक कौन है? क्या हिमाचल सरकार है या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली सरकार है? जिस पानी के कारण पंजाब और हरियाणा हरित क्रांति लाया और कामयाब हुआ। जिस पानी ने हमें उजाड़ कर रख दिया, हमारी कुर्बानियां चढ़ी। 25 हजार परिवार वर्ष 1970 में उजाड़ दिए गए । उन कुर्बानियों के बदले हमें क्या मिला? आज हम अपना पानी नही ले सकते, हमें प्रमीशन लेनी पड़ रही है। प्रमीशन की क्या आवश्यकता है मंत्री महोदय, आप बताएं कि जब पानी हमारा है तो हम क्यों किसी से प्रमीशन मांगे? मैं मानता हूं सर, कि हम पानी बेचने वालों में से है और उस पानी को हमें बेचना है। हमें उन राज्यों से रॉयल्टी लेनी है लेनी है जिन्हे हमारा पानी जा रहा है। हमें उनसे परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उस पानी के लिए जिस पर हमारा हक है हम उन लोगों से क्यों भीख मांगे ? इस

पॉलिसी को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। यह पॉलिसी तब बनी थी जब हम यहां नहीं थे परंतु आज पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि आज यहां पर आप भी हैं और हम भी हैं। इस पर आज की परिस्थितियों के अनुसार इसमें पॉलिसी बनाई जाए। ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा पहुंच सके। आने वाली पीढ़ी यह सोचे की सरकारों ने बहुत अच्छे कार्य किए उनके लिए किए हैं। इसमें आने वाले 100 सालों के बारे में नीति और नियम बनाए जाएं।

14.02.2019/1615/डी0टी0/एच0के0-1

आज हर डैम विस्थापित जो नीति बनाई गई है उसको देख कर कोई अच्छा नहीं बोलता है। हमें आने वाली पीढ़ियां बुरा न बोले ऐसा कार्य करके हमें जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस पानी पर हमारा हक है। इसलिए हमें अनुमति प्रदान की जाए कि इससे हम पानी उठा सकें चाहे वह पीने के लिए हो, चाहे सिंचाई के लिए हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद । परंतु यह एक बहुत गंभीर विषय था इसके लिए समय थोड़ा कम मिला है। यह 7 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के 10 लाख लोगों का मसला है। इसे 1-2 मिनट में नहीं बोला जा सकता है। महोदय, इसे एक्टैंड भी किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष : यह गंभीर विषय है इसलिए माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर भी आना चाहिए। अभी तीन संकल्प और है और उनके संकल्प भी महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन भी कर दिया है। अब माननीय सदस्य अरूण कुमार जी ।

श्री अरूण कुमार (नगरोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 101 के तहत हमारे सम्माननीय नेता आदरणीय सुख राम जी, जिस विषय को ले करके आए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । माननीय सदस्य होशियार सिंह जी ने भी इस चर्चा में अपने विचार रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोगों को इसमें बहुत चोट लगी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय आई.पी.एच. मंत्री जी पिछले एक वर्ष से इस कार्य में बहुत

काबलियत के साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष इतनी भारी बरसात के कारण पेयजल योजनाएं और सिंचाई योजनाएं तहस-नहस हुई है। कूहलों के नामोनिशान तक मिट गए थे । उसके बाद हमारे गावों को पानी की समस्याओं के साथ जूझना पड़ा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चंगर एरिया के नाम से जाना जाता है जिसमें 26 पंचायतें लगभग आती है । उसे चंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर पानी नहींमिल पाता। हांलाकि हमारे क्षेत्र में पहाड़ है वहां से पानी बहता रहाता है। मैं चाहता हूं कि वहां पर चैक डैम बनाए जाएं ताकि उस पानी को लिफ्ट करके हम अपने चंगर के क्षेत्र में पहुंचा सकें। दूसरा मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं , मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की 17 ऐसी पंचायते हैं जहां पर ऊपर प्रोजैक्ट्स लगे हैं। लेकिन जो एग्रिमैंट कंपनी के साथ होता है। जब सिंचाई का समय होता है तो उसमें 15 प्रतिशत पानी छोड़ने की बात की होती थी। लेकिन यह प्रोजैक्ट वाले उस एग्रिमैंट की

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अवहेलना करते हुए उस पानी को 15 प्रतिशत न छोड़ करके वे 5 प्रतिशत ही पानी छोड़ते हैं। इस कारण हमारे किसानों को पानी की सुविधान प्राप्त नहीं हो पाती है। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि हम आज हर चुनाव क्षेत्र में हैंड पंपों की बात कर रहे हैं जिससे पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। मेरा इसमें यह भी सुझाव रहेगा कि यदि इसकी जगह हम ट्यूबवैल लगाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इनमें खर्चा भी लगभग बराब ही होता है। ट्यूबवैस से हम पानी को काफी आगे तक ले जा सकते हैं। जो परितस्थितियां पिछली बरसात की वजह से बनी हैं उसके लिए नियम 101 के तहत ले करके आए हैं मैं उसका समर्थन करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इन चीजों को भी इसमें शामिल किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य इन्द्रदत्त लखनपाल जी ।

श्री इन्द्रदत्त लखनपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदरणीय सुख राम जी ने जो संकल्प यहां पर लाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे मित्र आदरणीय होशयार सिंह जी ने भी अपनी बात रखी। मैं भी उसी संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा के क्षेत्र के साथ गोबिंद सागर डैम है। वहां काफी स्कोप है यदि वहां से पानी उठाया जाए तो हमारी बड़सर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के साथ-साथ कुटलैहड़ विधान सभा को भी लाभ होगा। जो कंपनियों से छूट लेने की बात हो रही है इसे कृपया गंभीरता से लें। अभी जो बड़सर के लिए व्यास से स्कीम बनी है उसे 6-7 साल हो चुके हैं परंतु वह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

14-02-2019/1620/एच.के./एन.जी./1

व्यास के उपर पहले से ही बहुत सारी स्कीमें बन चुकी हैं । मैं समझता हूं की उसके उपर और ज्यादा लोड डालने की आवश्यक्ता नहीं है । यदि गोविन्द सागर से पानी उठाया जाए तो पूरे के पूरे बडसर विधानसभा क्षेत्र में पानी मिल सकता है और इसमें खर्चा भी कम आऐगा । आपने जो ब्रिक्स की स्कीम बनाई है वह 168 करोड रूपये की है और मुझे नहीं लगता की शायद वो भविष्य में कभी पूर्ण हो पाएगी । मेरा सरकार से और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो हैण्डपम्प लगाने की बार-बार बात हो रही है और बडे बोर लगाने की बात हो रही है, वैल लगाने की बात की जा रही है, मेरा मानना है कि गोविन्द सागर से पानी उठाया जाए और इसमें 3-4 साल पहले एक स्कीम बनाई भी गई थी, 24x7 को लेकर एक सर्वे भी किया गया था, एक भारत सरकार की स्कीम थी वो बन्द हो गई थी । मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि गोविन्द सागर से पानी उठाया जाए तो हमारे आस-पास के विधानसभा क्षेत्र चाहे बडसर है, कुटलैहड है साथ लगती और भी 1-2 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबको इसका लाभ होगा । झंडुता विधानसभा क्षेत्र को भी इसका लाभ होगा । भोरंज विधानसभा को भी इसका लाभ होगा। हमारी सारी धारों के उपर टैंक बने हुए हैं नए टैंकों का उसमें और इजाफा किया जाए तो वह एक समाधान हो सकता है । सिंचाई के लिए

योजनाऐं भी उसी गोविन्द सागर से बन सकती हैं । यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इसमें विचार करे और केवल विचार ही नहीं बल्की गम्भीरता से काम भी करे तो हमारी पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है । पिछली बार जब हमारी विधानसभा की कमेटी वहां पर गई थी तो वहां पर चर्चा हुई थी की गोविन्द सागर झील को पर्यटन की दृष्टी से भी विकसित किया जाए । अगर कोई स्कीम बनाई गई है तो मन्त्री जी आपको मालूम होगा। अगर इसे भी किया जाए तो हमारी आस-पास की 4-5 विधानसभा क्षेत्रों की दोनो समस्याओं का समाधान हो सकता है व पर्यटन की दृष्टी से रोजगार भी मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री इस संकल्प पर जो चर्चा हुई है उसका उत्तर देंगे । माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ताव व संकल्प हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री सुखराम जी ने नियम 101 के अन्तर्गत लाया है। इस संकल्प को लेकर दोनो तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं । अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की और अन्य माननीय सदस्यों की भावनाऐं है जिसमें हम यह सोचते हैं कि केवल मात्र पानी की एनओसी का ही मामला है । यहां पानी को लेने के लिए भारत सरकार से या साथ लगते दूसरे प्रदेशों से या दूसरी एजंसियों से एनओसी लेने के साथ-साथ हमें जब ऐसी बडी-बडी परियोजनाऐं बनानी होती है तो उनके लिए अनेकों अडचने पडती है । इस विषय को बडी गम्भीरता से माननीय सदस्य श्री सुखराम जी ने उठाया है । प्रदेश की जमीन हमारी है, जल हमारा है, नदियां हमारी हैं, जंगल हमारे हैं, मालिक हम हैं, यह एक ऐसी स्थिती है कि जैसे एक कहावत है कि **"बहु के हाथ में चाबियां पकडा देनी और कहना की ताले को हाथ मत लगाना"** । हमारे यहां विकास की जो योजनाऐं हैं उन योजनाओं को आगे बढाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाईयां आ रही है । अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम हो रही है, बर्फबारी कम हो रही है, बादल फट रहे हैं, हिमखण्ड जो ग्लेशियर हैं उनकी चौडाई-लम्बाई-मोटाई लगातार घर रही है ।

एक समय था जो हमारे स्प्रींग सोर्सिस है उनसे ही जितनी आवश्यक्ता हमें पीने के पानी की हुआ करती थी और सिंचाई के लिए जितना पानी हमें चाहिए था, उसकी प्रतिपूर्ती वहां से हो जाती थी ।

14/02/2019/1625/RG/YK/1

लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है जिसके कारण आज हमारे जितने भी स्प्रिंग सोर्सिज हैं, उनमें से बहुत ज्यादा सूख गए हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जितनी मात्रा में उनसे हमें आज से 30-40 साल पहले पानी मिलता था उतनी मात्रा में न मिलकर अब केवल एक चौथाई पानी ही उनमें रह गया है। ऐसी अनेकों विकासात्मक योजनाएं चाहे वे बिजली की परियोजनाएं या चाहे सड़कों के काम हैं और वहां बनने वाली सुरंगों की वजह से उसके ऊपर का जितना भी क्षेत्र है जहां हमारे प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, वे सारे-के-सारे अब खत्म हो चुके हैं। आजादी के बाद ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि आजादी से पहले ऐसे अनेकों एम.ओ.यू. या ऐग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश के पानी को लेकर या यहां बनने वाले प्रोजैक्ट्स को लेकर बाहर के राज्यों के साथ साईन हुए हैं। हमारे मण्डी जिले का शानन का प्रोजैक्ट उसका ऐग्रीमेंट वर्ष 1925 में साईन हुआ। जब वर्ष 1975-76 में कांग्रेस पार्टी की सरकारें यहां थीं तो फिर उस ऐग्रीमेंट को आगे बढ़ाया गया। उस समय उसकी समयावधि पूरी हो रही थी लेकिन उसको वर्ष 2025 तक कर दिया गया। जो बरोट से ऊपर कैचमेंट है, वहां से अगर हम पानी लेना चाहें, क्योंकि वह बहुत ही ऊंचाई पर है, हमारी अनेकों सिंचाई और पीने-के-पानी की योजनाएं वहां से एक बहुत बड़े क्षेत्र को बल्कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वहां से कांगड़ा, मण्डी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए, बिलासपुर जिले, ऊना और हमीरपुर जिले तक के लिए ग्रेविटी में पानी ऊपर से आ सकता है। इससे हमारा जो खर्चा है, जो पानी हम नदियों, खड्डों और नालों से ऊपर को उठाते हैं, वह सारा बिजली का खर्च हमारा बच जाएगा। हमारी जो मैन पॉवर है, पम्प ऑपरेटर्ज या असिसटैंट पम्प ऑपरेटर्ज हैं, उनका खर्चा भी हमारा बच जाएगा और मैं यह कह सकता हूं कि अरबों रुपये की बचत हमारी हो सकती है। लेकिन अब समझौता हुआ है तो हमें वर्ष 2025 का इन्तजार करना पड़ेगा और अगर वर्ष 2025 में भी हम थोड़े से चूक गए तो फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। हमारा बी.एस.एल. का जो प्रोजैक्ट है,

हमारी ब्यास और सतलुज नदी दोनों को मिलाने वाली जो बीच की नहर है, उसका ऐग्रीमेंट या एम.ओ.यू. वर्ष 1955 में साईन किया गया था। उसमें यह सोचा ही नहीं गया कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रोजैक्ट बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में पंडोह के पास रिजरवॉयर बन रहा है, इसके आगे नौ किलोमीटर की सुरंग बन रही है, उसके आगे ओपन कैनाल है, उसके आगे दुबारा रिजरवॉयर बन रहा है और फिर उस पानी को
आगे सतलुज में डाला जा रहा है। वहां हमारे हितों की अनदेखी कर दी गई। वहां जिस प्रकार से जो हमारे ऐसे विस्थापित हैं, चाहे वे बांध की वजह से हुए, जो भाखड़ा रिजरवॉयर बना, पूरा बिलासपुर उजड़ गया, हमारे मण्डी के लोगों को नुकसान हुआ और अब वहां हमारा कुछ रह ही नहीं गया है। वर्ष 1955 में ऐग्रीमेंट हो गया। उसके बाद वर्ष 1976 में हुआ और फिर वर्ष 1981 में हुआ। इन्दिरा गांधी जी ने किया। मेरे पास ऐग्रीमेंट की कॉपी है। उसके बाद फिर वर्ष 1994 में हुआ। हमारा दूसरा जो प्रोजैक्ट, पौंग डैम है, पौंग डैम में ब्यास बेसिन पर एक डैम ऊपर और एक डैम नीचे बन गया। हमारे माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी ने पौंग डैम का जिक्र किया है और इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह एक गंभीर चिन्ता रहती है कि जब प्रोजैक्ट बनना था तो काफी कुछ कहा गया कि राजस्थान में आपको मुरब्बे दिए जाएंगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी और आपको हर प्रकार की सहुलियतें दी जाएंगी। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है और जो उजड़े हुए हैं, वे आज भी उजड़े हुए ही हैं। वैसे ही यमुना बेसिन जो माननीय सदस्य की भावनाएं हैं, यमुना बेसिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके हमारा सिरमौर और शिमला जिला, ये दो जिले तो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होते हैं।

14/02/2019/1630/MS/AG/1

आज एक ऐसी स्थिति है कि हमारे पांव के 10 फुट नीचे से पानी बह रहा है लेकिन हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। अब इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? हम यमुना, ब्यास, सतलुज, रावी और इंटरनैशनल ट्रीटी के तहत चंद्रभागा से भी पानी नहीं ले सकते हैं। यह एक विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी गई है कि एक तरफ हमें उन एजैंसियों के पास जाना पड़ेगा, जिनमें चाहे भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा, पंजाब सरकार के पास जाना

पड़ेगा या दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब जाकर मसला हल होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर केवल-और-केवल रिजरवायर और नदियों के पानी पर ही पाबन्दी होती, तब भी बात बनती बल्कि मैं तो स्वयं भुक्त-भोगी हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में दो मध्यम सिंचाई योजनाओं की डी0पी0आर0 बनाई गईं और जब डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को प्रेषित करनी था, हालांकि हम ब्यास नदी से पानी नहीं उठा रहे थे। जो हमारी एक ट्रिब्यूटरी है, जिसको सोन खड्ड/सत्यार खड्ड कहते हैं, उस पर हम बांध लगाना चाह रहे थे। हमारी उस बांध को लगाकर पानी ऊपर उठाने की प्रस्तावना थी। हमने सोचा था कि हम वर्षा के पानी को रोकेंगे और बांध बनाएंगे तथा पानी को रोककर उसको वहां से उठाकर जमीनों तक ले जाएंगे, जिससे किसानों की फसलों को फायदा होगा।

अध्यक्षः मैंने माननीय मंत्री जी को इंट्रप्ट किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष आग्रहपूर्वक सभी माननीय सदस्यों से कहा है और आप सबको सूचना पहुंच गई होगी। आज माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से सभी विधायकगण रात्रिभोज के लिए आमंत्रित हैं। इस बात का विशेष उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से मैं कर रहा हूं। आप सभी सादर आमंत्रित है। माननीय मंत्री जी, कृपया कन्टीन्यू कीजिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं कह रहा था कि हमारी एक खड्ड के पानी को रोकने की प्रस्तावना थी और वहां से पानी उठाकर खेतों तक पहुंचाना था। लेकिन जब हमारी डी0पी0आर0 वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि पहले बी0बी0एम0बी0 का एन0ओ0सी0 चाहिए। हमने कहा हम तो ब्यास नदी का पानी ले ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ब्यास नदी से पानी लो या न लो लेकिन यह ब्यास नदी आगे पौंग डैम की तरफ बह रही है। इस कैचमैंट में जहां भी कोई बड़ा प्रोजैक्ट बनाना हो, मध्यम सिंचाई योजना की स्कीम बनानी हो या कोई बड़ी पानी की स्कीम बनानी हो तो आपको एन0ओ0सी0 बी0बी0एम0बी0 से लेना पड़ेगा। हम बी0बी0एम0बी0 के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप बिजली बोर्ड के थ्रू आइए। हम बिजली बोर्ड के माध्यम से फिर बी0बी0एम0बी0 के पास गए और इस सारे प्रोसैस में तीन वर्ष का समय लग गया। उसके बाद फिर थोड़ा राजनीतिक तौर पर जब परिवर्तन हुआ, तब जाकर एन0ओ0सी0 मिला। हमारी पौंग डैम से एक बहुत बड़ी योजना फॉरेन फण्डिंग के लिए प्रस्तावित है और उस योजना के अंतर्गत हम पौंग डैम के पानी को ऊना जिला की हमारी जितनी भी उपजाऊ

भूमि है, उसके लिए पानी लेना चाहते हैं। अफसरों ने कहा कि यह ठीक है लेकिन जब तक उनका एन0ओ0सी0 नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य इन्द्र दत्त लखनपाल जी कह रहे थे कि भाखड़ा के रिजरवायर से अगर पानी लिया जाए तो वहां का पानी एक तरफ ऊना की धरती को सिंचित कर सकता है, दूसरी तरफ बिलासपुर की धरती को सिंचित कर सकता है और तीसरी तरफ हमीरपुर की धरती को सिंचित कर सकता है। इसके अलावा जिला मण्डी के एक हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत ला सकते हैं। मैं घुमारवीं की बात करना चाहता हूं। वहां से हमारी पीने-के-पानी की एक योजना बन रही है। हम वहां से एक योजना के तहत पानी उठाना चाहते थे लेकिन कहा गया कि एन0ओ0सी0 लेना पड़ेगा। इस तरह से एक विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी गई है। एक तरफ हमें उन एजैंसीज से, चाहे उसमें भारत सरकार हो या बी0बी0एम0बी0 हो, उनसे वहां से पानी उठाने के लिए एन0ओ0सी0 लेना पड़ेगा और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट यह है कि एफ0सी0ए0 बीच में फंस गया है। फॉरैस्ट कन्जरवेशन ऐक्ट 1980 कहता है कि आपने अगर तीन इंच डाये की पाइप भी बिछानी है तो आपको एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस लेनी पड़ेगी। अगर आपको पम्प-हाउस बनाना है तो भी आपको एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस चाहिए। इसके अलावा अगर कॉमन लैण्ड पर टैंक बनाना है तो उसके लिए भी एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस चाहिए।

14.2.2019/1635/जेके/वाईके/1

हम दो तरफ उलझे हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे विकास को रोकने में जो बाधाएं आ रही हैं, हम कैसे हिमाचल प्रदेश को, अपनी जनता को पीने का पानी उपलब्ध करवा सकें, हम कैसे हिमाचल प्रदेश की धरती को बागवानी के लिए सिंचाई की योजनाएं दे सकें, कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की योजनाएं दे सकें? हम एक बैरिकेट से निकलते तो दूसरा बैरिकेट खड़ा हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं देख रहा था कि श्रीमति इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्रधान मंत्री थीं, उनके हस्ताक्षर से एक एग्रीमैंट हुआ है और उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का रिप्रजेंटेटिव उसमें कोई नहीं था। पानी हमारा था, ज़मीन हमारी थी, सब कुछ हमारा था लेकिन हमारा कोई भी प्रतिनिधि

उसमें नहीं था। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया में जो एग्रीमैंट पीछे हुए हैं, उनमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। माननीय सदस्य ने यहां पर रेणुका बांध की बात की । माननीय अध्यक्ष जी का चुनाव क्षेत्र भी उसी के साथ है। रेणुका बांध के लिए मैं, मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमें तो भाखड़ा से बिजली तक नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 4,200 करोड़ रुपये जो पिछला एरियर है, दिया जाए लेकिन देता कोई नहीं है। पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अभी-हाल ही में जनवरी के महीने में मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ एक एग्रीमैंट किया। माननीय अध्यक्ष जी वहां पर जो 40 मैगावाट का प्रोजैक्ट बन रहा है, उस प्रोजैक्ट को वे बनाएंगे भी और बना करके हिमाचल प्रदेश सरकार को देंगे। वह फैसला 90:10 के अनुपात में हुआ है। अब इससे बढ़िया फैसला क्या हो सकता है? अगर इस प्रकार के फैसलें, इस प्रकार के एग्रीमैंट पहले भी किए जाते तो निश्चित तौर पर हमारे हितों की रक्षा होती। लेकिन अब जब पीछे जो फैसला हो चुका है उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के साथ-साथ मैं महसूस करता हूं कि अब समय आ चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। यदि हम अपने अधिकारों के लिए चुप बैठ जाएं और हर जगह मौन खड़े रहें तो भी सम्भव नहीं है। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं। भले ही विभागीय तौर पर भारत सरकार और पूर्व प्रधान मंत्री जी के हस्ताक्षरों से कोई एग्रीमैंट हुए हैं तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ें? क्या अब हम उन एग्रीमैंट्स को ही देखते रहेंगे? अगर हम अगला दरवाजा खटखटाएंगे नहीं तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव है और जो संकल्प है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम केवलमात्र एक एजैंसी से ही एन.ओ.सी. के लिए नहीं बल्कि जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक शुरूआत की है कि यहां पर इण्डस्ट्रीज आए। इण्डस्ट्रीज लाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए क्योंकि हमारा प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब इस प्रकार की बाधाओं के लिए हम अपना अधिकार भारत सरकार के पास रखेंगे। श्री रमेश चन्द ध्वाला जी ने जो

बात यहां पर कही है कि यहां पर बोर्ड का गठन हो, अथॉरिटी या कमिशन का गठन हो, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो रैगुलेटरी कमिशन एच.पी.एस.ई.बी. में है, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि

14-02-2019/1640/SS-AG/1

रेगुलेटरी अथोरिटी केवल मात्र प्रदेश तक सीमित न हो क्योंकि पहले हम इसकी नीति बनाने की तरफ सोच रहे हैं। हमारा नीति का कोई आधार बने और जब नीति का आधार बनेगा फिर स्टैप बाई स्टैप हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। इसमें आई0पी0एच0 विभाग जहां-जहां विकास के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं उसके लिए हम नीति बनायेंगे। नीति बनाने के साथ-साथ अगर इस पर और भी संशोधन करना पड़ेगा, उस पर और आगे बढ़ना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, बोल रहे हैं, आप बीच में न बोलें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः ऐसा है। जब मैं कह रहा हूं कि प्रश्न 'एडॉप्ट करना' शब्द बोलना ही सब कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि नीति बनाई जायेगी। माननीय सदस्य का जो संकल्प है, अगर उसको पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रदेश में नई पेयजल/सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केन्द्रीय एजेन्सियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने की छूट प्रदान करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें। माननीय सदस्य का जो संकल्प है अगर हम उस संकल्प से बाहर जाते हैं तो हमें इसका संशोधन लाना पड़ेगा। **इसलिए जो कहा गया है, हम इस पर नीति बनायेंगे और नीति बनाकर आगे बढ़ेंगे ताकि प्रदेश के विकास में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा न आए।**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापिस लेंगे? माननीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, इनका संकल्प है कि क्या नीति बनायेंगे। जब हमने कहा कि हम नीति बनायेंगे तो हमने इनके संकल्प को एडॉप्ट कर लिया है।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को स्वीकार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प स्वीकार हुआ।

अब मेरे पास दो संकल्प हैं। यदि बलबीर सिंह वर्मा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें और पांच मिनट में अपनी बात कहें तथा पांच मिनट में माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो हम चौथा संकल्प इंट्रोड्यूस करा सकेंगे अन्यथा चौथा संकल्प भविष्य के गर्त में जायेगा। सर्वप्रथम बलबीर सिंह वर्मा जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के बागवानों/किसानों को कमीशन एजेंटों व बाहरी राज्य से आए व्यापारियों की धोखाधड़ी से बचाने हेतु सरकार ठोस नीति बनाने पर विचार करे।

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ। कृपया ज़रा ध्यान दें, माननीय सदन से अनुमति चाहिए कि प्रस्तावक अपनी बात कहे और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दें। तो बाकी जो नाम मेरे पास आए हैं, वे पढ़े हुए समझे जायेंगे। अब श्री बलबीर सिंह जी, पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पांच मिनट टाइम दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस संसार में पानी भगवान् देता है और अन्न किसान देता है। अन्नदाता को एक वर्ष की मेहनत के बाद उनकी फसल का पैसा नहीं मिलता। अपनी फसल बेचने के बाद वे पैसे के लिए दर-दर भटकते हैं। मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं हमारे बागवान/किसान जब किसी मार्किट में सेब, आलू, मटर,टमाटर,

गोभी, फुलगोभी या किसी भी फसल को बेचने जाते हैं, चाहे कोई भी मार्किट हो तो किसी को पूरा पैसा नहीं मिलता है।

14.2.2019/1645/AV/dc/1

मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा ठगी हो रही है और इस बारे में नीति लाना बहुत जरूरी है। नीति बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेब लेने वाले उत्तर प्रदेश से आते हैं और अब तो पश्चिम बंगाल से भी आने लग गये हैं। यहां पर कोई भी आदमी अपने घर के सामने त्रिपाल लगाकर अपनी मण्डी लगा लेता है और खरीदने वाला कोलकत्ता से आ जाता है। वह जब पैसे खाकर वापिस भागता है तो उसका कोई पता नहीं लगता कि वह कहां से भागा है। वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि पुलिस वाले इसमें एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं करते। इस बारे में जब कोई पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसमें एफ0आई0आर0 नहीं बनती और यह तो आपका लेन-देन का मामला है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लाखों किसान-बागवान कई वर्षों से इस ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस तरह से किसी भी किसान की आमदनी दोगुनी होने वाली नहीं है। ये ठग पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली इत्यादि देश के लगभग हर राज्य से आ रहे हैं। उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बारे में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। यहां से एक बार पैसे खाकर जायेंगे तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको हम पकड़कर वापिस ला सकें। यहां से ऐसे हजारों ठग पैसे खाकर चले गये। हमारे प्रदेश में सेब की इकोनोमी 5000 करोड़ रुपये हैं जबकि उसमें से हमें 2500 करोड़ रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। वे 2500 करोड़ रुपये दूसरे राज्यों के ठग हमारे किसानों-बागवानों से बाहर ले जा रहे हैं। मैं मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि विधायक रहते हुए मुझे भी ठगा गया। उसको जब पकड़ा गया तो वह उत्तर प्रदेश में ठेले पर ही सेब बेच रहा था। उसने यहां पर डेढ़ करोड़ रुपये का घपला किया है। इसके लिए कोई कानून-व्यवस्था नहीं बनी है। वह तीन महीने

जेल में रहा और तीन महीने के बाद वापिस चला गया। उसके बाद कुछ भी लेना-देना नहीं हुआ। हमारे प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत किसान हैं। हमारे अधिकारी-कर्मचारी, पेंशनर्ज इत्यादि सभी को प्रत्येक महीने सैलरी मिलती है और हमें भी मिलती है। मगर वह किसान-बागवान जो पूरा साल मेहनत करता है उसको उसकी पेटी तक का पैसा नहीं मिल रहा है। किसान-बागवान जो पैकिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है उसको उसका पैसा तक नहीं मिल रहा है। अगर किसी की एक लाख रुपये की राशि बन रही है तो वह पूरी एक लाख रुपये की राशि लेकर भाग जाता है। इस बारे में जब तक सरकार कोई स्ट्रोंग नीति नहीं बनायेगी तब तक हमारे प्रदेश के किसानों-बागवानों की आमदनी नही बढ़ने वाली। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि सरकार इस संकल्प को एडोप्ट करे। अगर आप किसान-बागवान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह नीति बनाना आवश्यक है क्योंकि हमारे किसान-बागवान अब मेहनत करना छोड़ रहे हैं। इसमें कानूनी कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि मेरे घर के आगे सड़क है तो मैं वहीं पर त्रिपाल लगाकर दुकान लगा दूंगा और किसी भी आढ़ती को बुला लूंगा। एप्पल ग्रोअर भोले-भाले होते हैं और वे वहीं पर सेब बेचना शुरू कर देते हैं, फिर 10 दिन के पश्चात यह पता लगता है कि वे सारे भाग गये। इसके लिए जब तक अपना प्रोडक्शन बेचने वाले एजैंट चाहे वह अपने घर के सामने बेच रहा है या मार्किट में बेच रहा है यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी मटर, आलू, सेब, गोभी इत्यादि बेच रहा है तो इसके लिए दोनों की बैंक गांरटी जरूरी होनी चाहिए। इसके लिए आधार नम्बर लिंक किए जाएं। हमारी सरकार जब तक इस बारे में सीरियस नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश के किसान-बागवान जो कई वर्षों से ठगे जा रहे हैं वे भविष्य में भी इसी तरह से ठगे जायेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री प्राधिकृत माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी उत्तर देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री (प्राधिकृत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां पर संकल्प रखा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह किसानों-बागवानों की आय से जुड़ा हुआ मसला है। यहां पर जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि एक विधायक को ठगा तो मैं इस मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि इसमें मंत्री भी ठगा गया है। इसलिए मैं इस मान्य सदन को बताना चाहता हूं कि एक होर्टिकल्चरिस्ट होने के नाते भीं चैक्स दे दिए गए

14.2.2019/1650/TCV/DC/1

और वे चैक बाउंस हो गए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक उस आढ़ती को वापिस नहीं ला सकें हैं। आपने जो यह मसला उठाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाग के माध्यम से भी यहां पर जो जवाब आया है, उसमें भी बताया गया है कि मार्केटिंग कमेटी बनाई गई है। उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है यह सब उसमें आया है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। फिर भी माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने माना है कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे। नए कानून में हम यह प्रोविज़न करेंगे कि झोलाछाप लोग न आएं। इसमें बैंक गारंटी करने का प्रावधान भी करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लोग मार्केट में बैठ जाते, जेब में उनके पास कुछ नहीं होता है और करोड़ों रुपये का माल लेकर वे चंपत हो जाते हैं। इस संकल्प के माध्यम से आपने जो बात रखी है, उसके बारे में सरकार गंभीर है। क्योंकि पिछली बार 101 मामले आये थे और अभी तक मात्र 13.55 लाख रुपये ही रिकवर कर पाए है और लगभग 2.15 करोड़ रुपये अभी रिकवर करने को शेष हैं। ऐसे लोग रोहडू या सोलन कहीं भी बैठे होते हैं। इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार की मंशा साफ है। मैं चाहूंगा कि आप इस संकल्प को वापिस लें। ---(व्यवधान)--- मैंने कहा कि नये कानून के अंदर इसमें जो लूप होल्स होंगे, उनको प्लग करने का सरकार प्रयास करेगी।

अध्यक्षः क्या मंत्री जी कानून बनाते समय जो इस प्रकार के बागवान इस सदन के सदस्य हैं, उनको भी बीच में बैठा करके, उनकी राय लेगी। ऐसा उनको विश्वास दिलाया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। सरकार इस मामले में गंभीर है और हम सबकी राय लेकर कानून बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को वापिस लें।

अध्यक्षः क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी अपना संकल्प वापिस लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए।

संकल्प वापिस हुआ

अब माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

14-02-2019/1655/NS/HK /1

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।''

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि ''यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।'' क्योंकि इस संकल्प के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और आज का समय लगभग समाप्ति की ओर है। हम इस संकल्प को अगले गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस जो भी आएगा, उसके ऊपर चर्चा के लिए प्रस्तावित करते हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 14 फरवरी, 2019 **सचिव।**

****